इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मई 2015—वैशाख 18, शक 1937

## भाग ४

#### विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

#### अन्तिम नियम

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-23-3-15-अठारह-6.-

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 1015

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2015

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3, 1973) की धारा 103 (3) तथा धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा समय-समय पर संशोधित मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम, 1998 के स्थान पर निम्न विनियम बनाये गये हैं, जिनका अनुमोदन एवं पुष्टि राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-23-3-15-अठारह-6, दिनांक 17 अप्रैल 2015 द्वारा की गई है, अर्थात् :—

#### विनियम

- (1) संक्षिप्त नामः यह विनियम मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम 2015 कहलायेंगे तथा समय—समय पर संशोधित मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल विनियम 1998 का स्थान लेंगे। इन विनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् पूर्व में मण्डल द्वारा जारी सभी नियम, विनियम, परिपत्र, निर्देश तथा अधिसूचनायें एतद् द्वारा उस सीमा तक प्रभावहीन किये जाते हैं, जहां तक वे इन विनियम के प्रावधानों से मेल न खाते हों।
- (2) <u>परिभाषायें</u>:— इन विनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम का अर्थ मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम 1972 (क्रमांक 3, 1973) होगा। सभी परिभाषाऐं, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, अधिनियम की धारा—2 में वर्णित मानी जायेंगी।
- (3) कतिपय नियमों का मंडल के अधिकारियों व सेवकों पर लागू होना अधिनियम की धारा 15 (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू नियम, आदेश व निर्देश (विशेष रूप से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, मध्यप्रदेश मूलभूत नियम, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा भत्ता) नियम –1958 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अधिकारियों व सेवकों पर तत्समय श्रेणियों में उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों से मेल खाते हों और मण्डल द्वारा समय—समय पर प्रसारित अन्य नियमों, विनियमों, संशोधन तथा अधिसूचनाओं के अनुरूप हों, प्रयोज्यता के उद्देश्य हेतु, राज्य शासन, राज्यपाल तथा विभागाध्यक्ष का अर्थ कमशः मंडल, अध्यक्ष तथा गृह निर्माण आयुक्त होगा।
- (4) <u>मंडल के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्तियां, पदोन्नतियां,</u> अवकाश स्वीकृति एवं दण्ड :—

## (अ) नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां -

- (i) मंडल के अधीन किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पदोन्नित परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार की जायेगी।
- (ii) बशर्ते ऐसी सभी नियुक्तियां एवं पदोन्नितयां इस उद्देश्य के लिये निर्मित विनियमों के अनुसार की गई हों।
- (iii) इन विनियमों के प्रभाव में आने के पूर्व की गई सभी नियुक्तियां और पदोन्नितयां इन्हीं विनियमों के अंतर्गत की गई मानी जायेंगी।

#### (ब) <u>अवकाश स्वीकृति</u> :

- (i) अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार होगी, जहां ऐसा अधिकारी नहीं हो, वहां गृह निर्माण आयुक्त स्वीकृति के लिये प्राधिकृत होंगे।
- (ii) गृह निर्माण आयुक्त को सभी प्रकार के अवकाश राज्य शासन द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- (iii) अनुपरिथित के लिये अवकाश, अवकाश भत्ते तथा कार्यकारी भत्ते संबंधी जो नियम राज्य शासन के कर्मचारियों के लिये लागू है, वह मंडल के कर्मचारियों के लिये उसी रूप में लागू होंगे, जब तक मंडल के किसी प्रस्ताव द्वारा उनमें कोई विपरीत प्रावधान न किया गया हो।

## (स) अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय अधिकारी :

- (i) बोर्ड के किसी सेवक के लिये परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।
- (ii) परिशिष्ट 1 में उल्लेखित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिकृत अधिकारी को अपील की जा सकेगी।
- (iii) सभी अधिकारी अपने अधीन कार्यरत् कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेंगे तथा उनके कार्य और आचरण का सही उल्लेख उनकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों में करेंगे।

#### (5) सेवा विनियम:

(अ) जब तक मंडल के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कोई विपरीत प्रावधान ना किया गया हो, मंडल के नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ते वहीं होंगे, जो तत्सम श्रेणी के राज्य शासन के कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं।

- (ब) पेंशन योजना लागू होने के परिणाम स्वरूप मंडल के नियमित कर्मचारी दिनांक 01.07.1993 से सामान्य भविष्य निधि में कटौत्री करायेंगे। सामान्य भविष्य निधि का नियमन मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार होगा।
- (स) मंडल के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारी / कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष होगी, जबिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष होगी।
- (द) किसी भी मंडल अधिकारी / कर्मचारी को उसकी 20 वर्ष की अईकारी सेवा पूर्ण करने या 50 वर्ष की आयु होने के पश्चात्, जो भी पूर्वोत्तर हो, किसी भी समय बिना कोई कारण बताये, उसे लिखित सूचना देकर, लोक हित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।
- (प) मंडल के नियमित अधिकारी/कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.07.1973 से पेंशन/परिवार पेंशन की स्वीकृति तथा मृत्यु—सह—उपादान के लाभ मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 के अनुसार विनियमित होंगे, परन्तु मंडल के नियमित अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2005 को या इसके बाद नियुक्त हुये हैं, उन पर नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू होगी।
- (फ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन कम्प्यूटेशन) नियम 1996 मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु लागू नहीं होंगे।
- (भ) गृह निर्माण आयुक्त मंडल के सेवकों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली को प्राप्त करने की प्रणाली को निर्देशित / संशोधित कर सकेगा। गृह निर्माण आयुक्त वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के मतांकन अथवा विपरीत टिप्पणी के विरुद्ध अपील करने की प्रणाली भी निर्दिष्ट कर सकेगा।

#### (6) स्थानांतरण और पदस्थापना :

- (अ) यथासंभव बोर्ड के सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापनाऐं,बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थानांतरण नीति के अनुसार होगी।
- (ब) बोर्ड के सेवकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापनाऐं परिशिष्ट 1 में उल्लेखित शक्ति के प्रत्यायोजन के अनुसार की जायेंगी तथापि गृह निर्माण आयुक्त को स्थानांतरण के किसी भी आदेश, जो मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, उपायुक्तों या अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किये गये हों, को संशोधित या निरस्त करने का अधिकार होगा।

- (7) <u>आदेशों / निर्णयों का प्रसारणः</u> मण्डल का प्रशासकीय प्रमुख तथा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होने के नाते गृह निर्माण आयुक्त को यह अधिकार होगा कि अध्यक्ष तथा मण्डल की ओर से भी मामलों में निर्णय प्रसारित करने या आदेश जारी करने की कार्यवाही या तो वह स्वयं करे या जैसा वह उचित समझे, अपने किसी वरिष्ठ अधीनस्थ से कराये।
- (8) <u>अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत अध्यक्ष, गृह निर्माण आयुक्त</u> <u>और अन्य अधिकारियों की शक्तियां</u>

अध्यक्ष, गृह निर्माण आयुक्त और मण्डल के अन्य अधिकारियों की शक्तियां

- (i) धारा-24 के अंतर्गत व्यय करने की।
- (ii) धारा-25 के अंतर्गत प्राक्कलन स्वीकृत करने की और
- (iii) अधिनियम की धारा—28 के अंतर्गत अनुबंध सम्पादित तथा निष्पादित करने की और अन्य किसी अन्य प्रकार का व्यय करने के निर्णय लेने की जो मण्डल के संचालन और प्रशासन के लिए आवश्यक हो, की शक्तियां परिशिष्ट—1 के अनुसार होगी।
- (9) दस्तावेजों, रेखांकों आदि की प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु फीस वह अधिकारी जिसके नियंत्रण में संबंधित अभिलेखों जो गोपनीय अभिलेख का भाग न हो, दस्तावेजों, प्राक्कलनों, रेखांकों आदि की प्रतिलिपियां, आवेदन—पत्र जिसमें उसका उद्देश्य उल्लेखित किया गया हो, निर्धारित शुल्क के जमा करने पर प्रदाय कर सकेगा। विभिन्न अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु शुल्क का निर्धारण गृह निर्माण आयुक्त द्वारा समय—समय पर किया जायेगा।
- (10) <u>मण्डल के अधिकारियों और सेवकों द्वारा जमा की जाने वाली</u> प्रतिभूति

निधि तथा भण्डार के प्रभारी मण्डल के अधिकारियों और सेवकों को निम्नानुसार प्रतिभूति देना आवश्यक होगा :

1.	सम्पत्ति प्रबंधक शाखा का कैशियर	र्फ. 5000.00
2.	कार्यालय का कैशियर	र्फ. 3000.00
3.	स्टोर कीपर/लिपिक	र्फ. 3000.00
4.	उपयंत्री	₹5. 5000.00
5.	सहायक	<b>ক</b> . 3000.00

प्रतिभूति का फार्म और नियम व शर्ते परिशिष्ट-2 में दर्शाई गई हैं।

## (11) बोर्ड के कार्यों का संचालन -

- (क) बोर्ड के पदेन सदस्यों को संचालक मण्डल अथवा समितियों की बैठक में उपस्थित होने पर उनके मूल विभाग में पात्रतानुसार यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते की पात्रता होगी।
- (ख) बोर्ड के अन्य सदस्यों को संचालक मण्डल अथवा समितियों की बैठक में उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रमुख सचिव स्तर के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रतानुसार देय होगा।
- (ग) धारा-23 के तहत बोर्ड की निम्न स्थायी समितियां होंगी।
  - (i) अपील समिति, जिसमें आयुक्त (नगर तथा ग्राम निवेश), मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के प्रभारी सचिव के प्रतिनिधि तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। यह समिति अधिनियम की धारा 16 के तहतअनुशासनात्मक कार्यवाही तथा सेवा संबंधी मामलों में जारी आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगी। समिति की अध्यक्षता आयुक्त (नगर तथा ग्राम निवेश) करेंगे एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करेंगे।
  - (ii) अंकेक्षण समिति, जिसमें गृह निर्माण आयुक्त, आयुक्त (नगर तथा ग्राम निवेश) एवं मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के

प्रभारी सचिव के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। समिति मुख्य अंकेक्षण अधिकारी द्वारा उठाई गई ऑडिट आपित्तयों पर निर्णय लेगी। समिति की अध्यक्षता गृह निर्माण आयुक्त करेंगे तथा मुख्य अंकेक्षण अधिकारी समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करेंगे।

- (iii) बिजनेस समिति, जिसमें अध्यक्ष, गृह निर्माण आयुक्त, आयुक्त (नगर तथा ग्राम निवेश) एवं लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (या प्रतिनिधि जो मुख्य अभियंता स्तर से कम न हो) सम्मिलित होंगे। इस समिति को मण्डल की ओर से किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा उपयुक्त निर्णय लेने का अधिकार होगा। समिति की अध्यक्षता मण्डल के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा संबंधित अतिरिक्त गृह निर्माण आयुक्त समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करेंगे।
- (घ) स्थायी समितियों के द्वारा लिये गये निर्णयों की सूचना मण्डल के अगले सम्मेलन में सूचनार्थ रखी जाएगी जो ऐसी कार्यवाही के तुरन्त बाद हुआ हो।
- (च) मण्डल यदि उपयुक्त समझे तो मण्डल के किसी भी कार्य अथवा सभी कार्यों के लिए कोई अन्य समिति भी गठित कर सकता है।
- (छ) अधिनियम की धारा—23 के अंतर्गत मंडल द्वारा गठित समिति में कम से कम तीन सदस्य, जिनमें एक अध्यक्ष / संयोजक एक सदस्य सचिव तथा अन्य सदस्य होंगे उनमें एक मण्डल का सदस्य तथा अन्य वह सदस्य होंगे, जिनकी सहायता, सलाह या जिनका समिति में सम्मिलित होना मंडल के लिये लाभकारी समझा जायेगा। यदि गठन के बाद मंडल द्वारा किसी समय यह समझा जाता है कि

समिति का होना आवश्यक नहीं है या मंडल के हितों के विपरीत है, तो मंडल ऐसी समिति को भंग करने के निर्देश देगा ।

- (ज) सिमिति की कार्याविध (कण्डिका (ग) में उल्लेखित स्थायी सिमितियों को छोड़कर) उसके गठन के आदेश में उल्लेखित होगी, इसी प्रकार सदस्य का कार्यकाल जो बोर्ड का सदस्य नहीं है, उसके नामांकन आदेश में दर्शाये अनुसार होगा। किसी भी सिमिति को या उसके सदस्य को निर्धारित कार्याविध के पश्चात् जब तक कि मण्डल के आदेश से उसे बढ़ाया न गया हो, कार्य करने का अधिकार नहीं होगा।
- (झ) समितियों के सदस्य जो मण्डल के सदस्य न हों, मानद सदस्य होंगे और मण्डल के सदस्यों की भांति उन्हें यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता देय होगा।
- (ट) बोर्ड के सामान्य सम्मिलन की सूचना सम्मिलन की निर्धारित निधि से कम से कम सात दिन पूर्व दी जायेगी। किसी विशेष सम्मिलन के संबंध में तीन दिन पूर्व सूचना दी जाना पर्याप्त होगी।
- (ठ) समिति की कार्यवाही निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जावेगी।
  - (i) प्रत्येक बैठक की तिथि अध्यक्ष / संयोजक द्वारा निर्धारित की जाएगी।
  - (ii) प्रत्येक बैठक की सूचना, जिसमें समय, बैठक का स्थान और उसमें की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख हो, प्रत्येक सदस्य को बैठक के कम से कम पूरे तीन दिन पूर्व भेजी जाएगी।
  - (iii) सिमिति का अध्यक्ष / संयोजक, जब कभी वह उचित समझे विशेष बैठक बुला सकेगा और कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यापेक्षा प्राप्त होने पर बैठक बुलाने के लिये वह बाध्य होगा।
  - (iv) समिति की प्रत्येक बैठक सामान्यतः मण्डल के मुख्यालय पर होगी तथा गृह निर्माण आयुक्त के अनुमोदन से राज्य के अन्य किसी स्थान पर भी हो सकेगी।
  - (v) किसी बैठक में कोई कामकाज तब तक सम्पादित नहीं किया जायेगा, जब तक कि सदस्यों की कुल संख्या के आधे की गणपूर्ति बैठक में पूरे समय तक न रहें।
  - (vi) प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा और अध्यक्ष / संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
  - (vii) बैठक के कार्यवृत्त में निम्न बातों का उल्लेख होगा :-
  - (अ) उपस्थित सदस्यों के नाम।

- (ब) बैठक में विचार किये गये प्रत्येक प्रश्न पर लिया गया निर्णय और
- (स) यदि निर्णय सर्वसम्मत से न हुआ हो, तो निर्णय के पक्ष में, विपक्ष में तथा तटस्थ रहने वाले सदस्यों का उल्लेख।
- (द) सिमिति की बैठक के समक्ष लाये गये प्रश्नों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चिय किया जायेगा और मत बराबर होने की स्थिति में बैठक के पीठासीन प्राधिकारी का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- (12) प्रशासकीय / तकनीकी अनुमोदन के साथ पुनरीक्षित प्रशासकीय / तकनीकी अनुमोदन देने एवं कार्यों के निष्पादन की शक्तियां :
  - (अ) अधिनियम की धारा 35 के अनुसार गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की वार्षिक योजना तथा संबंधित परियोजनाओं का कियान्वयन परिशिष्ट—1 में निर्दिष्ट शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जायेगा।
  - (ब) जब तक मंडल के किसी आदेश / प्रावधान / अधिसूचना द्वारा कोई सामान्य या विशिष्ट विपरीत प्रावधान न किया जाये, म.प्र.लोक निर्माण मैन्युअल में उल्लेखित नियम तथा प्रक्रिया मण्डल के उन अधिकारियों द्वारा अपनाई जायेगी, जिन्हें संविदा तथा अनुबन्ध निष्पादित करने के लिये अधिकृत किया गया है।
  - (स) जहां भी परिशिष्ट 1 के प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग मैन्युअल के बीच विरोधाभास हो, वहां ये विनियम एवं परिशिष्ट 1 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
  - (द) जहां भी निविदा/अनुबन्ध के प्रावधानों (परिशिष्ट 1 में निर्देशित सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित) एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग मैन्युअल में विरोधाभास हो, निविदा/अनुबन्ध के प्रावधान प्रभावी होंगे।
  - (क) केन्द्र / राज्य शासन के विभाग एवं उनके उपक्रमों द्वारा निर्माण परियोजनाओं के लिए जारी प्रशासकीय अनुमोदन निक्षेप योजना के तहत् कार्य लेने के लिए पर्याप्त होंगें। निक्षेप कार्य लेने के लिए पृथक से मण्डल का प्रशासकीय अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा। निजी संस्थाओं के निक्षेप कार्यों के निष्पादन के लिए परिशिष्ट 1 के अनुसार सक्षम अधिकारी का पूर्व प्रशासकीय अनुमोदन अनिवार्य होगा।

#### (13) ठेकेदारों का पंजीयन:

- (अ) ठेकेदारों का बोर्ड में पृथक पंजीयन नहीं किया जायेगा। मध्यप्रदेश शासन की केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के तहत् पंजीकृत सभी ठेकेदार मण्डल में पंजीकृत माने जायेंगे तथा बोर्ड की निविदाओं में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
- (ब) ऐसे ठेकेदार जो केन्द्र शासन/अन्य राज्य शासन/राज्य एवं केन्द्र शासन के उपक्रमों/संस्थानों में पंजीकृत है, वे भी मध्यप्रदेश शासन के केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीयन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत कर, बोर्ड की निविदाओं में भाग ले सकते हैं। तथापि चयनित निविदाकर्ता से अनुबंध उसके द्वारा मध्यप्रदेश शासन की केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली का पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही निष्पादित किया जायेगा।
- (स) विशिष्ट प्रकार के कार्यों एवं जन निजी भागीदारी के आधार पर ली गई परियोजनाओं में पंजीयन की आवश्यकता लागू नहीं होगी।
- (14) कर्मचारियों का कल्याण तथा आमोद—प्रमोद :

  मण्डल में कल्याण तथा आमोद—प्रमोद समितियों का गठन कार्य संचालन
  निम्न निर्देशानुसार होगा।
  - (अ) सिमितियां : मण्डल में एक कल्याण तथा आमोद—प्रमोद सिमिति मुख्यालय में, वृत्त कार्यालयों तथा प्रत्येक संभाग कार्यालयों में गठित की जायेगी। प्रत्येक सिमिति में पांच सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव तथा कोषाध्यक्ष सिमिति होंगे। सिमिति के सदस्य संबंधित कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा उन्हीं में से निर्वाचित किये जायेंगे। सदस्य निर्वाचन की तिथि से एक वर्ष तक पद पर रहेंगे। किसी स्थान पर दो या अधिक ऐसी संस्थाएं यदि चाहे तो मिलकर एक सिमित बना सकती है।
  - (ब) सिमिति के कृत्यः सिमिति, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कल्याण तथा आमोद—प्रमोद के कार्यकलापों की व्यवस्था करेगी, जिसमें निम्नलिखित सिमिलित होंगे:—
    - (एक) खेलकूद/आंतरिक तथा बाह्य क्रियाकलापों को अग्रसर करने के लिए क्रीड़ाओं तथा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करना।

- (दो) वाचन क्लब खोलना, पंत्रिकायें, पुस्तकें, समाचार-पत्र तथा अन्य नियतकालिक पत्र-पत्रिकायें खरीदना।
- (तीन) कल्याण तथा आमोद—प्रमोद के ऐसे अन्य क्रियाकलाप जो मण्डल द्वारा अनुमोदित किये जाये।
- (स) सिमित की निधियां : सिमिति की निधियों में मंडल द्वारा दिया गया अंशदान तथा अन्य स्त्रोतों से अनुदान और दान भी सिम्मिलित है।
- (द) मंडल का अंशदान : समिति से आवेदन प्राप्त होने पर मंडल द्वारा मुख्यालय समिति के लिये अधिकतम रूपये पच्चीस हजार तथा अन्य कार्यालयों की समितियों के लिये रूपये पांच हजार प्रतिवर्ष कर्मचारियों के कल्याण तथा आमोद—प्रमोद हेतु अंशदान स्वीकृत किया जायेगा, बशर्ते कि उक्त राशि का कम से कम पचास प्रतिशत पूर्व वित्त वर्ष में कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया गया हो, यदि उक्त राशि पचास प्रतिशत से कम रहती है, तो उसी अनुपात में मंडल अंशदान कम किया जायेगा। यदि किसी स्थान पर दो या अधिक संस्थायें मिलकर एक समिति बना लेती है, तो मंडल अंशदान की गणना इस प्रकार की जायेगी, जैसा कि वे अलग—अलग संस्थायें हों।
- (इ) <u>लेखे</u> : समिति समुचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और प्राप्तियों तथा व्यय का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी। समिति के लेखाओं की जांच मण्डल के मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा की जायेगी।

#### (15) संघों का गठन :

मण्डल निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मण्डल के कर्मचारियों के एक या अधिक संघों को मान्यता देने का अधिकार सुरक्षित रखता है :--

- (i) उक्त संघ, सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन सम्यक रूप से पंजीकृत होगा।
- (ii) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मण्डल का कर्मचारी न हो, ऐसे किसी संघ का पदाधिकारी नहीं होगा।
- (iii) संघ का संविधान मण्डल के अनुमोदन के अध्ययीन होगा।
- (iv) संघ के लेखे ऐसी संपरीक्षा के अध्ययीन होंगे जैसा कि आयुक्त विहित करें।
- (v) संघ की गतिविधियां मण्डल के हित में होंगी।
- (vi) संघ के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह अपने संविधान, विशेष रूप से चुनाव संबंधित प्रक्रिया का पालन करेगा और अपने व्यय तथा लेखों में पारदर्शिता बरतेगा।

- (vii) मंडल को यह अधिकार होगा कि वह किसी संघ को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसकी मान्यता वापस ले लें। इस प्रकार मान्यता वापस ले लेने का प्रभाव यह होगा कि संघ अपने आप विघटित हो जायेगा।
- (16) शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी सामान्य प्रावधान :
  - (अ) जो शक्तियां विशिष्ट रूप से अध्यक्ष, गृह निर्माण आयुक्त अथवा मण्डल के अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित नहीं की गई है, उनका उपयोग मण्डल द्वारा किया जायेगा।
  - (ब) गृह निर्माण आयुक्त परिशिष्ट 1 के अनुसार स्वयं को अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों को, जब भी आवश्यक हो, अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
  - (स) परिशिष्ट 1 में उल्लेखित वित्तीय शक्तियां/सीमाऐं मण्डल द्वारा समय-समय पर अथवा तात्कालिक परिस्थितियों अनुसार संशोधित/ संवर्धित/कम की जा सकती हैं।
  - (द) गृह निर्माण आयुक्त के अधीनस्थ अधिकारी परिशिष्ट 1 में उल्लेख के अनुसार अपनी वित्तीय शक्तियों का उपयोग बजट की उपलब्धता के अधीन करेंगे।
  - (क) परिशिष्ट 1 के अनुसार सभी अधिकारी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार स्वीकृतियां देते समय स्व-विवेक (Prudence) का उपयोग करेंगे।
  - (स) यदि प्राधिकृत अधिकारी स्वयं लाभार्थी है, तो ऐसे निर्णय एक श्रेणी उच्चतम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

#### (17) व्याख्याः

इन नियमों का अथवा इनके परिशिष्टों के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद के संबंध में विचारों की भिन्नता के फलस्वरूप यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब उसके अंग्रेजी अनुवाद को ही मान्य किया जायेगा, जो कि अधिकृत विधि सम्मत अनुवाद है।

## परिशिष्ट – एक

## शक्तियों का हस्तांतरण

## अनुक्रमणिका

क्रमांक	अनुभाग	उप अनुभाग	भाग	पृष्ठ कमांक
1	I . प्रशासन	अ – स्थापना से	1.प्रशासकीय इकाइयों	16
		संबंधित मामले	का सृजन/ निर्माण	
			2 भर्ती एवं प्रशिक्षण	17
			3. नियुक्ति एवं पदोन्नति	19
			4 वेतन एवं वेतन	21
			वृद्धियाँ	
			5. अनुशासनात्मक	23
			कार्यवाही	
			6.रथानांतरण एवं	26
	,		पदस्थापना	
			7. अवकाश	27
			<ol> <li>दौरा एवं यात्रा भत्ता</li> </ol>	30
			9. सेवानिवृत्ति	35
}			10. चिकित्सा सुविधाएँ	38
			11. स्थापना से संबंधित	41
		,	विभिन्न मामले	
		ब – स्थापना से इत	ार मामले	42
2	II- विधिक मामले			51
3	III- सम्पदा एवं	अ. भू—प्रबंधन		55
	भू—प्रबंधन	ब. सम्पदा प्रबंधन	1. स्व-वित्तीय योजना	59
			2. भाड़ाक्रय योजना	62
			3. ऑफर के माध्यम से	63
			सम्पत्ति का विक्रय	
			4. जुडी हुई भूमि का	65
		·	आवंटन	
			5. विविध	67

4	4. वित्त एवं लेखा	ा तज्ञ	68
4	्रमः ।परत ९५ लखा	ब. निधि प्रबंधन	69
		स. संसाधनों का उपयोग / परिचालन	72
		द. रोकड़ बही / मुख्य लेजर / सहायक	73
		लेजर / मनी-रसीद बुक एवं बैंक समाधान /	
		तुलन-पत्रक	and but
5.	5. अंकेक्षण /	अ. वैधानिक अंकेक्षण	75
	लेखा परीक्षण	ब. आंतरिक अंकेक्षण	76
6		ए. प्रशासकीय अनुमोदन	77
	एवं तकनीकी '		
	मामलें		
	,	बी. तकनीकी स्वीकृति	81
		सी. निविदा आमंत्रण सूचना का अनुमोदन	83
		डी. निविदा आमंत्रण	84.
		इ. निविदा अनुमोदन ।	85
		एफ. परियोजना की निगरानी	88
		जी. सलाहकारों एवं शासकीय अभिकरणों को	90
		भुगतान	
	,	एच. निर्माण अनुबंधों का प्रबंधन	91
		आई. परियोजनाओं 1. परियोजनाओं का	93
		का निर्माण निर्माण	
		2. बाह्य स्त्रोत के	94
		माध्यम से परियोजनाओं	•
		का निर्माण	:
		3. परियोजना प्रबंधन	95
		सलाहकार	
		जे. जन निजी भागीदारी परियोजनाएं	96
7	अर्जुन फिटनेस क्ल		97
8	सूचना एवं प्रौद्योगि	की	99
9	निरीक्षण		100

#### अनुभाग 1 – प्रशासन

## उप अनुभाग-अ - स्थापना मामले

## भाग-1 - प्रशासकीय इकाइयों का सृजन / निर्माण

क्रमांक		प्राधिकारी	सीमाएं
1	वृत्त कार्यालयों का	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां
	सृजन / निर्माण / समाप्ति एवं		
	उनके मुख्यालय का निर्धारण एवं	·	
	परिवर्तन		
2	संभाग / उप संभाग कार्यालयों का	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	सृजन / निर्माण / समाप्ति एवं		
	उनके मुख्यालय का निर्धारण एवं परिवर्तन		
	पारवतन संस्था की संगठनात्मक संरचना		पूर्ण शक्तियां
3	का निर्माण / विद्यमान संरचना का	विवालक मुख्य	पूर्व सावराचा
	परिवर्तन / प्रति स्थापन या		
	संगठनात्मक संरचना के किसी		
	भाग को समाप्त करना, पदों का		
	सृजन / समाप्ति सहित		
4	मुख्यालय में वित्तीय भार	आयुक्त .	पूर्ण शक्तियां
•	सहित / बिना वित्तीय भार के		
:	शाखाओ / कार्यकारी ईकाइयों का	·	
	सृजन/ परिवर्तन एवं समाप्ति		
5	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय इकाइयों में	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	विभिन्न कार्यकारिणी समितियों का		
	गठन		
. 6	सलाहकारों / सलाहकार संस्थाओं	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	की नियुक्ति		
7	केन्द्र / राज्य शासन के विभागों से	1. आयुक्त	1. पूर्ण शक्तियां पद
	अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति		की उपलब्धता के
			अधीन
	rian artifat at not mon	2. संचालक मंडल	2. पूर्ण शक्तियां पूर्ण शक्तियां
8	मंडल कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति	आयुक्त	पूरा सामराया
	पर जाने की अनुमति (समयावधि में वृद्धि सहित)		,
9	म वृद्धि साहत) स्वीकृत संगठनात्मक ढांचे के	अगरात्स्त	पूर्ण शक्तियां
9	अंतर्गत पदों का पुनर्गठन	आयुक्त	्राप्राप्रापा
	जाराचा वया वया व्याचन		

# भाग-2 - भर्ती एवं प्रशिक्षण

क्रमांक	अधिकार की प्रकृति	प्राधिकारी	सीमा
1	भर्ती विनियम निर्माण	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां
,		राज्य शासन के	6
		अनुमोदन से	
2	वार्षिक भर्ती योजना का	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां
	अनुमोदन	•	
3	भर्ती संस्थाओं का चयन एवं	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां
	नियुक्ति		
4	आवश्यकता अनुसार भर्ती	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	विज्ञापन का अनुमोदन		
5	भर्ती संस्थाओं का अनुमोदन एवं	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
	बजट प्रावधानों के तहत् भर्ती	अधिकारी	
	संस्थाओं को देय शुल्क का		
	मापदण्ड के अनुसार अनुमोदन		
6	बाह्य एजेन्सी के माध्यम से भर्ती	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	के मामले में पर्यवेक्षक की		
	नियुक्ति (जहाँ आवश्यक हो) या	·	
	मण्डल स्तर पर भर्ती के लिए		·
	भर्ती प्रक्रिया हेतु समिति का		
	गठन		
7	नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	अंतिम चयन सूची का अनुमोदन		
8	नियुक्ति आदेश जारी करना	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
		अधिकारी	
9	वार्षिक भर्ती प्रकिया का समापन	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
10	वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	अनुमोदन		
11	प्रशिक्षण हेतु कार्मिकों का	1. मुख्य प्रशासकीय	1. द्वितीय, तृतीय
	नामांकन	अधिकारी	एवं चतुर्थ श्रेणी
			कर्मचारियों हेतु
			पूर्ण शक्तियां
		2. आयुक्त	2. पूर्ण शक्तियां
12	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं को	1. मुख्य प्रशासकीय	1. स्वीकृत
	प्रशिक्षण व्यय की स्वीकृति	अधिकारी	वार्षिक प्रशिक्षण
			कार्यक्रम के
			अंतर्गत

			पूर्ण शक्तियां
		2. आयुक्त	2. पूर्ण शक्तियां
13	शासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं से	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	प्रशिक्षण हेतु अनुबंध निष्पादन		
14	स्वीकृत वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण	·	
	कार्यक्रमों में मंडल कार्मिकों को		
	भाग लेने की स्वीकृति		
15	मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	कार्यक्रमों हेतु विषय विशेषज्ञों के		
	मानदेय का निर्धारण		
16	मण्डल स्तर पर आयोजित	मुख्यं प्रशासकीयः	पूर्ण शक्तियां
	प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों को	अधिकारी	
***************************************	मानदेय भुगतान की स्वीकृति		
17	परिवीक्षा अवधि में वृद्धि	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
18	परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक	1. आयुक्त (कार्मिक	1. पूर्ण शक्तियां
	पूर्ण करने पर कार्मिकों की सेवा	प्रबंधन समिति की	
	का नियमितिकरण	अनुशंसा पर)	
		2.मुख्य प्रशासकीय	2. पूर्ण शक्तियां
	,	अधिकारी (कार्मिक	तृतीय एवं चतुर्थ
		प्रबंधन समिति की	श्रेणी कर्मियों
		अनुशंसा पर)	हेतु (उपयंत्रियों
			को छोड़कर)

# भाग-3 - नियुक्ति एवं पदोन्नति

कमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	विभागीय कनिष्ठ चयन/	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	पदोन्नति समिति का गठन		
2	सीधी भर्ती / पदोन्नति से	1. संचालक	1. पूर्ण शक्तियां
	नियुक्ति	मंडल	अपर आयुक्त हेतु
	, C		(विभागीय पदोन्नति
			समिति की
			अनुशंसा पर)
		2. आयुक्त	2. पूर्ण शक्तियां
			समस्त अन्य
			अधिकारी / कर्मचारी
			हेतु (विभागीय
			पदोन्नति समिति
			की अनुशंसा पर)
			1

<b></b>			<del>, , , , ,</del> , ,
3	अनुकम्पा नियुक्ति के लिए राज्य	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	शासन द्वारा निर्धारित नीति के	(कार्मिक	
	तहत् भर्ती एवं अनुदान प्रदान	प्रबंधन समिति	
	करना	की अनुशंसा के	
		आधार पर)	
4	वरिष्ठता पर विचार किये बिना	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	समस्त अर्हताऐं पूर्ण करने की	·	
	रिथति में उच्च पद का चालू		
	प्रभार देना	• .	
5	पदोन्नति / स्थानांतरण / अवकाश	1. आयुक्त	1. पूर्ण शक्तियां
	एवं सेवानिवृत्ति पर वैकल्पिक	5	
	व्यवस्था	2. मुख्य	2. पूर्ण शक्तियां
-		प्रशासकीय	उपायुक्त से निम्न
	·	अधिकारी	पद के अधिकारियों
			के मामले में
		।   3. उपायुक्त,	3. पूर्ण शक्तियां
		वृत्त	उनके अधिकार
		1 500	क्षेत्र के अंतर्गत
			द्वितीय, तृतीय एवं
			चतुर्थ श्रेणी
			कार्मिकों के मामले
			में
6	कार्मिकों की अंतरिम वार्षिक	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
	वरिष्ठता सूची का प्रकाशन	अधिकारी	
7	वार्षिक वरिष्ठता सूची में	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
	लिपिकीय त्रुटियों का सुधार	अधिकारी	
8	वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता	नियुक्तिकर्ता	पूर्ण शक्तियां
	निर्धारण हेतु दावा/प्रस्तुतीकरण		
	पर निर्णय	(कार्मिक प्रबंधन	
		समिति की	·
		अनुशंसा के	
		आधार पर )	
9	अंतिम वार्षिक वरिष्ठता सूची का	<del> </del>	पूर्ण शक्तियां
	प्रकाशन	अधिकारी	C
		-11 11 11 11 11	
[			

# भाग-4 - वेतन एवं वेतनवृद्धि

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	वेतन का आहरण एवं संवितरण	1.लेखा	1. पूर्ण शक्तियां
		अधिकारी(देयक)	मुख्यालय के कार्मिकों
			एवं वृत्त कार्यालय के
			उपायुक्त हेतु
		2. लेखा	2. पूर्ण शक्तियां वृत्त
		अधिकारी	कार्यालय के कार्मिकों
		(वृत्त)	एवं अधीनस्थ इकाई
		- -	के कार्यपालन
			यंत्री / सम्पत्ति
			अधिकारी हेतु
		3. कार्यपालन	3. पूर्ण शक्तियां
		यंत्री / सम्पत्ति	अधिकार क्षेत्र के
		अधिकारी	अंतर्गत अधीनस्थ
			समस्त कार्मिकों हेत्
2	मूलभूत नियम 24 के अंतर्गत	1.मुख्य	1. पूर्ण शक्तियां
	समस्त पात्र कार्मिकों को	प्रशासकीय	۵
	वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति	अधिकारी	
	m rate and i great great the great	2. उपायुक्त(वृत्त)	2. पूर्ण शक्तियां
·	·		वृत्त कार्यालय के
			सम्पूर्ण कार्मिक एवं
			क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
			प्रथम / द्वितीय श्रेणी
			के अधिकारियों हेतु
		3. कार्यपालन	3. पूर्ण शक्तियां उनके
		यंत्री / सम्पत्ति	कार्यालय से संबंधित
		अधिकारी	सम्पूर्ण कार्मिक,
		01199711	प्रथम / द्वितीय श्रेणी
			के अधिकारियों को
		·	छोडकर
3	राज्य शासन की नीति के तहत्	1 HJ27	1. पूर्ण शक्तियां
3	नसबंदी आपरेशन के मामले में	1.मुख्य   प्रशासकीय	मुख्यालय से संबंधित
	विशेष वेतनवृद्धि की स्वीकृति	अधिकारी अधिकारी	समस्त कार्मिकों हेतु
	ापराप पराभग्नाव्ध यम स्पाव्या	। जावपगरा	विभागत विभागवर्ग वृत
	ATT		

	TO 10	pay	
·		2. उपायुक्त(वृत्त)	2. पूर्ण शक्ति वृत्त
			कार्यालय के
		•	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
			समस्त कार्मिकों हेतु
4	नियमित कार्मिकों को उच्च	१.मुख्य	1. पूर्ण शक्तियां
	वेतनमान / समयमान वेतनमान	प्रशासकीय	मुख्यालय के समस्त
,	की स्वीकृति	अधिकारी	कार्मिकों एवं मुख्यालय
		(कार्मिक प्रबंधन	से अन्यत्र प्रथम /
		समिति की	द्वितीय श्रेणी के
		अनुशंसा पर)	अधिकारियों हेतु
		2. उपायुक्त	2. पूर्ण शक्तियां
		(वृत्त स्तर की	वृत्त कार्यालय के
		कार्मिक प्रबंधन	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
		समिति की	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी
		अनुशंसा पर)	कार्मिकों हेतु
5	वेतनवृद्धि हेतु असाधारण	मुख्यं प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
	अवकाश की अवधि की गणना	अधिकारी	
6	मूलभूत नियम 17 के प्रावधान	आहरण एव	पूर्ण शक्तियां
	के अन्तर्गत उपस्थिति प्राप्त न	संवितरण	
	होने अथवा अवकाश स्वीकृत न	अधिकारी,	
	होने पर वेतन रोकने की शक्ति	नियंत्रण अधिकारी	,
٠.		से सूचना प्राप्त	
		होने पर	
7	दुरूह प्रकृति के कार्य निष्पादन	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
-	करने पर मानदेय की स्वीकृति		
8	वेतन आयोग की अनुशंसा,	मुख्य अंकेक्षण	पूर्ण शक्तियां
	समयमान वेतन, पदोन्नति आदि	अधिकारी	
-	पर वेतन निर्धारण का अनुमोदन		

## भाग-5 - अनुशासनात्मक कार्यवाही

क्रमां	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
क			
1	म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966	1.संचालक मंडल	1. पूर्ण शक्तियां
	के नियम 10 के तहत् शास्ति का अधिरोपण	2. आयुक्त	2. पूर्ण शक्तियां अपर आयुक्त के
			प्रकरण में दीर्घशास्ति को छोडकर
		3. मुख्य प्रशासकीय	छ। इकर 3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को
		अधिकारी	लघुशास्ति अधिरोपण की पूर्ण
		4. उपायुक्त(वृत्त)	शक्तियां 4. वृत्त के अन्तर्गत समस्त तृतीय
			(उपयंत्रियों को छोड़कर) एवं चतुर्थ
			श्रेणी कार्मिकों को लघुशास्ति
			अधिरोपण की पूर्ण शक्तियां
2	म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 11 के तहत् दण्ड का अधिरोपण	नियंत्रणकर्ता अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
3	म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966	1. आयुक्त	1. पूर्ण शक्तियां
	के नियम 9 के तहत् कार्मिकों का निलम्बन	2. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	2. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के मामलों में पूर्ण
			शक्तियां

3. उपायुक्त(वृत्त) 3. वृत्त के 3 समस्त तृतीय (उपयंत्रियों व छोड़कर) एवं श्रेणी कार्मिक मामलो में पूर्ण शिक्तयां  4. अधिरोपित दण्ड एवं निलम्बन आदेशित करने पूर्ण शिक्तयां पूर्ण शिक्तयां पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	प्र को पंचतुर्थ जो के पं
(उपयंत्रियों व छोड़कर) एवं श्रेणी कार्मिक मामलो में पू शक्तियां 4. अधिरोपित दण्ड एवं निलम्बन आदेशित करने पूर्ण शक्तियां आदेश के विरूद्ध दायर अपील वाले प्राधिकारी से पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	को i चतुर्थ जो के र्ण
थे छोड़कर) एवं श्रेणी कार्मिक मामलो में पू शक्तियां 4. अधिरोपित दण्ड एवं निलम्बन आदेशित करने पूर्ण शक्तियां आदेश के विरूद्ध दायर अपील वाले प्राधिकारी से पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	ं चतुर्थ जे के र्ण
श्रेणी कार्मिक मामलो में पू शक्तियां 4. अधिरोपित दण्ड एवं निलम्बन आदेशित करने पूर्ण शक्तियां आदेश के विरूद्ध दायर अपील वाले प्राधिकारी से पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	तो के र्ण
4. अधिरोपित दण्ड एवं निलम्बन आदेशित करने पूर्ण शक्तियां आदेश के विरूद्ध दायर अपील वाले प्राधिकारी से पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	र्ण
4. अधिरोपित दण्ड एवं निलम्बन आदेशित करने पूर्ण शक्तियां आदेश के विरूद्ध दायर अपील वाले प्राधिकारी से पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	` 
4. अधिरोपित दण्ड एवं निलम्बन आदेशित करने पूर्ण शक्तिया आदेश के विरूद्ध दायर अपील वाले प्राधिकारी से पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	†
आदेश के विरूद्ध दायर अपील वाले प्राधिकारी से पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	Ť
आदेश के विरूद्ध दायर अपील वाले प्राधिकारी से पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	
पर निर्णय एक उच्च श्रेणी के प्राधिकारी।	
प्राधिकारी ।	I
माननीय अध्यक्ष	
/आयुक्त द्वारा	
पारित आदेशों के	
मामलो में अपील	
पर सुनवाई एवं	
निर्णय संचालक	
मंडल द्वारा अथवा	
गठित समिति द्वारा	
लिया जाएगा।	
संचालक मंडल	
द्वारा जारी आदेशों	
के मामलों में	
अपील पर सुनवाई एवं निर्णय राज्य	
शासन द्वारा लिया	. ,
जाएगा।	
5 म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, 1. संचालक मंडल 1. पूर्ण शिव	. 1
नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 राज्य शासन	
के नियम 29 के तहत् पुनर्विलोकन	
निलम्बन / शास्ति आदेशों का अनुमित प्राप	
पुनर्विलोकन के उपरांत।	
2. आयुक्त 2. पूर्ण शिव	_
संचालक मं	
पुनर्विलोकन	
अनुमति प्राप	
के उपरांत।	

		3. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी /	3. पूर्ण शक्तियां, आयुक्त से पुनर्विलोकन की
		उपायुक्त	अनुमति प्राप्त होने के उपरांत।
6	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अथवा किन्हीं अन्य प्रचलित विधियों के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति	नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी	पूर्ण शक्तियां
7	म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9(2) के तहत् सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुमति प्रदान करने की शक्ति	अध्यक्ष	पूर्ण शक्तियां

## भाग- 6 - स्थानांतरण एवं पदस्थापना

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	स्थानांतरण नीति का निर्धारण अथवा राज्य शासन की स्थानांतरण नीति का अंगीकरण।	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां
2	पदस्थापना एवं स्थानांतरण आदेश, उनमें संशोधन / निरस्तीकरण सहित	<ol> <li>आयुक्त</li> <li>मुख्य प्रशासकीय</li> <li>अधिकारी</li> </ol>	1. पूर्ण शक्तियां 2. स्थानांतरण नीति के अनुसार तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के मामलों में पूर्ण शक्तियां,
		3. उपायुक्त, वृत्त	3. स्थानांतरण नीति के अनुसार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के मामलों में पूर्ण शक्तियां,

#### भाग- ७ - अवकाश

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित आकरिमक /ऐच्छिक अवकाश की स्वीकृति	1.आयुक्त	1. अपर आयुक्त, मुख्यालय के शाखा प्रमुख एवं समस्त उपायुक्त के मामलों में पूर्ण शक्तियां।
		2. नियंत्रणकर्ता अधिकारी	2. क्षेत्राधिकार के समस्त कार्मिकों के मामलों में पूर्ण शक्तियां।
2	अर्जित अवकाश, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश एवं पितृत्व अवकाश की	1.आयुक्त	1. अपर आयुक्त, मुख्यालय के शाखा प्रमुख एवं समस्त उपायुक्तों के मामलों में पूर्ण शक्तियां ।
`	स्वीकृति	2. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	2. उपरोक्त को छोड़कर मुख्यालय के समस्त कार्मिकों एवं अन्य प्रथम श्रेणी के अधिकारी के मामलों में पूर्ण शक्तियां
		3. उपायुक्त(वृत्त)	3. वृत्त के क्षेत्राधिकार के तहत समस्त द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के मामलों में पूर्ण शक्तियां।
		4. कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी	4. अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के मामलों में पूर्ण शक्तियां

production and a second			
3	असाधारण अवकाश एवं अदेय अवकाश की स्वीकृति	1.आयुक्त	1. अपर आयुक्त, मुख्यालय के शाखा प्रमुख एवं समस्त उपायुक्त के मामलों में पूर्ण शक्तियां।
		2. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	2. उपरोक्त को छोड़कर मुख्यालय के समस्त कार्मिक एवं अन्य प्रथम श्रेणी के अधिकारी के मामलों में पूर्ण शक्तियां।
		3. उपायुक्त(वृत्त)	3. अधिकार क्षेत्र के तहत समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के मामलों में पूर्ण शक्तियां। (असाधारण अवकाश की अवधि को वेतनवृद्धि हेतु गणना में शामिल की जाने को छोड़कर)
4	अध्ययन अवकाश की स्वीकृति।	आयुक्त	पूर्ण शक्तिया
5	कर्तव्य पर रहते हुये उच्च अध्ययन हेतु अनुमति।	1. आयुक्त	1. प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में पूर्ण शक्तियां।
		2. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	2. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के मामलों में पूर्ण शक्तियां।
		3. उपायुक्त(वृत्त)	3. तृतीय श्रेणी (उपयंत्रियों को छोडकर) एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिको के मामलों में पूर्ण शक्तियां।

## भाग–८ – दौरा एवं यात्रा भत्ता

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	प्रदेश के बाहर शासकीय कार्य हेतु	अध्यक्ष	पूर्ण शक्तियां
	अध्यक्ष एवं उनके कार्यालय सहायकों		
	को दौरे पर जाने की अनुमति।	·	
2	प्रदेश के बाहर शासकीय कार्य हेतु	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	आयुक्त को दौरे पर जाने की	·	राज्य शासन से
-	अनुमति।		अनुमोदन प्राप्त होने की स्थिति में
3	मासिक दौरा कार्यक्रम एवं आकरिमक	1. आयुक्त	1.अपर आयुक्त एवं
	दौरों का अनुमोदन।		मुख्यालय के समस्त
			शाखा प्रमुख के मामलों में पूर्ण शक्तियां
		2. मुख्य	2. समस्त उपायुक्तों के
		प्रशासकीय	मामलों में पूर्ण शक्तियां
ĺĺ		अधिकारी	
		3.उपायुक्त(वृत्त)	3. उनके क्षेत्राधिकार के
			अंतर्गत समस्त कार्मिकों
			के मामलों में पूर्ण
			शक्तियां
4	यात्रा अग्रिम की स्वीकृति।	1. मुख्य लेखा अधिकारी	1. मुख्यालय के समस्त कार्मिकों हेतु पूर्ण
-		जावपगरा	। शक्तियां
		   2. संबंधित	2. उनके अधिकार क्षेत्र
		आहरण एवं	के अंतर्गत कार्मिकों हेतु
		संवितरण	पूर्ण शक्तियां
	•	अधिकारी	
5	यात्रा देयक पर प्रतिहस्ताक्षर	1.मुख्य लेखा	1. अपर आयुक्त,
		अधिकारी	मुख्यालय के समस्त
			शाखा प्रमुख एवं
			उपायुक्तों हेतु पूर्ण शक्तियां
		2. मुख्यालय के	2. उनकी शाखा से
		समस्त शाखा	संबंधित कार्मिकों हेतु पूर्ण
		प्रमुख	शक्तियां

		3.उपायुक्त(वृत्त)	3. वृत्त कार्यालय के समस्त कार्मिकों एवं कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी हेतु पूर्ण
		4. कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी।	शक्तियां 4. उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
6	यात्रा देयक को पारित करने का अधिकार।	1. लेखा अधिकारी(देयक)	1. मुख्यालय के समस्त कार्मिकों एवं समस्त उपायुक्तों हेतु पूर्ण शक्तियां
		2. लेखा अधिकारी(वृत्त)	2. वृत्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त कार्मिकों एवं कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी हेतु पूर्ण शक्तियां
		3. कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी	3. उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
7	क्षेत्राधिकार के बाहर परन्तु राज्य के भीतर यात्रा करने की स्वीकृति	1.मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	1. समस्त उपायुक्त हेतु पूर्ण शक्तिया
		2.उपायुक्त(वृत्त)	2. उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
8	राज्य के बाहर, किन्तु भारत में यात्रा करने की अनुमति।	<ol> <li>आयुक्त</li> <li>मुख्य प्रशासकीय अधिकारी</li> </ol>	1. पूर्ण शक्तियां 2. अपर आयुक्त एवं मुख्यालय के शाखा प्रमुखों को छोड़कर समस्त कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां

	10 दिवस से अधिक एक ही स्थान पर	मुख्य लेखा	पूर्ण शक्तियां
9	ठहरने के मामले में यात्रा भत्ता (दैनिक	अधिकारी	पुरा सावसावा
	•	आवपगरा	
	भत्ता एवं आवास भत्ता) की स्वीकृति		4 mf arGani
10	सबसे किफायती एवं न्यूनतम दूरी के	1. मुख्य	1. पूर्ण शक्तियां
	मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग से	प्रशासकीय	
	वास्तविक यात्रा का अनुमोदन।	अधिकारी	•
		2. उपायुक्त	2 उनके अधिकार क्षेत्र के
			अंतर्गत समस्त कार्मिकों
			हेतु पूर्ण शक्तियां
11	टिकिट निरस्तीकरण प्रभार की	1. लेखा	1. मुख्यालय के समस्त
	प्रतिपूर्ति ।	अधिकारी(देयक)	कार्मिकों एवं समस्त
			उपायुक्त हेतु पूर्ण
			शक्तियां
		·	
		2. लेखा	2. उनके अधिकार क्षेत्र
		अधिकारी(वृत्त)	के अंतर्गत समस्त
			कार्मिकों एवं कार्यपालन
			यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी
1			हेतु पूर्ण शक्तियां
,			
		3. कार्यपालन	3. उनके अधिकार क्षेत्र
	e. f	यंत्री / सम्पत्ति	के अंतर्गत समस्त
		अधिकारी	कार्मिकों हेतु पूर्ण
			शिक्तयां
12	कालातीत यात्रा देयकों की स्वीकृति	मुख्य लेखा	पूर्ण शक्तियां
'		अधिकारी	0
13	पात्रता से उच्च श्रेणी / साधन से यात्रा	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
	करने की अनुमति	अधिकारी	•
14	निम्न श्रेणी के कार्मिकों द्वारा अपने	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
'7	उच्च अधिकारी के साथ यात्रा करने	अधिकारी	
	पर समान श्रेणी के किराया का दावा	211-1-4-1-71	
	मान्य करने की स्वीकृति।		
15	मण्डल के कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
10	व्यक्ति द्वारा मंडल के मामलो में यात्रा	अधिकारी	6 111011
	करने पर यात्रा एवं यात्रा भत्ते के	MISSAUL	
	देयक की स्वीकृति।	1	The second secon

यालय के अपर त एवं शाखा प्रमुखों र्ण शक्तियां के अधिकार क्षेत्र गर्गत समस्त हों हेतु पूर्ण
र्ण शक्तियां के अधिकार क्षेत्र गर्गत समस्त हों हेतु पूर्ण
के अधिकार क्षेत्र गर्गत समस्त हों हेतु पूर्ण
ार्गत समस्त हों हेतु पूर्ण
ार्गत समस्त हों हेतु पूर्ण
ार्गत समस्त हों हेतु पूर्ण
नों हेतु पूर्ण
या
ाक्तियां <u> </u>
व्यालय हेतु पूर्ण
यां अपर आयुक्त
ाखा प्रमुखों को
लेत करते हुए।
कि अधिकार क्षेत्र
तर्गत समस्त
कों एवं कार्यपालन
' सम्पत्ति अधिकारी
र्ण शक्तियां
के अधिकार क्षेत्र
तर्गत समस्त
कों हेतु पूर्ण
यां
<u>ब्यालय के समस्त</u>
कों एवं समस्त
क्त हेतु पूर्ण
यां
धेकार क्षेत्र के
त समस्त कार्मिकों
गर्यपालन यंत्री /
त्त अधिकारी हेतु
गक्तियां
वेकार क्षेत्र के
त समस्त कार्मिकों
र्ण शक्तियां

# भाग-9 - सेवानिवृत्ति

	0.TD	11167-1-17	
क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
4	मंडल कार्मिकों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति	1. मुख्य प्रशासकीय	<ol> <li>समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी एवं मुख्यालय के</li> </ol>
	की स्वीकृति।	अधिकारी	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
		2. उपायुक्त (वृत्त)	2. पूर्ण शक्तियां अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी के अधिकारी एवं वृत्त कार्यालय से संबंधित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक।
		3 कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी	3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
2	रवैच्छिक सेवानिवृत्ति/	1. आयुक्त	1. पूर्ण शक्तियां
	त्यागपत्र की स्वीकृति।	2 मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	2. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
3	लोकहित में मण्डल क़ार्मिकों को 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो	1. संचालक मंडल 2 आयुक्त	<ol> <li>पूर्ण शक्तियां</li> <li>अपर आयुक्त के मामले को छोड़कर पूर्ण शक्तियां</li> </ol>
	बिना कोई कारण दर्शाये सूचना देकर सेवानिवृत्त करना		
4	मंडल के समस्त कार्मिकों को पेंशन, परिवार पेंशन, मृत्यु सह	मुख्य लेखा अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
-	जिपादान राशि (जहाँ लागू हो) की स्वीकृति		
5	सेवा में रहते हुये मण्डल कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह राशि की स्वीकृति एवं भुगतान	1. लेखा अधिकारी(देयक)	<ol> <li>मुख्यालय के समस्त कार्मिक एवं समस्त उपायुक्त वृत्त के मामलो में पूर्ण शक्तियां</li> </ol>

Γ			
		2. लेखा	2. वृत्त कार्यालय के
		अधिकारी(वृत्त)	समस्त कार्मिक एवं
	,		कार्यपालन यंत्री / संपत्ति
•			अधिकारी के मामलो में पूर्ण
			शक्तियां
		3 कार्यपालन	3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत
		यंत्री / सम्पत्ति	समस्त कार्मिकों के मामलो
		अधिकारी	में पूर्ण शक्तियां
6	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश	1 मुख्य	1. मुख्यालय से संबंधित
	नगदीकरण की स्वीकृति	प्रशासकीय	समस्त कार्मिक एवं समस्त
	विविद्यालया वर्ग स्वायुक्तरा	अधिकारी	उपायुक्त के मामलो में पूर्ण
		जायपगरा	शक्तियां
			KIIMVIMI
		2. उपायुक्त	2. वृत्त कार्यालय के
			समस्त कार्मिक एवं
		(वृत्त)	1
			कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति
			अधिकारी के मामलो में पूर्ण
			शक्तियां
		3. कार्यपालन	3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत
		यंत्री / सम्पत्ति	समस्त कार्मिकों के मामलो
		अधिकारी	में पूर्ण शक्तियां
7	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश	1. लेखा	1. मुख्यालय के समस्त
	नगदीकरण का भुगतान	अधिकारी (देयक)	कार्मिक एवं समस्त
			उपायुक्त के मामलो में पूर्ण
			शक्तियां
		2. लेखा	2. वृत्त कार्यालय के
		अधिकारी (वृत्त)	समस्त कार्मिक एवं
		, ,	अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत
	·		कार्यपालन यंत्री / संपत्ति
			अधिकारी के मामलो में पूर्ण
			शिक्तयां
			NI TANTA
		। 3 कार्यपालन	3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत
		यंत्री / सम्पत्ति	समस्त कार्मिकों के मामलो
	·	अधिकारी	में पूर्ण शक्तियां
		1 01144/1/1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8	मण्डल की सेवा में रहते हुए दैनिक वेतन भोगी / कार्यभारित कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुकंपा अनुदान राशि की स्वीकृति	1 मुख्य प्रशासकीय अधिकारी 2. उपायुक्त (वृत्त)	<ol> <li>मुख्यालय से संबंधित दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के मामलो में पूर्ण शक्तियां</li> <li>अधिकार क्षेत्र के संबंधित दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के मामलो में पूर्ण शक्तियां</li> </ol>
9	समुह बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा निगम / कम्पनी को दावा प्रकरण अग्रेषित करना	<ul><li>1 मुख्य लेखा</li><li>अधिकारी</li><li>2.उपायुक्त(वृत्त)</li><li>3 कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति</li><li>अधिकारी</li></ul>	1. मुख्यालय में पदस्थ समस्त कार्मिकों के मामलो में पूर्ण शक्तियां 2. वृत्त कार्यालय में पदस्थ समस्त कार्मिकों के मामलो में पूर्ण शक्तियां 3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पदस्थ समस्त कार्मिकों के मामलो में पूर्ण शक्तियां
10	सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना	मुख्य लेखा अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
11	सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान	लेखा अधिकारी (सामान्य भविष्य निधि)	पूर्ण शक्तियां
12	पेंशन निर्धारण का अनुमोदन।	मुख्य अंकेक्षण अधिकारी	पूर्ण शक्तियां

# भाग-10 - चिकित्सा सुविधा

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की	1. लेखा	1. मुख्यालय के
	रवीकृति एवं भुगतान के	अधिकारी(देयक)	समस्त कार्मिकों एवं
	अधिकार।	,	समस्त उपायुक्त हेतु
1	निम्न शर्तों के अधीन :		पूर्ण शक्तियां
	(अ) म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त के समस्त
	परिचर्या) नियम 1958 के तहत		कार्मिकों एवं
	एवं राज्य शासन द्वारा तय की		अधिकार क्षेत्र के
	गई सीमा तक।	•	कार्यपालन यंत्री /
	(ब) राज्य शासन द्वारा तय की		सम्पत्ति अधिकारी
	गई उक्त सीमा से अधिक		'एवं समस्त द्वितीय,
	सिविल सर्जन की अनुशंसा पर	,	तृतीय एवं चतुर्थ
	(स) निजी चिकित्सालय में		श्रेणी कार्मिकों हेतु
	इलाज कराने के प्रकरणों में		पूर्ण शक्तियां
	मंडल की चिकित्सा समिति की	3 कार्यपालन	3. अधिकार क्षेत्र के
	अनुशंसा पर।	यंत्री / सम्पत्ति	अंतर्गत समस्त
		अधिकारी	कार्मिकों हेतु पूर्ण
			शक्तियां
			(केवल 1 (स) के
			प्रकरणों को
			छोड़कर)।
2	मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता	मण्डल की	पूर्ण शक्तियां
	प्राप्त निजी चिकित्सालयो में	चिकित्सा समिति	
	आपात रिथति में जैसे कि		
	दुर्घटना, ब्रेन हेमरेज, लकवा		
	इत्यादि के मामलो में चिकित्सा		·
	कराने पर देयक की प्रतिपूर्ति की		
	स्वीकृति का अधिकार।		
3	सक्षम् अधिकारी द्वारा स्वीकृत	1. लेखा	1. मुख्यालय के
	देयकों का भुगतान	अधिकारी(देयक)	समस्त कार्मिको एवं
			समस्त उपायुक्त हेतु
			पूर्ण शक्तियां
		2. लेखा अधिकारी	2. वृत्त के समस्त
		(वृत्त)	कार्मिकों एवं
			अधिकार क्षेत्र के

				कार्यपालन यंत्री/
				सम्पत्ति अधिकारी
				हेतु पूर्ण शक्तियां
			3 कार्यपालन	3. अधिकार क्षेत्र के
			यंत्री / सम्पत्ति	अंतर्गत समस्त
			अधिकारी	कार्मिकों हेतु पूर्ण
				शक्तियां।
	4	1) 6 माह से 1 वर्ष की अवधि	1. मुख्य लेखा	1. पूर्ण शक्तियां
		तक कालातीत हुए चिकित्सा	अधिकारी	
		देयक के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति		
		2) एक वर्ष से अधिक अवधि	2. मुख्य प्रशासकीय	2. पूर्ण शक्तियां
		पश्चात प्रस्तुत चिकित्सा देयकों	अधिकारी	C.
		की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति		·
	5	कैशमेमों की द्वितीय प्रति	मुख्य लेखा	पूर्ण शक्तियां
		(डुप्लीकेट) प्रस्तुत करने पर	अधिकारी	· ,
		चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति के		
		दावे को मान्य करना।		
	6	मण्डल के चिकित्सा	1. लेखा	1. मुख्यालय के
		सलाहकार / राज्य शासन के	अधिकारी(देयक)	समस्त कार्मिकों एवं
		चिकित्सा अधिकारी की सलाह से		समस्त उपायुक्तों
		सूचीकृत निजी परीक्षण केन्द्रों पर		हेतु पूर्ण शक्तियां
		पैथोलाजीकल एवं अन्य जांच में	2. लेखा	2. वृत्तं के समस्त
		हुए व्यय की रेडक्रॉस	अधिकारी(वृत्त)	कार्मिकों एवं
	·	सोसायटी / राज्य शासन द्वारा		अधिकार क्षेत्र के
		अनुमोदित न्यूनतम दरों पर		कार्यपालन यंत्री/
		भुगतान की स्वीकृति		सम्पत्ति अधिकारी
		<b>.</b>		हेतुं पूर्ण शक्तियां
			3. कार्यपालन	3. अधिकार क्षेत्र के
			यंत्री / सम्पत्ति	अंतर्गत समस्त
.			अधिकारी।	कार्मिकों हेत् पूर्ण
				शक्तियां
	7	मंडल के अधिकृत चिकित्सा	1. लेखा	1. मुख्यालय से
		सलाहकारों को भुगतान किए गए	अधिकारी(देयक)	संबंधित समस्त
		चिकित्सा सलाह शुल्क की	, ,	कार्मिकों एवं समस्त
		मुख्यालय द्वारा स्वीकृत दरों की		उपायुक्त हेतु पूर्ण
		सीमा में प्रतिपूर्ति		शक्तियां
			2. लेखा	2. वृत्त के समस्त
			अधिकारी(वृत्त)	कार्मिकों एवं
L			16 /	

कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी हेतु पूर्ण शक्तियां 3. कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त अधिकारी । कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां 8 उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम की मुख्य प्रशासकीय (अ) राशि रू. अधिकारी 25000 / — प्रति प्रकरण, प्राक्कलन के अधिकतम 80% तक (ब) राशि रू. 25000 / — से अधिक संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के जीन की अनुशंसा पर।	parameteris			
स्वीकृति अधिकारी 25000 / — प्रति प्रकरण, प्राक्कलन के अधिकतम 80% तक (ब) राशि रू. 25000 / — से अधिक संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।			यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी ।	सम्पत्ति अधिकारी हेतु पूर्ण शक्तियां 3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
प्रकरण, प्राक्कलन के अधिकतम 80% तक (ब) राशि रू. 25000/— से अधिक संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।	8			` '
के अधिकतम 80% तक (ब) राशि रू. 25000 / — से अधिक संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।		स्वीकृति	अधिकारी	25000 / - प्रति
तक (ब) राशि रू. 25000 / — से अधिक संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।				प्रकरण, प्राक्कलन
(ब) राशि रू. 25000 / — से अधिक संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।			·	के अधिकतम 80%
25000/- से अधिक संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।				तक
अधिक संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।				(ब) राशि रू.
चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।				
अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।				अधिक संचालक
महाविद्यालय के डीन की अनुशंसा पर।		.*		चिकित्सा शिक्षा
डीन की अनुशंसा पर।				अथवा चिकित्सा
पर।			·	महाविद्यालय के
पर।				डीन की अनुशंसा
9 पंजीकत चिकित्सक / विशेषज्ञ आयक्त पर्ण शक्तियां				)
	9	पंजीकृत चिकित्सक / विशेषज्ञ	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
चिकित्सक को मण्डल के				<del>- ·</del>
अधिकृत पैनल में सम्मिलित		अधिकृत पैनल में सम्मिलत		,
करना एवं उनकी सलाह शुल्क				
दरों का निर्धारण।				

## भाग-11 - स्थापना संबंधी विविध मामले

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	मण्डल कार्मिकों को	1. मुख्य प्रशासकीय	1. समस्त प्रथम एवं द्वितीय
	चल-अचल सम्पत्ति के	अधिकारी	श्रेणी के अधिकारियों एवं
	अर्जन एवं निस्तारण हेतु		मुख्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ
	अनुमति प्रदान करना।		श्रेणी कार्मिकों हेतु पूर्ण
			शक्तियां
		2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त
			कार्मिको हेतु पूर्ण शक्तियां
			विभागवम हतु पूर्ण सावरावा
2	त्यौहार अग्रिम एवं अनाज	1. मुख्य लेखा	1. मुख्यालय के समस्त
	अग्रिम की स्वीकृति।	अधिकारी	कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
		2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय के समस्त
			कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
	,	3. कार्यपालन यंत्री	3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत
		/ सम्पत्ति	समस्त कार्मिकों हेतु पूर्ण
		अधिकारी।	शक्तियां।
3	मण्डल से अन्यत्र नौकरी हेतु आवेदन करने पर	1. आयुक्त	1. पूर्ण शक्तियां 2. द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ
	अनापत्ति जारी करना	2. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	श्रेणी कार्मिकों हेतु पूर्ण
	जानासा जारा करना	Olimanti	शिक्तयां
	भारतीय पासपोर्ट प्राप्त	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
4	करने हेतु अनापत्ति जारी	अधिकारी	पूर्ण सावसवा
	करना	Oliganti	
5	सामान्य भविष्य निधि से	1. मुख्य लेखा	1. मुख्यालय से संबंधित
	ऋण / आंशिक विकर्षण	अधिकारी	समस्त कार्मिकों एवं प्रथम
	की स्वीकृति।		श्रेणी के अधिकारियों हेतु पूर्ण
			शक्तियां
		2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत
			द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी
			कार्मिकों हेतु पूर्ण शक्तियां
6	भारत के बाहर निजी	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	प्रवास की अनुमति।		

#### <u>अनुभाग—1 प्रशासन,</u> <u>उप अनुभाग—ब —स्थापना से इतर मामले</u>

कंगांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	राज्य / केन्द्र शासन द्वारा	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	प्रायोजित प्रदर्शनियों पर व्यय		,
	की स्वीकृति।		
2	मण्डल कार्यालय के उपयोग	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
	हेतु निजी भवनों को किराये	अधिकारी	(भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी
	पर लेने की स्वीकृति ।		के द्वारा निर्धारित किराये
	•		की अनुशंसा के आधार
			पर)
3	कार्यालयीन उपकरणों के	1. मुख्य प्रशासकीय	1.बजट प्रावधान के
	वार्षिक संधारण का ठेका देने	अधिकारी	अन्तर्गत रू. 10.00 लाख
	की स्वीकृति।		तक के प्रत्येक मामले में
·	•.		पूर्ण शक्तियां
		2. क्रय समिति	2.बजट प्रावधान होने की
			रिथिति में पूर्ण शक्तियां।
4	कार्यालयीन उपकरणों के	1. मुख्य प्रशासकीय	1. मुख्यालय के संबंध
	सुधार / मरम्मत कार्य ।	अधिकारी	में पूर्ण शक्तियां
		2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त् कार्यालय के
			संबंध में पूर्ण शक्तियां।
		3. कार्यपालन यंत्री /	3. अधिकार क्षेत्र के
		सम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
5	सामान्य कार्यालयीन सेवाओं	1. मुख्य प्रशासकीय	1. मुख्यालय के संबंध में
	जैसे फोटो कापी,	अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	हाऊसकीपिंग आदि के ठेकों	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय के
	को प्रदान करना ।		संबंध में पूर्ण शक्तियां।
		3. कार्यपालन यंत्री /	3. अधिकार क्षेत्र के
		सम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
6	कार्यालयीन उपयोग हेतु उपकरण एवं फिक्सचर्स	1. मुख्य प्रशासकीय	1.मुख्यालय के संबंध में पूर्ण शक्तियां।
	इत्यादि किराये पर लेना।	अधिकारी	पूर्व सापराया ।
	इत्याद ।कराय पर लगा।	   2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय के
		2. 041940 (900)	संबंध में पूर्ण शक्तियां।
			राज्य । तून सामराजा।

		3. कार्यपालन यंत्री /	3. अधिकार क्षेत्र के
		सम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
7	एअर / वाटर कूलर / ब्लोअर	1. मुख्य प्रशासकीय	1.मुख्यालय के संबंध में
	क्य करने की स्वीकृति।	अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
		2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के
			अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
8	वातानुकूलन उपकरण क्य करने की स्वीकृति।	मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
9	मंडल के विश्राम गृहों हेतु	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
9	दैनिक किराया निर्धारण	ાં મુખલ	रून सायस्या
10	पर्यावास भवन स्थित केन्टीन	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	हॉल का किराया निर्धारण।	C	
11	केन्टीन हॉल/विश्राम गृह के	1. आयुक्त	1.पूर्ण शक्तियां
	किराये में छूट की अनुमति।	2. मुख्य प्रशासकीय	2.मण्डल के विश्राम गृहों
		अधिकारी	हेतु पूर्ण शक्तियां
12	मंडल कार्मिको के अतिरिक्त	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	अन्य आगंतुकों को विश्राम गृह	•	. ,
	में ठहरने की अनुमति।		***************************************
13	मण्डल के अधिकारी/अन्य		1. पूर्ण शक्तियां
	विशिष्ठ व्यक्तियों के लिए	अधिकारी	
	मण्डल की बैठकों में शामिल	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के
	होने अथवा अन्य आवश्यक		अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
	कार्यों हेतु किराये पर वाहन	•	
	लेने की अनुमति		
14	पात्र कार्मिको को वर्दी प्रदान	1. मुख्य प्रशासकीय	1. पूर्ण शक्तियां
	करने की स्वीकृति अथवा	अधिकारी	
	समकक्ष राशि वितरण की		2 अधिकार क्षेत्र के
	स्वीकृति (समकक्ष राशि मुख्य	2. उपायुक्त (वृत्त)	
	प्रशासकीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर		अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
	प्रत्यक दा वर्ष के अंतराल पर   तय की जावेगी।)		
15	मंडल के कार्य जैसे डाटा	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
15	पन्ट्री, सुरक्षा / सेवाऐं इत्यादि	मुख्य प्रशासकाय  अधिकारी क्रय समिति	न् राज्याया
	बाह्य संस्थाओं से कराये	की अनुशंसा पर	
	जाने पर सेवा प्रदाता संस्था	प्य जनुरासा पर	
	को शुल्क / प्रभार की		
	को शुल्क / प्रमार को   स्वीकृति		
	1 X 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

16	एन्ट्री, सुरक्षा / सेवाएं इत	त्यादि अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	बाह्य संस्थानों से कराये हेतु अमले की व	ार्षिक	
17	एन्ट्री, सुरक्षा् / सेवाऐं इत्य	1. मुख्य प्रशासकीय ादि अधिकारी	1. पूर्ण शक्तियां
	हेतु बाह्य संस्थाओं को वे हेतु संस्थाओं को पेनल मे सूचीबद्व करने का अनुमोव	i 2. उपायुक्त (वृत्त) इन	2. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
	(पेनल में सूचीबद्वता दो व से अधिक नही होगी।)	ार्व	
18	<ul> <li>पेनल में सूचीबद्व संस्था प मुख्यालय द्वारा अनुमोदित वार्षिक आवश्यकता अनुस</li> </ul>	अधिकारी	1. पूर्ण शक्तियां
	जनशक्ति को लेने का अनुमोदन ।	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
19	<ul><li>डाक / संदेशवाहक सेवाअ</li><li>व्यय की स्वीकृति।</li></ul>	ों पर   1. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	1. पूर्ण शक्तियां
	<b>c</b>	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय के संबंध में पूर्ण शक्तियां।
		3. कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी	3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
20	कराये पर वाहन लेने की नीति के आधार पर वाहन	, ~	1. पूर्ण शक्तियां
	किराये पर लेने और भुगव की स्वीकृति।	तान 2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय के संबंध में पूर्ण शक्तियां।
		3. कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी	3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
. 21	<ul> <li>मंडल के एवं किराये पर</li> <li>गये वाहनों में (जहां जो हो) निर्धारित सीमा में ईध्</li> </ul>	लागू (सामग्री प्रबंधन शाखा)	1. मुख्यालय के संबंध में पूर्ण शक्तियां । 2. वृत्त कार्यालय के
	का भुगतान।	3. कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी	संबंध में पूर्ण शक्तियां। 3. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।

	22	मंडल के एवं किराये पर लिए	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
		गए वाहनों (जहां जो लागू हो)	अधिकारी	
		में निर्धारित मासिक सीमा से 20		
		प्रतिशत अधिक तक के ईंधन		
		का भुगतान ।		
	23	डेमरेज (विलंब शुल्क) / वारफेज	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
		प्रभार का भुगतान।		
	24	सीमा शुल्क एजेन्ट प्रभार/	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
		सीमा शुल्क निकासी प्रभार का		
-		भुगतान्।	4 100	र मानामा नेन मार्ग
	25	अनुपयोगी भण्डार सामग्री,	1. क्रय समिति	1. मुख्यालय हेतु पूर्ण शक्तियां।
		मशीनरी,उपकरण,वाहन, फर्नीचर आदि जो सुधार योग्य नहीं हो,	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के
		या आवश्यकता से अधिक हो,	2. 84194(1 (9((1)	अंतर्गत रू. 50,000.00
		का अपलेखन एवं उनके		तक के वर्तमान मूल्य
		निपटान का तरीका तय करना।		(बुक वेल्यू) की सामग्री
				के मामले में पूर्ण शक्तियां।
-	26	अनुपयोगी भण्डार सामग्री,	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
		मशौनरी, उपकरण, वाहन,	अधिकारी	· ·
		फर्नीचर आदि के अपलेखन हेतु		
		अपसेट मूल्य निर्धारण हेतु		,
		समिति का गठन ।		
	27	बजट प्रावधान के अन्तर्गत	1. मुख्य प्रशासकीय	1. मुख्यालय हेतु पूर्ण
		पुरतकालय हेतु किताबें, समाचार	अधिकारी	शक्तियां।
		पत्र, पत्रिकायें आदि के अभिदान	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय के
		पर सामान्य व्यय की स्वीकृति।		संबंध में पूर्ण शक्तियां। 3. अधिकार क्षेत्र के
			3. कार्यपालन यंत्री	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां,
-	00		/ सम्पत्तिअधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	28	कैलेंडर, डायरी, सूचना पत्र आदि का मुद्रण।	मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	्रिया सामरामा । 
-	29	कार्यालयीन लेखन सामग्री (मनी	1. मुख्य प्रशासकीय	1. पूर्ण शक्तियां।
	20	रसीद बुक को छोड़कर) का	अधिकारी	&
		मुद्रण।	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के
		<b>3</b> · · ·	. 3 \c /	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
-	30	मनी रसीद बुक(फार्म अ एवं ब )	मुख्य लेखा अधिकारी	1.पूर्ण शक्तियां
		एवं लेजर/रजिस्टर की	_	(मुख्य लेखा अधिकारी
		बाइन्डिंग।		द्वारा रोकड़ प्राप्ति

			पुस्तकों के वितरण एवं
	i .		उनके सरल कमांक का
			लेखा संधारित किया
			जावेगा)
31	पुस्तकों / बुकलेट्स की बाइन्डिंग	1. मुख्य प्रशासकीय	1. पूर्ण शक्तियां
	/ स्पायरल बाइन्डिंग / स्टीचिंग	अधिकारी	
	/कटिंग आदि।	2. उपायुक्त (वृत्त)	2.वृत्त कार्यालय के
			संबंध में पूर्ण शक्तियां।
		3. कार्यपालन यंत्री /	3. अधिकार क्षेत्र के
		सम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
32	कार्यालयीन उपयोग हेतु विभिन्न	1. मुख्य प्रशासकीय	1. पूर्ण शक्तियां
-	लेखन सामग्री/कम्प्यूटर में	अधिकारी	α,
	उपयोग होने वाली सामग्री का	-11 1 1 1 1 1 1	
	क्य ।	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय के
		2. 0 1134(1 (2(1)	संबंध में पूर्ण शक्तियां।
			विषय । दून सामरामा
		   3. कार्यपालन यंत्री /	3. अधिकार क्षेत्र के
		राम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
33	क्षुद्र कार्यालयीन व्यय एवं	1. मुख्य प्रशासकीय	1. पूर्ण शक्तियां
	आकरिमक व्यय, कार्यालयीन	अधिकारी	
	उपयोग / मर्यादा हेतु विभिन्न	2.मुख्य लेखा अधिकारी	2. एक बार में राशि रू.
	सामग्री पर होने वाले व्यय		2,000.00 की सीमा तक
	सहित।		पूर्ण शक्तियां।
		२ ज्यापादन (चन्त्र)	3. वृत्त कार्यालय हेतु
	N	3. उपायुक्त (वृत्त)	एक बार में राशि रू.
		· ·	2,000.00 की सीमा तक
			पूर्ण शक्तियां।
		·	(अधिकतम कुल राशि
			रूपये 15,000.00 एक
			वित्तीय वर्ष में।)
		   4. कार्यपालन यंत्री /	4. अधिकार क्षेत्र के
		सम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत एक बार में राशि
		N'MINI MIMMAN	रू. 1,000.00 की सीमा
			तक पूर्ण शक्तियां।
			(अधिकतम कुल राशि
			रूपये 10,000.00 एक
			वित्तीय वर्ष में।)
			ापताय यष मा)

34	महत्वपूर्ण ग्राहको, अति विशिष्ट	1. मुख्य प्रशासकीय	1. मुख्यालय से संबंधित
	व्यक्ति, वरिष्ठ शासकीय	अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	अधिकारी इत्यादि द्वारा मण्डल	ाजनगरा	(मुख्यालय के शाखा
	हित में यात्राओं / प्रवास के		प्रमुखों को सत्कार व्यय
	दौरान सत्कार पर व्यय की		भत्ता हेतु राशि रू. 500.
	स्वीकृति।		00 प्रतिमाह की सीमा के
	स्पाप्राता		अंतर्गत)
		२ स्मामस्य (वन्त)	2. वृत्त कार्यालय हेतु
ł.		2. उपायुक्त (वृत्त)	एक बार में राशि रू.
		•	2,000.00 की सीमा
			तक । वित्तीय वर्ष में
	·	,	अधिकतम कुल राशि
			रूपये 10,000.00 की
			सीमा तक पूर्ण शक्तियां।
		   3.' कार्यपालन यंत्री /	3. अधिकार क्षेत्र के
		उ. कायपालन यत्रा/   सम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत एक बार में राशि
		सम्पारा जावपारा	रू. 500.00 की सीमा
		·	तक। वित्तीय वर्ष में
			अधिकतम कुल राशि
			रूपये 5,000.00 की
			सीमा तक पूर्ण शक्तियां
35	संचालक मंडल सम्मिलनो,	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां।
	समितियों की बैठकों एवं मंडल	। अधिकारी	8, (1140-41)
	के संचालकों द्वारा यात्रा / ठहरने	Street	
	इत्यादि पर होने वाले व्यय की		
	आवश्यकता अनुसार स्वीकृति		
36	मंडल की कार्यालयीन बैठकों पर	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां।
	व्यय की स्वीकृति	अधिकारी	
37	मण्डल हित में विशिष्ट	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां।
	आमंत्रितगण / वरिष्ठ शासकीय	अधिकारी	
	अधिकारियों द्वारा यात्रा करने /		
	ठहरने इत्यादि पर व्यय की		
	स्वीकृति		`
38	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
	बैठकों / सम्मिलन पर व्यय की	-	
	स्वीकृति		
39	गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस	1. मुख्य प्रशासकीय	1. पूर्ण शक्तियां।
	या अन्य शासकीय कार्यक्रमों हेतु	अधिकारी	

	कार्यालय भवनों की		
	साज-सज्जा, अन्य व्यवस्थाऐं,	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय से
	स्वल्पाहार इत्यादि पर व्यय की		संबंधित पूर्ण शक्तियां।
	स्वीकृति।	3. कार्यपालन यंत्री /	3. अधिकार क्षेत्र के
	ر ۱۸۱۹۶۱۸۱۱	सम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
40	मण्डल के अधिकारियों को	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
	आवंटित वाहन की मासिक ईधन		·
	सीमा का निर्धारण		
41	वाहन नीति बनाना एवं संशोधन	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
1	करना		,
42	वाहन नीति के तहत् वार्षिक या	1. मुख्य प्रशासकीय	1. मुख्यालय से संबंधित
	आकरिमक रूप से वाहन	अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	किराये पर लेने हेतु अनुबंध		
	करना	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के
	47311	2. 04194(1 (9((1)	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
43	मण्डल के वाहनों का वार्षिक	1. मुख्य प्रशासकीय	1. पूर्ण शक्तियां।
	बीमा शुल्क / मोटरयान करों के	अधिकारी	
	भुगतान की स्वीकृति	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय से
	:		संबंधित पूर्ण शक्तियां।
		3. कार्यपालन यंत्री /	3. अधिकार क्षेत्र के
		सम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
44	नये वाहनों का क्रय	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां।
45	कार्यालयीन उपकरणों का बीमा,	1. मुख्य प्रशासकीय	1. मुख्यालय से संबंधित
	(जहां लागू हो)	अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	(1) (1) (1) (2)	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के
		2. 0 113 44 (2/4)	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
46	कार्यालयीन उपकरणों, कम्प्यूटर्स	1. आयुक्त	1. पूर्ण शक्तियां।
40			। १. पूर्ण सापराया ।   2. राशि रू. 25.00 लाख
	एवं उससे संबंधित उपकरणो एवं	.2. मुख्य प्रशासंकीय	
	फर्नीचर क्रय हेतु प्रशासकीय	अधिकारी	तक पूर्ण शक्तियां।
	अनुमोदन प्रदान करना		

47	कार्यालयीन उपकरणों, कम्प्यूटर्स	1. आयुक्त	1 पूर्ण शक्तिया
	एवं उससे संबंधित उपकरणो एवं	.२. मुख्य प्रशासकीय	2. राशि रू. 25.00 लाख
	फर्नीचर क्रय हेतु निविदा का	अधिकारी	तक पूर्ण शक्तिया
	अनुमोदन प्रदान करना		
48	मंडल के अधिकारियों /	आयुक्त	पूर्ण शक्तिया
	कर्मचारियों एवं कार्यालयों के		
	लिये दूरभाष/लीज लाईन/		
	फेक्स लाईन / इन्टरनेट/		
	मोबाईल फोन हेतु संचार नीति		
	का अनुमोदन।		
49	अनुमोदित संचार नीति के तहत्	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां
	मंडल के अधिकारियों /	अधिकारी	
•	कर्मचारियों एवं कार्यालयों को		·
-	दूरभाष / लीजलाईन / फेक्स		
	लाईन/इन्टरनेट/ मोबाईल		·
	फोन सुविधा उपलब्ध कराने की		
+ +, -, -, -,	स्वीकृति ।		
50	संचार नीति के तहत् दूरभाष/	1. मुख्य प्रशासकीय	1, पूर्ण शक्तियां
	मोबाईल / इन्टरनेट / लीजलाईन	अधिकारी	
	/फेक्स के मासिक बिल के	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वृत्त कार्यालय से
	भुगतान की स्वीकृति।	,	संबंधित पूर्ण शक्तियां।
		3. कार्यपालन यंत्री /	3. अधिकार क्षेत्र के
		सम्पत्ति अधिकारी	अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
51	निर्धारित सीमा में मंडल के	1. मुख्य प्रशासकीय	1. पूर्ण शक्तियां।
	वाहनों के सुधार एवं रखरखाव,	अधिकारी	
	टायर ट्यूब, बैटरी, स्पेयर पार्टस्	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. अधिकार क्षेत्र के
	आदि क्रय करने की स्वीकृति ।		अंतर्गत पूर्ण शक्तियां ।
52	व्यावसायिक संस्थाओं को	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	सदस्यता / व्यावसायिक शुल्क		
	भुगतान करने की स्वीकृति ।		
53	शिलान्यास/उद्घाटन समारोह	1. अपर	1. राशि रू. 1.00 लाख
	जैसे अनावर्ती व्यय जो पूंजीगत	आयुक्त(योजना से	प्रति प्रकरण पूर्ण
	/ राजस्व कार्यों पर भारित	संबंधित)	शक्तियां।
	होगें, जिनके संबंध में वर्तमान में		
	शक्तियों के हस्तांतरण संबंधी	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. राशि रू. 50000.00
	अधिकार परिभाषित नहीं है, के		प्रति प्रकरण पूर्ण
	संबंध में प्रशासकीय अनुमोदन।		शक्तियां ।
	अधिकार परिभाषित नहीं है, के	2. उपायुक्त (वृत्त)	प्रति प्रकरण पूर्ण

54	अनुमोदित विज्ञापन नीति के	जन सम्पर्क अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	तहत समाचार-पत्रों में निविदा		
1	आमंत्रण / ऑफर के माध्यम		
	से सम्पत्ति के विकय हेतु		
	विज्ञापन जारी करना		
55	विज्ञापन नीति निर्धारण	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
56	विज्ञापन नीति के तहत्	जन सम्पर्क अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	विज्ञापन के देयकों के भुगतान		
	की स्वीकृति		
57	सामाजिक, सांस्कृतिक एवं	अध्यक्ष	रू. 25,000.00 प्रति प्रकरण
	खेलकूद समिति एवं संस्थाओं		प्रतिवर्ष एवं सम्पूर्ण वित्तीय
	को अनुदान की स्वीकृति		वर्ष में कुल रू. 2.00 लाख
		·	। पूर्ण शक्तियां ।
58	विशेष अवसरों पर विज्ञापन	अध्यक्ष	रू. 25,000.00 प्रति प्रकरण
	प्रकाशन एवं उसके भुगतान		प्रतिवर्ष एवं सम्पूर्ण वित्तीय
	की स्वीकृति।		वर्ष में कुल रू. 2.00 लाख
			। पूर्ण शंक्तियां ।
59	उपायुक्त वृत्त के निवेदन पर	जन सम्पर्क अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
1	बिल बोर्ड / होर्डिंग		
	/यूनीपोल / केबल टी.वी.		
,	के माध्यम से विज्ञापन नीति के		
	तहत् विज्ञापन जारी करना	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
60	बिल बोर्ड / होर्डिंग / यूनीपोल	जन सम्पर्क अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	/केबल टी.वी. पर परियोजना	के प्रमाणीकरण	,
	के विज्ञापनों के देयकों की	उपरान्त उपायुक्त	,
	स्वीकृति	(वृत्त)	
L	L		

## अनुभाग-2 -विधिक मामले

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	विधिक मामलो हेतु नीति	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
'	निर्धारण	"3""	8,
2	विधिक मामलो हेतू निर्धारित	1. आयुक्त	1. सर्वोच्च
	नीति के तहत सर्वोच्च	i. origan	न्यायालय/राष्ट्रीय फोरम
	न्यायालय/राष्ट्रीय फोरम		उच्च न्यायालय, राज्य
	उच्च न्यायालय, राज्य फोरम		फोरम केन्द्रीय औद्योगिक
	केन्द्रीय औद्योगिक न्यायालय,	•	न्यायालय, ट्रिब्यूनल के
	ट्रिब्यूनल, जिला न्यायालय		संबंध में पूर्ण शक्तियां ।
	इत्यादि में अधिवक्ताओं को		<b>6</b>
	पैनल में सम्मिलित करना	2. उपायुक्त(वृत्त)	2.जिला एवं अधीनस्थ
		3 (0 /	न्यायालय / फोरम के संबंध
			में पूर्ण शक्तियां ।
3	न्यायालयीन मामलो में प्रभारी	1. मुख्य विधि	1. सर्वोच्च
	अधिकारी की नियुक्ति करना	सलाहकार	न्यायालय/राष्ट्रीय फोरम
		,	उच्च न्यायालय, राज्य
			फोरम केन्द्रीय औद्योगिक
			न्यायालय, ट्रिब्यूनल के
			संबंध में पूर्ण शक्तियां ।
		2. उपायुक्त (वृत्त)	2. जिला एवं अधीनस्थ
			न्यायालय / फोरम के संबंध
			में पूर्ण शक्तियां ।
4	न्यायालयीन प्रकरण में पैरवी	1. मुख्य विधि	1. सर्वोच्च
	हेतु पैनल में से अधिवक्ता /	सलाहकार	न्यायालय / राष्ट्रीय फोरम
	अभिभाषक की नियुक्ति		उच्च न्यायालय, राज्य
			फोरम केन्द्रीय औद्योगिक
			न्यायालय, द्रिब्यूनल के
			संबंध में पूर्ण शक्तियां ।
			्र चित्रा एवं अलीवाला
		२. उपायुक्त (वृत्त)	2. जिला एवं अधीनस्थ   न्यायालय / फोरम के संबंध
			में पूर्ण शक्तियां ।
			ा नून सामरामा ।

5	अधिवक्ताओं को देय शुल्क का निर्धारण।	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
6	निर्धारित शुल्क अनुसार अधिवक्ताओं को शुल्क का भुगतान।	प्रकरण के प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
7	न्यायालयीन शुल्क एवं अन्य अनुसांगिक वास्तविक व्यय का भुगतान	प्रकरण के प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
8	निर्धारित पैनल से इतर अन्य अधिवक्ता/अभिभाषक की सेवाऐं लेने की अनुमति	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
9	अभिभाषक / अधिवक्ता को निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क का भुगतान	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
10	कर सलाहकार को कराधान के प्रकरणों / वित्तीय मामलों में नियुक्ति एवं देय शुल्क की स्वीकृति	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
11	प्रभारों अधिकारी की अनुशंसा पर कर/वित्तीय सलाहकार को शुल्क का भुगतान	मुख्य लेखा अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
12	न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, विधिक प्राधिकरण, द्रिब्यूनल आदि द्वारा सेवा मामलो में दिये गये आदेश का क्रियान्वयन अथवा याचिका / पुनर्विचार याचिका दायर करने की स्वीकृति	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
13	सेवा से इंतर मामलो में किसी न्यायालय / उपभोक्ता फोरम / विधिक प्राधिकरण / ट्रिब्यूनल / आर्बीट्रेशन पैनल / मजिस्ट्रेटों आदि द्वारा	<ol> <li>आयुक्त</li> <li>मुख्यालय के शाखा</li> <li>प्रमुख।</li> </ol>	<ol> <li>पूर्ण शक्तियां</li> <li>शाखा से संबंधित रू.</li> <li>50.00 लाख तक वादमूल्य या सम्पत्ति का मूल्य</li> </ol>

	पारित आदेश/डिक्री/अवार्ड		(आदेश जारी होने की
	के क्रियान्वयन या याचिका/	,	दिनांक पर) के प्रकरणों में
	पुनर्विचार याचिका दायर करने		पूर्ण शक्तियां
-	की स्वीकृति ( कोई भी विधिक	3. उपायुक्त(वृत्त)	3. अधिकार क्षेत्र से
	मामला जो कि बोर्ड की नीति		संबंधित रू. 5.00 लाख
	से संबंधित हो अथवा बोर्ड की		तक वादमूल्य या सम्पत्ति
	नीति के विरूद्व हो, जिसके		का मूल्य (आदेश जारी
	कारण अन्य प्रकरण उद्भूत हो		होने की दिनांक पर) के
	जाये आवश्यक रूप से		प्रकरणों में पूर्ण शक्तियां
	आयुक्त को प्रस्तुत किये		
	जायेगें चाहे प्रकरण से		
	संबंधित सम्पत्ति का मूल्य/		
	वाद-मूल्य कितना भी हो)		
14	किसी न्यायालय/ उपभोक्ता	1. मुख्य सम्पदा	1. पूर्ण शक्तियां
	फोरम / विधिक प्राधिकरण,	अधिकारी	
	ट्रिब्यूनल, मजिस्ट्रेट इत्यादि के		
	समक्ष वैधानिक कार्यवाहियां	2. उपायुक्त (वृत्त)	2. वाद या सम्पत्ति का
	प्रारंभ करने की प्रशासकीय		मूल्य रू. 50.00 लाख तक
	स्वीकृति (सम्पदा से संबंधित		हेतु पूर्ण शक्तियां ।
	मामले में विधिक परामर्श के	,	
	आधार पर बचाव अथवा		
	क्रियान्वयन हेतु वाद अथवा	•	
	बचाव याचिका सहित)	,	
15	मंडल के विरूद्ध आपराधिक	1. मुख्यालय के शाखा	1.शाखा से संबंधित
	कृत्य या अभिलेखों के चोरी	प्रमुख	प्रकरणों में पूर्ण शक्तियां ।
	होने पर शिकायत या	<b>C</b>	
	अभियोजन हेतु स्वीकृति।	2. कार्यालय प्रमुख	2. कार्यालय से संबंधित
			प्रकरणों में पूर्ण शक्तियां ।
16	विधिक परामर्श लेने के पश्चात	१ अशस्त	। 1. पूर्ण शक्तियां
10	किसी न्यायालय/ उपभोक्ता	1. आयुक्त 2. मुख्यालय के	2. वादमूल्य या सम्पत्ति
	फोरम / विधिक प्राधिकरण	शाखा प्रमुख।	का मूल्य (आदेश जारी
	/ट्रिब्यूनल/ मजिस्ट्रेट के	Mai Agai	होने की दिनांक पर) रू.
	समक्ष कार्यवाही संस्थित करने		5.00 करोड़ की सीमा तक
	की प्रशासकीय स्वीकृति।		पूर्ण शक्तियां
		3. उपायुक्त(वृत्त)	3. अधिकार क्षेत्र के
		3(2,)	.अन्तर्गत वादमूल्य या
			सम्पत्ति का मूल्य (आदेश
L		1	

		4. कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी	जारी होने की दिनांक पर) रू. 50.00 लाख की सीमा तक पूर्ण शक्तियां 4. अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत वादमूल्य या सम्पत्ति का मूल्य (आदेश जारी होने की दिनांक पर) रू. 10.00 लाख की सीमा तक पूर्ण शक्तियां
17	मंडल की ओर से मध्यस्थ	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	(आर्बिट्रेटर) की नियुक्ति और उनको देय पारिश्रमिक का निर्धारण		
18	मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) को देय	प्रभारी अधिकारी की	पूर्ण शक्तियां
	पारिश्रमिक का भुगतान	अनुशंसा पर आहरण एवं वितरण अधिकारी,	
19	Workmen compensation Act 1923 के अन्तर्गत मण्डल के पात्र कार्मिकों के साथ घातक या गैर घातक दुर्घटना होने पर स्थाई विकलांगता पर क्षतिपूर्ति की स्वीकृति।	मुख्य प्रशासकीय अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
20	न्यायालयीन मामलों में नियुक्त	आहरण एवं संवितरण	पूर्ण शक्तियां
	प्रभारी अधिकारी को शासन	अधिकारी	
	की नीति अनुसार प्रोत्साहन		
	राशि का भुगतान		
21	न्यायाल्य की अवमानना के	आहरण एवं संवितरण	पूर्ण शक्तियां
	प्रकरणों में किये गये व्यय की	अधिकारी	
	शासन की नीति अनुसार		
	भुगतान की स्वीकृति।		

#### <u>अनुभाग—3 —सम्पदा एवं भू—प्रबंधन</u> <u>उप अनुभाग—अ — भू—प्रबंधन</u>

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	परियोजनाओं हेतु शासकीय भूमि को	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	चिन्हित करना।		6
2	परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण,	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम		
	2013 के तहत् निजी भूमि चिन्हित		
	करना ।		
3	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	अधोसंरचना विकास मंडल अधिनियम	,	,
	की धारा 34 के अंतर्गत परियोजनाओं		
	के लिए भूमि एवं योजना क्षेत्र		
	(लेण्डपूलिंग) चिन्हित करना ।		
4	परियोजना हेतु चिन्हित शासकीय	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर को		
	आवेदन प्रस्तुत करने की स्वीकृति।		
5	उपायुक्त, वृत्त के अनुमोदन पश्चात	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	परियोजना हेतु चिन्हित शासकीय		
	भूमि के आवंटन के लिए कलेक्टर		
	को आवेदन प्रस्तुत करना । आवेदित शासकीय भूमि के भू–भाटक		पूर्ण शक्तियां
6	एवं प्रब्याजी अथवा कलेक्टर द्वारा	उपायुक्त(वृत्त)	पूर्व सावसवा
	मांग की गई अन्य लेवी के भुगतान		
	की स्वीकृति।		
7	आवेदित शासकीय भूमि के भू–भाटक	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां
,	एवं प्रब्याजी अथवा कलेक्टर द्वारा	377-211817-31711	8
	मांग की गई अन्य लेवी का भुगतान।	٩ .	
8	कलेक्टर द्वारा आवंटित शासकीय	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	भूमि का आधिपत्य प्राप्त करना।		
9	अधिग्रहित की गई निजी भूमि या	उपायुक्त(वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	धारा-34 के अंतर्गत लेण्ड पूलिंग		-
	द्वारा प्राप्त भूमि पर प्रस्तावित योजना		
	हेतु साध्यता अध्ययन / मांग		
	निर्धारण / आर्थिक व्यवहार्यता सर्वे		
	करने हेतु अनुमति।		

10	साध्यता अध्ययन / मांग निर्धारण	मुख्यालय की	पूर्ण शक्तियां
	आर्थिक व्यवहार्यता सर्वे के आधार पर	परियोजना	·
	अधिग्रहित की गई निजी भूमि या	समिति	
	लेण्ड पूलिंग के अंतर्गत उपलब्ध भूमि		
	पर परियोजना के कियान्वयन हेतु		
	विचार एवं अनुशंसा करना।		
11	मुख्यालय की परियोजना समिति की	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां
	अनुशंसा पर अधिगृहित भूमि या लेण्ड		
	पूलिंग के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि पर		
	परियोजनाए प्रारम्भ करने हेतु		
	स्वीकृति।		
12	संचालक मंडल द्वारा परियोजना के	भू–अर्जन	पूर्ण शक्तियां
	अनुमोदन उपरांत भूमि अधिग्रहण या		
	लैण्ड पूलिंग हेतु आदेश जारी		
	करना ।		:
13	भू–अर्जन अधिकारी के आदेश पर	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करने		
	हेतु कलेक्टर को आवेदन करना।	·	
14	सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण	उपायुक्त	पूर्ण शक्तियां
	हेतु जारी अवार्ड अनुसार कलेक्टर		
	को राशि के भुगतान की स्वीकृति।		
15	सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	हेतु जारी अवार्ड अनुसार कलेक्टर		
,	को राशि का भुगतान।		
16	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत्		"
	अधिग्रहित की गई निजी भूमि का	·	
	आधिपत्य लेना।	·	
17	राज्य शासन या स्थानीय निकायों को	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	नियमित भू–भाटक, व्यपवर्तन शुल्क,		
	व्यपवर्तन प्रब्याजी, भू-राजस्व, नजूल		
	किराया, सम्पत्तिकर या अन्य		
	वैधानिक भारित शुल्क की मांग		
	उचित एवं सही होने पर भुगतान		
	करने की स्वीकृति एवं भुगतान।		
	Γ	L	

18	अधिग्रहित या आवंटित भूमि की सुरक्षा	भू–अर्जन	पूर्ण शक्तियां
	हेतु मानदंड तैयार करना।	अधिकारी	
19	अर्जित की गई भूमि की सुरक्षा हेतु	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	निर्धारित मानदंड के आधार पर सुरक्षा		
-	सेवाएँ लेने पर होने वाले व्यय की		·
	स्वीकृति ।		
20	भूमि की सुरक्षा हेतु बाहरी दीवार	1. भू-अर्जन	1. पूर्ण शक्तियां
	निर्माण या फेंसिंग करने हेतु	अधिकारी	
	प्रशासकीय स्वीकृति ।		
		2. उपायुक्त	२. भूमि जिसका
		(वृत्त)	क्षेत्रफल 4
			हिक्टेयर तक्
			हो, के मामले में
			पूर्ण शक्तियां ।
21	भूमि की सुरक्षा हेतु बाहरी दीवार या	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	फेंसिंग का निर्माण करने हेतु तकनीकी		
	स्वीकृति प्रदान करना एवं निविदा		
	आमंत्रण सूचना का अनुमोदन।		
22	भूमि की सुरक्षा हेतु सीमांकन दीवाल	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	या फेंसिंग का निर्माण करने हेतु	•	
	निविदा का अनुमोदन प्रदान करना।		
23	परियोजना समिति के अनुमोदन पर	मुख्य वास्तुविद,	पूर्ण शक्तियां
	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना	उपायुक्त की	
	विकास मंडल अधिनियम 1972 की	सलाह के साथ	
	धारा 34 के तहत् भूमि विकास की		
	योजना तैयार करना।		
24	भूमि विकास योजना का अनुमोदन एवं	जिला स्तरीय	पूर्ण शक्तियां
	मंडल के समक्ष प्रस्तुति।	गृह निर्माण एव	
		अधोसंरचना	
		विकास समिति	
25	भूमि विकास योजना का अनुमोदन	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां
	और राज्य शासन को प्रस्ताव।		
26	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना	राज्यः शासन	पूर्ण शक्तियां
	विकास मंडल अधिनियम 1972 की		
-	धारा—34 के तहत् भूमि विकास		
	योजना का अनुमोदन करना।		

,			
27	भूमि विकास योजना पर आपत्ति एवं	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	सुझाव आमंत्रित करने हेतु म.प्र.		
	राजपत्र और स्थानीय समाचार पत्रो में		
,	प्रकाशन ।		
28	प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर निर्णय	जिला स्तरीय गृह	पूर्ण शक्तियां
	लेना।	निर्माण एवं	
		अधोसंरचना	
		विकास समिति	
29	जिला स्तरीय गृह निर्माण एवं	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां
	अधोसंरचना विकास समिति द्वारा		
	लिये गये निर्णयों के विरूद्ध की गयी	:	
	अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।		
30	अंतिम भूमि विकास योजना को	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां
	स्वीकृति प्रदान करना एवं प्रकाशन का		
	अनुमोदन।		·
31	राज्य शासन के तय नियम और शर्ती	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	पर निजी भूमि स्वामी के साथ अनुबंध		
	निष्पादन।	••	
32	धारा—34 के अंतर्गत लेण्ड पूलिंग	मुख्य सम्पदा	पूर्ण शक्तियां
	योजना के मामलो में निजी भूमि	अधिकारी,	
	स्वामियों को विकसित भूखण्ड आवंटन	उपायुक्त (वृत्त)	
	का निर्णय।	एवं कार्यपालन	
		यंत्री की समिति ।	

#### उप अनुभाग—ब — सम्पदा प्रबंधन भाग—1 — स्व—वित्तीय योजना

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	परियोजना में प्रारम्भिक एवं अंतिम	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	विक्रय मूल्य का नियमानुसार निर्धारण।		
2	आवासीय सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	आमंत्रण।		
3	निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लॉटरी के	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	माध्यम से आवेदकों का चयन।		
4	लॉटरी उपरांत पंजीयन आवंटन पत्र	सम्पत्ति प्रबंधक	पूर्ण शक्तियां
	जारी करना		
5.	आवेदक के ऋण हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध	सम्पत्ति प्रबंधक	पूर्ण शक्तियां
	का निष्पादन।		
6	असफल आवेदकों को पंजीयन राशि	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	की वापसी।		

			<del> </del>
7	भुगतान तालिका को नियमानुसार तैयार / निर्धारित करना।	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
8	भुगतान तालिका को पुनरीक्षित करने का नियमानुसार अनुमोदन।	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
9	चयनित आवेदकों को राशि जमा करने हेतु सूचना–पत्र जारी करना	सम्पत्ति प्रबंधक	पूर्ण शक्तियां
10	पंजीकृत आवेदक द्वारा (योजना से	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	अपना आवेदन वापस करने के निर्णय		
	पर) आवश्यक कटौत्री उपरांत राशि		
	की वापसी करना		
11	पंजीकृत आवेदकों को सम्पत्ति के	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
-	क्रमांक का लॉटरी के माध्यम से	·	
	निर्धारण एवं उसकी सूचना देना		
12	किश्तों का निर्धारित समय सीमा	उपायुक्त	पूर्ण शक्तियां
	अनुसार भुगतान न करने पर		
	नियमानुसार विहित प्रक्रिया उपरान्त		
	आवंदन का निरस्तीकरण		
13	उपायुक्त वृत्त द्वारा आवटन	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	निरस्तीकरण उपरांत अनिवार्य कटौत्री		
	कर जमा राशि की वापसी।		
14	अंतिम् आवंटन के समय, नवीन	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	सम्पत्ति का सम्पत्तिवार मूल्य		·
	निर्धारण।		
15	विज्ञापन के पूर्व अविकित सम्पत्ति का	उपायुक्त(वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	सम्पत्तिवार मूल्य निर्धारण।		<u> </u>
16	सम्पत्ति विशेष के अंतिम मूल्य निर्धारण	सम्पत्ति अधिकारी	पूण शाक्तया
	के आधार पर पंजीकृत हितग्राहियों को		
	सम्पत्ति क्रमांक के साथ निर्धारित	-	,
	प्रारूप में अंतिम आवंटन पत्र जारी		
4-7	करना आवंटियों के आवेदन पर सम्पत्ति के	नामिन अधिकारी	ार्गा बाटिनमं
17		सम्पत्ति अधिकारी	पूर्व शाक्तवा
40	क्रमांक का परिवर्तन/परस्पर बदलाव। सम्पत्ति से संबंधित लीज	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
18	विलेख / विकय विलेख का निष्पादन।	यम्पारा आवकारा	पूरा सामसया
19	आवंटी को आधिपत्य आदेश जारी	सम्पत्ति प्रबंधक	पूर्ण शक्तियां
	करना ।		
20	आवंटी को सम्पत्ति का भौतिक	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	आधिपत्य हस्तांतरित करना।		
			1 2 2

विक्रय या उत्तराधिकार पर मडल के अभिलेखों में सम्पत्ति का हरतांतरण (नामांतरण) की कार्यवाही।   सम्पत्ति स्वामी को अदेय / अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी करना।   सह—स्वामी के नाम का नियमानुसार सम्मिलन / विलोपन करना।   सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति अधिकारी   पूर्ण शक्तियां अधिकारी   सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या स्वयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय   अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वाकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अध्मार पर आवंदन को सक्षम अधिकारी हारा अनुमति ।   स्व स्व किस्त योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पूर्ण शक्तियां				
(नामांतरण) की कार्यवाही।  22 सम्पत्ति स्वामी को अदेय / अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।  23 सह-स्वामी के नाम का नियमानुसार सम्पत्ति अधिकारी पूर्ण शक्तियां सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति अधिकारी हारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।  25 उपायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।  26 उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या स्वयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमंग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप मिधारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी	21	विक्रय या उत्तराधिकार पर मंडल के	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
22   सम्पत्ति स्वामी को अदेय / अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना     23   सह-स्वामी के नाम का नियमानुसार सम्पिलन / विलोपन करना     24   सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील पर सुनवाई एवं निर्णय   25   उपायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय     26   उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या स्वयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय     27   भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमांग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप मिधारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।   28   स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्रांग की स्वारा के प्रांग की निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्रांग की निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्रांग की निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्रांग की निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्रांग की निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्रांग की सिक्ता की स				
प्रमाण—पत्र जारी करना।  23 सह—रवामी के नाम का नियमानुसार सम्पत्ति अधिकारी पूर्ण शक्तियां सिम्मलन / विलोपन करना।  24 सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील पर सुनवाई एवं निर्णय  25 उपायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।  26 उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या स्वयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमांग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्रांचित अधिकारी (सम्पत्ति अधिकारी)				
23 सह—स्वामी के नाम का नियमानुसार सम्पत्ति अधिकारी पूर्ण शक्तियां सम्मिलन / विलोपन करना। 24 सम्पत्ति अधिकारी/ सम्पत्ति प्रबंधक द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील पर सुनवाई एवं निर्णय विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय। 25 उपायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय। 26 उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या स्वयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय। 27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमाग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप विधिकारी द्वारा अनुमति । 28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्राप्ति अधिकारी पूर्ण शक्तियां पूर्ण शक्तियां पूर्ण शक्तियां पूर्ण शक्तियां प्राप्ति अधिकारी द्वारा अनुमति । 28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्राप्ति अधिकारी पूर्ण शक्तियां / सम्पत्ति अधिकारी पूर्ण शक्तियां / सम्पत्ति अधिकारी पूर्ण शक्तियां / सम्पत्ति अधिकारी	22	•	सम्पात्त प्रबंधक	पूर्ण शाक्तया
सम्मिलन / विलोपन करना।  24 सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील पर सुनवाई एवं निर्णय  25 उपायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।  26 उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या रवयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमांग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप मक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमित ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्रजीयन राशि / कश्तों की राशि की अधिकारी				
24 सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील पर सुनवाई एवं निर्णय 25 उपायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय। 26 उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या रवयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय। 27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमांग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप में हो, का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति । 28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप प्रजीयन राशि / कश्तों की राशि की अधिकारी	23		सम्पात्त आधकारा	पूर्ण शाक्तया
द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील पर सुनवाई एवं निर्णय  25 उपायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।  26 उपायुक्त/सम्पत्ति अधिकारी/ सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या खयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद/क्रियान्वयन में विलम्ब/ अमांग/कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण/वापसी/ कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण/ वापसी/ कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि/ किश्तों की राशि की				
अपील पर सुनवाई एवं निर्णय के उपायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।  26 उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या स्वयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमाग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी	24		उपायुक्त	पूर्ण शक्तिया
25 उपायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।  26 उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या स्वयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमांग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप मिर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी				
विरुद्ध द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।  26 उपायुक्त / सम्पित्त अधिकारी / सम्पित्त प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या खयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमंग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमित ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी				
निर्णय।  26 उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / मुख्य सम्पदा पूर्ण शक्तियां सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या खयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमंग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति पूर्ण शक्तियां   सम्पत्ति   अधिकारी   पूर्ण शक्तियां   सम्पत्ति   अधिकारी	25		<b>,</b>	पूर्ण शक्तियां
26 उपायुक्त / सम्पत्ति अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या ख्वयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमाग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति पूर्ण शिक्तयां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी		$\mathbf{\circ}$	अधिकारी	
सम्पत्ति प्रबंधक के आदेश पर आवेदन प्राप्त होने या स्वयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमांग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की				
प्राप्त होने या खयं के संज्ञान पर पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमांग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप खीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमित ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की	26			पूर्ण शक्तियां
पुनरीक्षण प्रकरण में सुनवाई एवं निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमंग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी			अधिकारी	
निर्णय।  27 भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / सम्पित्त अधिकारी पूर्ण शक्तियां अमांग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमित ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी		* I		
भूमि विवाद / क्रियान्वयन में विलम्ब / अमंग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।   28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पर्णीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी				,
अमांग / कानूनी विवाद / अन्य आपदा इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी रिथति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति । 28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी	pm to the control of	निर्णय।		
आपदा इत्यांदि के फलस्वरूप स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी	27	61	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
योजना के निरस्तीकरण / वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति । 28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी				
कटौत्री के फलस्वरूप अपूर्ण भवनों (जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी				
(जहां है, जैसी स्थिति में है), का सक्षम प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमित ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण/ कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी/ कटौत्री के फलस्वरूप पंजीयन राशि/ किश्तों की राशि की अधिकारी		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
प्राधिकारी निर्धारित मूल्य निर्धारण के आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति । 28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण/ कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी/ कटौत्री के फलस्वरूप /सम्पत्ति पंजीयन राशि/ किश्तों की राशि की अधिकारी		( )		
आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति । 28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण/ कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी/ कटौत्री के फलस्वरूप / सम्पत्ति पंजीयन राशि/ किश्तों की राशि की अधिकारी				
द्वारा अनुमित ।  28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण/ कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी/ कटौत्री के फलस्वरूप / सम्पत्ति पंजीयन राशि/ किश्तों की राशि की अधिकारी				
28 स्वीकृत योजना के निरस्तीकरण / कार्यपालन यंत्री पूर्ण शक्तियां वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप / सम्पत्ति पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी		आधार पर आवंटन की सक्षम अधिकारी		
वापसी / कटौत्री के फलस्वरूप / सम्पत्ति पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी		द्वारा अनुमति ।		
पंजीयन राशि / किश्तों की राशि की अधिकारी	28	•		पूर्ण शक्तियां
			/ सम्पत्ति	
नियमानुसार ब्याज सहित वापसी		·	अधिकारी	
	-	नियमानुसार ब्याज सहित वापसी		

#### भाग–2 – भाड़ाक्रय योजना

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	भाड़ाक्रय योजना के तहत्	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	आवंटित सम्पत्तियों का लीज	(1 (100)	& · · · · · · ·
	विलेख /विक्रय विलेख		
	निष्पादन करना।		·
2	व्यतिक्रमी हितग्राहियों को	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	सम्पत्ति से बेदखल करने की		ζ,
	कार्यवाही सक्षम अधिकारी के		
	न्यायालय में प्रारम्भ करना।		
3	सक्षम न्यायालय द्वारा पारित	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	आदेश के उपरांत व्यतिक्रमी		
	हितग्राही से सम्पत्ति का पुनः		
	आधिपत्य ग्रहण करना।		
4	भाड़ाक्रय योजना के तहत्	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	सम्पत्ति का नियमानुसार		
	हस्तांतरण करना।		
5	भाड़ाक्रय योजना में	सम्पत्ति अधिकारी,	पूर्ण शक्तियां
	नियमानुसार किश्ते शेष हैं तो	उपायुक्त (वृत्त) के	
; 	वर्तमान काबिज व्यक्ति को	अनुमोदन उपरांत	
	प्रचलित नियमानुसार सम्पत्ति		
	का हस्तांतरण । किराया आधार पर आवंटित	मुख्यालय की कार्मिक	पूर्ण शक्तियां
6	सम्पत्ति को भाड़ाक्रय/	। मुख्यालय का कानक । प्रबंधन समिति	पूर्व सावराया
-	एकमुश्त आधार पर परिवर्तन।	אין אויוועו	
	(केवल मध्यप्रदेश गृह निर्माण		
	एवं अधो. विकास मंडल के		
	कार्मिकों हेतु।)		
7	व्यावसायिक / आवासीय	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	सम्पत्तियों के किराये का		
	पुनर्निर्धारण मंडल की नीति		
	एवं नियमों के अनुसार करना।		
8	नियमानुसार विहित प्रक्रिया	उपायुक्त(वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	द्वारा किराया आधार पर		
	आवंटित सम्पत्तियों का		
	निराकरण करना।		

#### भाग-3 – ऑफर के माध्यम से सम्पत्ति का विकय

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	विक्रय (अपसेट) मृल्य का	उपायुक्त(वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
1	निर्धारण		
2	सम्पत्तियों के विकय हेतु	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	विज्ञापन द्वारा ऑफर आमंत्रित		
	करना।		
3	ऑफर प्राप्त करना एवं	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	खोलना।	:	
4	समस्त प्रकार की सम्पत्तियों	1. संचालक मंडल	1. पूर्ण शक्तियां
	में निर्धारित अपसेट मूल्य के	2. अध्यक्ष	2. सम्पत्ति जिनका
	बराबर या उससे अधिक प्राप्त		अपसेट मूल्य रू. 25.00
	ऑफर की स्वीकृति		करोड़ तक हो।
		3. आयुक्त	3. सम्पत्ति जिनका
			अप्सेट मूल्य ्रू. 10.00
	•		करोड़ तक हो।
		४. मुख्य सम्पदा	4. सम्पत्ति जिनका
	•	अधिकारी	अप्सेट मूल्य रू. 5.00
		e	करोड़ तक हो।
		5. उपायुक्त(वृत्त)	5. सम्पितत जिनका
			अपसेट मूल्य रू. 2.00
			करोड़ तक हो।
		6. सम्पत्ति	6. सम्पत्ति जिनका
		अधिकारी	अपसेट मूल्य रू. 25.00
			लाख तक हो।
5	अविक्रित सम्पत्ति के अपसेट	मुख्य सम्पदा	पूर्ण शक्तियां
	मूल्य का नियमानुसार	अधिकारी	
	युक्तियुक्तकरण ।		
6	निर्धारित प्रपत्र में आवंटन	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	आदेश जारी करना ।		
7	असफल बोलीकर्ता को जमा	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	धरोहर राशि वापसी करना।		
8	शेष राशि जमा करने हेतु	1. उपायुक्त	1. आवंटन आदेश जारी
	समय वृद्धि। (किसी भी स्थिति		होने की दिनांक से
	में आवंटन आदेश जारी होने		120 दिवस तक पूर्ण
	की दिनांक से 120 दिवस से		शक्तियां।
	अधिक व्यतीत होने के उपरांत	2. सम्पत्ति	2. आवंटन आदेश जारी

	समय वृद्धि नहीं दी जावेगी	अधिकारी	होने की दिनांक से 90
	एवं आवंटन निरस्त करते हुये	,	दिवस तक पूर्ण
	जमा राशि नियमानुसार वापस	·,	शक्तियां।
	की जायेगी)। यह समय—सीमा		,
:	शासकीय विभाग / सार्वजनिक		
	उपक्रम /अनुसूचित बैंकों पर		
	लागू नहीं होगी।		
9	शासकीय विभाग / सार्वजनिक	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
	उपक्रम /अनुसूचित बैंकों के		•
	आवेदन प्राप्त होने पर सम्पत्ति		
	(भूखण्ड / भवन) का		
	नियमानुसार आवंटन		
10	विक्रय विलेख अथवा लीज	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	विलेख का निष्पादन करना ।		
11	सम्पत्ति का आधिपत्य आदेश	सम्पत्ति प्रबंधक	पूर्ण शक्तियां
	जारी करना।		
12	सम्पत्ति का भौतिक आधिपत्य	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	प्रदान करना।		
13	निर्धारित समय सीमा में	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां
	आवंटी द्वारा भौतिक अधिपत्य		
	नहीं लेने की स्थिति में		
	नियमानुसार दण्ड/प्रभार का		
	अधिरोपण एवं वसूली।		
14	समय वृद्धि के पश्चात भी शेष	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	राशि जमा करने में असफल		
	रहने पर विहित प्रक्रिया		
	उपरान्त आवंटन निरस्तीकरण		
15	मण्डल के वर्तमान/भावी	उपायुक्त (वृत्त)	पूर्ण शक्तियां
	ग्राहको को सूचना हेतु		
	विज्ञापन प्रकाशन ।		

## भाग-4 - लगी हुई अतिरिक्त भूमि का आवंटन

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	आवंटित सम्पत्ति से लगी हुई	1 अध्यक्ष	1 पूर्ण शक्तियां ।
	अतिरिक्त भूमि (केवल		
	आवासीय), सम्पत्ति के	2 आयुक्त	2. 2000 वर्गफीट तक
	स्वामियों को मंडल के प्रचलित		पूर्ण शक्तियां।
	नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया		C ^

	का पालन करते हुए आवंटन। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन हेतु ।	3 मुख्य सम्पदा अधिकारी	3 1000 वर्गफीट तक पूर्ण शक्तियां
	(प्रकोष्ठ भवनो को छोड़कर)	4 उपायुक्त (वृत्त)	4 500 वर्गफीट तक पूर्ण शक्तियां
2	आवंटित सम्पत्ति से लगी हुई अतिरिक्त भूमि (केवल आवासीय), सम्पत्ति के	1 अध्यक्ष	1 पूर्ण शक्तियां ।
	रवामियों को मंडल के प्रचलित नियमानुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए आवंटन।	2 आयुक्त	2 3000 वर्गफीट तक पूर्ण शक्तियां ।
	भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन के अतिरिक्त अन्य जिलो हेतु। (प्रकोष्ठ भवनो को छोड़कर)	3 मुख्य सम्पदा अधिकारी	3 2000 वर्गफीट तक पूर्ण शक्तियां ।
	(ATT OT THE THE OTHER TO	4 उपायुक्त (वृत्त)	4 1000 वर्गफीट तक पूर्ण शक्तियां ।
		5 सम्पत्ति अधिकारी	5. 500 वर्गफीट तक पूर्ण शक्तियां ।
3	निर्घारित प्रपत्र में लगी हुई अतिरिक्त भूमि का आवंटन आदेश जारी करना।	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
4	लगी हुई अतिरिक्त भूमि का विक्रय विलेख एवं लीज विलेख का निष्पादन।	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
5	लगी हुई अतिरिक्त भूमि का आधिपत्य आदेश जारी करना ।		पूर्ण शक्तियां।
6	आवंटित सम्पत्ति का हितग्राही को भौतिक आधिपत्य प्रदान करना।	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां।

## भाग-5 – विविध (सम्पदा प्रबंधन)

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	अतिक्रमण की स्थिति में सक्षम	कार्यपालन यंत्री/	पूर्ण शक्तियां।
1	प्राधिकारी के न्यायालय में	सम्पत्ति अधिकारी	
	बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ		
	करना।		
2	मण्डल की सम्पत्तियों पर	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां।
	अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत		,
	करना।		
3	मंडल को देय राशि का	सम्पात्त आधकारा	पूर्ण शक्तियां।
	भुगतान नहीं करने के		
	फलस्वरूप व्यतिक्रमी आवंटियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी		
	न्यायालय में बेदखली की		
	कार्यवाही प्रारम्भ करना।		
4	सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां।
}	पारित होने के उपरांत सम्पत्ति		C)
	का पुनः आधिपत्य प्राप्त		
	करना ।		·
5	आवंटियों के लेजर का	सम्पत्ति प्रबंधक	पूर्ण शक्तियां।
	संधारण एव अद्यतनीकरण		,
	(समस्त प्राप्तियों की प्रविष्टी		
	करना / देय राशि एवं दण्ड		
	की राशि की गणना)		
6	आवंटियों को भू-भाटक,	सम्पात्त प्रबंधक	पूर्ण शक्तियां।
	जलकर भूमि के रख-रखाव/		
	कॉमन सर्विस चार्ज / किश्ते एवं अन्य देय राशियाँ जमा		
	करने हेतु नोटिस जारी		
	करना।		
7	लाभार्थियों से शासकीय ऋण	मुख्य लेखा अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	की वसूली (गृह ऋण जो पूर्व		<u> </u>
	में वर्ष 1972 तक स्वीकृत		
	किये थे)		
8	ऋणकर्ताओं के पक्ष में पुनः	1 ~	
	निर्धारण हेतु अंतिम अनुबंध का		प्रमाण पत्र प्राप्त होने के
	निष्पादन।		उपरांत पूर्ण शक्तियां।

#### अनुभाग—4 वित्त एवं लेखा उप अनुभाग —अ — बजट

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	मण्डल के वार्षिक बजट का		पूर्ण शक्तियां।
•	अनुमोदन ।	राषालय गण्डल	युग सावसवा ।
2	(अ) वार्षिक बजट का संकलन	१ मरव्य लेखा	1 समस्त शाखा प्रमुखों
	एवं अंतिम निर्धारण करने के	अधिकारी	की सलाह सहित एवं
	सम्बंध में।		आयुक्त से अंतिम
	(ब) वार्षिक बजट तैयार		अनुमोदन प्राप्त करना
	करना।		पूर्ण शक्तियां।।
	97(1)	2 लेखाधिकारी	2 मुख्यालय से
		(बजट)	सम्बंधित पूर्ण शक्तियां।
		(4010)	(1910)
		3 लेखाधिकारी (वृत्त)	3 वृत्त से सम्बंधित पूर्ण
		- 11-111 (1211)	शक्तियां।।
3	बजट के शीर्षों का विनियोजन	१ आयक्त	1 मुख्य शीर्ष एवं
	करना।	· · · · <b>.</b>	आंतरिक योजना हेतु
			पूर्ण शक्तियां।
		2 मुख्य लेखाधिकारी	2सामान्य योजना से
	·	3	सम्बंधित लघुशीर्ष पूर्ण
			शक्तियां।
4	वार्षिक बजट का समापन।	मुख्य लेखाधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
5	नवीन योजना/परियोजना/	मुख्य लेखाधिकारी	आयुक्त महोदय के
	कार्यो हेतु बजट प्रावधान।	·	अनुमोदन पश्चात पूर्ण
			शक्तियां।
6	परियोजना / योजना हेतु कार्य	लेखाधिकारी (बजट)	पूर्ण शक्तियां।
	कोड आवंटन करना।		
7	निक्षेपकार्यो हेतु वार्षिक बजट	मुख्य लेखाधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
·	प्रावधान करना।		( ( (
8	उपार्जित ब्याज हेतु वार्षिक	। मुख्य लेखाधिकारी	1.वार्षिक हेतु पूर्ण
	बजट प्रावधान करना।		शक्तियां।
		2 लेखाधिकारी	2 त्रैमासिक हेतु पूर्ण
		(बजट)	शक्तियां।
9	ऋण एवं उसके पुनर्भुगतान	1 मुख्य लेखाधिकारी	1.वार्षिक हेतु पूर्ण
	हेतु वार्षिक बजट प्रावधान		शक्तियां।
	करना ।	2 लेखाधिकारी	2 त्रैमासिक हेतु पूर्ण
		(रोकड़)	शक्तियां।

## अनुभाग — ब — निधि प्रबंधन

क्रमांक		प्राधिकारी	सीमा
1	म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के कार्यो हेतु राशि का वितरण ।	अधिकारी	प्रशासकीय अनुमोदन /तकनीकी स्वीकृति बजट सीमा के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
2	निक्षेपकार्यो हेतु राशि का वितरण ।	मुख्य लेखा अधिकारी	संबंधित कार्य हेतु बजट की सीमा के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
3	प्रशासकीय एवं अन्य व्यय हेतु केन्द्रीय खाते से राशि वितरण।	अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
4	निक्षेपकार्यो के अंतर्गत एक ही विभाग से सम्बंधित अन्य योजना / कार्य/परियोजना में राशि का परिवर्तन।	आयुक्त "	संबंधित विभाग से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में पूर्ण शक्तियां।
5	मण्डल की कालोनियों का हस्तांतरण स्थानीय निकायों को होने के पूर्व रख—रखाव हेतु राशि का वितरण ।		रख-रखाव मद में होने वाला व्यय, रख-रखाव मद में प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक। (एम. एल.सी) पूर्ण शक्तियां।
6	स्थानीय निकायों को मण्डल की कालोनियों का हस्तांतरण करने से पूर्व, मूल्य निर्धारण में प्रावधानित राशि से अधिक राशि के हस्तांतरण करने की स्वीकृति ।		पूर्ण शक्तिया।
7	सक्षम प्राधिकारी से आदेश अनुसार कालोनी के हस्तान्तरण के लिए स्थानीय निकायों को राशि हस्तांतरण।		पूर्ण शक्तियां।
8	धनादेश प्रदाय / हस्ताक्षर प्राधिकारी ।	1.मुख्य लेखाधिकारी	1. पूर्ण शक्तियां। लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ ।

			(रोकड / पेंशन / जी.पी.
			एफ)
		2 लेखाधिकारी	2.मुख्यालय के अंतर्गत
		(रोकड / पेंशन / जी.	रू. 5.00 लाख तक
		पी.एफ)	पूर्ण शक्तियां।
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
		3.लेखाधिकारी वृत्त	3 वृत्त के अंतर्गत रू.
			1.00 लाख तक पूर्ण
	· .		शक्तियां।
		४ उपायुक्त वृत्त	4 वृत्त कार्यालय के प्रकरणों में लेखाधिकारी
			के संयुक्त हस्ताक्षर के
			साथ पूर्ण शक्तियां।
		5 कार्यपालन यंत्री	5संभाग एवं सम्पत्ति
		/ सम्पत्ति	प्रबंधन कार्यालय से
		अधिकारी	सम्बधित प्रकरणों में
		,	लेखापाल के संयुक्त
			हस्ताक्षर के साथ पूर्ण
			शक्तियां।
9	बैंकों से प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव	मुख्य लेखाधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	प्राप्त कर आयुक्त संस्थागत		
	वित्त द्वारा निर्धारित बैंकों में		
	आधिक्य राशि का विनियोजन।		
10	शासन की प्रतिभूतियों में	संचालक मण्डल	पूर्ण शक्तियां।
	लाभकारी होने पर अतिरिक्त		
14	राशि का विनियोजन। कार्यालयीन आकरिमक व्यय हेतु	באדנוני	पूर्ण शक्तियां।
11	मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों	आयुक्त	रून सामरामा।
	हेत् स्थायी अग्रिम की सीमा		
	निर्धारण ।		
12	आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु	1 मुख्य प्रशासकीय	1.मुख्यालय के सम्बंध
	निर्धारित की गई सीमा के	अधिकारी	में पूर्ण शक्तियां।।
	अंतर्गत कार्यालयीन आकरिमक		
	व्यय हेतु स्थायी अग्रिम राशि की	2 उपायुक्त वृत्त	2 वृत्त कार्यालय के
	प्रारम्भिक स्वीकृति एवं प्रतिपूर्ति	-	सम्बंध में पूर्ण
	की अनुमति ।		शक्तियां।

(ATTENDED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			
		3 कार्यपालन यंत्री / सम्पत्ति अधिकारी	3संभाग एवं सम्पत्ति प्रबंधन कार्यालय एवं उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उपसंभागों
	•		हेतु पूर्ण शक्तियां।
13	निक्षेपकार्यों के तहत प्राप्त राशि कार्य निष्पादन न होने के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के तहत प्राप्त राशि वापसी ।	मुख्य लेखाधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
14	वित्तीय प्रबंधन, परियाजना हेतु वित्तीय पोषण, लाभकारी वित्तीय पोषण हेतु बैकों वित्तीय संस्थाओं एवं हुडको से अनुबंध/ मेमोरेन्डम आफ अन्डर स्टेडिंग की अनुमति ।	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।

## अनुभाग- स - वित्तीय संसाधनों का उपयोग (परिचालन)

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1 .	परियोजनाओं हेतु ऋण प्राप्त	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां।
	करने की स्वीकृति।		
2	जमा राशि के विरूद्व वित्तीय	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
	प्रबंधन हेतु अल्प अवधि/मध्य		
	अवधि के ऋण प्राप्त करने की		
	स्वीकृति।		
3	स्वीकृत ऋण से सम्बधित	मुख्य लेखाधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	अनुबंध निष्पादन।		योजना से सम्बंधित अपर
		. •	आयुक्त के संयुक्त
	·		हस्ताक्षर के साथ
4	स्वीकृत ऋण को बन्द करने	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
	हेतु अग्रिम भुगतान की		
	स्वीकृति		
5	ऋण स्वीकृति हेतु प्रक्रियात्मक	मुख्य लेखाधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	प्रभार एवं अन्य आकस्मिक		
	प्रभार का भुगतान।		
6	ऋण को पुनरीक्षित / पुनर्गं उन	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां।
	के लिए आवेदन हेतु निर्णय ।		

#### अनुभाग — द — रोकड़बही / मुख्य लेजर, उपलेजर / एम.आर.बी.एवं बैंक समाशोधन / तलपट

कमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	मुख्यालय से सम्बंधित		1 पूर्ण शक्तियां।
	रोकड़बही की जांच/समस्त		, a
	लेखा लेजर एवं रजिस्टर		२ पूर्ण शक्तियां।
	तैयार करना / संधारण एवं रख		ι α
	रखाव।	विद्यालय, विश्वबैक कार्य	
		3 लेखाधिकारी (जी.पी.	3 पूर्ण शक्तियां।
		एफ) जी.पी.एफ लेखा	
	·	हेतु ।	
		4 लेखाधिकारी (पेंशन)	4 पूर्ण शक्तियां।
	.	पेशन लेखा एवं अन्य	
		हेतु	
2	वृत्त कार्यालय से सम्बंधित	लेखाधिकारी वृत्त	पूर्ण शक्तियां।
	रोकड़वही की जांच/समस्त		
	लेखा लेजर एवं रजिस्टर तैयार करना/ संधारण/रख		
	तयार करना/ संधारण/ रख		
-	रखाप।		
3	संभाग कार्यालय से सम्बंधित	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां।
	रोकड़वही की जांच/समस्त		\$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	लेखा लेजर एवं रजिस्टर		
	तैयार करना/ संधारण/रख		
	रखाव		
4	सम्पत्ति प्रबंधन संभाग/	सम्पत्ति अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
	कार्यालय से सम्बंधित		
	रोकड़वही की जांच/समस्त		
	लेखा लेजर एवं रजिस्टर		
	तैयार करना/ संधारण/रख		
· p	रखाव। सम्पत्ति प्रबंधन प्रक्षेत्र	जागन्नि अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
5	सम्पात्त प्रबंधन प्रक्षत्र कार्यालय से सम्बंधित	1	भूग सापराया।
	रोकड़वही की जांच/ समस्त		
	लेखा लेजर एवं रजिस्टर		
	तैयार करना/ संधारण/रख		
	रखाव।		
6		लेखाधिकारी सम्बंधित	पूर्ण शक्तियां।
	तैयार करना एवं जॉचना ।	आहरण एवं वितरण और	- '
		संभागीय लेखापाल /	
		लेखापाल / रोकड़िया	

7	अंतिम लेखे तैयार करना।	1 मुख्य लेखाधिकारी	1 म.प्र.गृह निर्माण
	i .		एवं अधींसरचना
-			विकास मंडल के
			संयुक्त लेखे पूर्ण
			शक्तियां।
ļ		2 लेखाधिकारी वृत्त	2 वृत्त कायोलय
			हेतु पूर्ण शक्तियां।
8		लेखाधिकारी (संकलन)	पूर्ण शक्तियां।
	/वार्षिक लेखे का संकलन		
9	वृत्त के मासिक लेखों का	लेखाधिकारी वृत्त	पूर्ण शक्तियां।
	संकलन		

#### अनुभाग — 5 — अंकेक्षण उपअनुभाग —अ— वैधानिक अंकेक्षण

क्रमांक		प्राधिकारी	सीमा
1	महालेखाकार म.प्र. की अंकेक्षण		1.मुख्यालय के सम्बंध
	रिपोर्ट का अनुपालन एवं	अधिकारी	में पूर्ण शक्तियां।
	अंकेक्षण पैरा का निराकरण	२ उपायुक्त वृत्त	2 अधिकार क्षेत्र के
	करने के सम्बंध में ।		अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
2	कण्डिकाओं से संबंधित		पूर्ण शक्तियां।
	तथ्यात्मक विवरण(एफ.एस.) /	अधिकारी	
	प्रारूप कंडिका /महालेखाकार		
	का अंकेक्षण प्रतिवेदन/		
	सार्वजनिक उपक्रम समिति में		
	लंबित कंडिकाओं का		
	अनुपालन ।		
3	चार्टेंड एकाउन्टेन्ट (सी.ए) की	1 मुख्य लेखा	1.मुख्यालय के सम्बंध
	टिप्पणियों एवं रिपोर्ट का	अधिकारी	में पूर्ण शक्तियां।
	अनुपालन एवं निराकरण ।	·	
		2 उपायुक्त वृत्त	2 अधिकार क्षेत्र के
_			अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
			Land and ratio
4	महालेखाकार म.प्र. को अंकेक्षण	मुख्य लखा आधकारा	पूर्ण शक्तियां।
	शुल्क एवं अन्य आकरिमक		
	व्यय की स्वीकृति एवं		
	भुगतान ।	OTITE	पूर्ण शक्तियां।
5	उच्च साधिकार समिति का	। आयुक्त 	पूर्ण शायतया
	गठन करने के सम्बंध में ।	प्राचा चेत्रा शिकारी	पूर्ण शक्तियां।
, 6	महालेखाकार म.प्र. की उच्च साधिकार समिति की बैठक		पूर्व सायसवा।
		/ मुख्य अक्रवण   अधिकारी	
	आयोजित करना ।	आवकारा	

#### भाग —ब —आंतरिक अंकेक्षण

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	वार्षिक अंकेक्षण कार्यक्रम की स्वीकृति ।	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
2	आवश्यकता अनुरूप विशेष अंकेक्षण की स्वीकृति	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
. 3	अंकेक्षण दल का गठन	मुख्य अंकेक्षण अधिकारी	पूर्ण शक्तियां।
4	पूर्वकालिक अंकेक्षण पैरा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट का अंतिम निराकरण एवं अनुपालन।		मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श के साथ पूर्ण शक्तियां।
5	चोरी, गबन, एवं वित्तीय दुरूपयोग /वित्तीय हानि के संबंध में मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जिला पुलिस में एफ.आई.आर या अन्य प्राधिकरण में रिपोर्ट दर्ज करने की स्वीकृति ।		पूर्ण शक्तियां।
6	अंकेक्षण रिपोर्ट का समाधानकारक निराकरण (निर्देशों या बिना निर्देश के साथ)।	1 मुख्य अंकेक्षण अधिकारी 2 मुख्यालय की वित्तीय समिति 3 मंडल की अंकेक्षण समिति	1 उन पैरास का अनुपालन जिसमें वित्तीय हानि नही हो की पूर्ण शक्तियां। 2 ऐसे प्रकरण जिसमें वित्तीय हानि रू. 50,000.00 तक हो पूर्ण शक्तियां। 3 पूर्ण शक्तियां।
7	1 मैदानी अधिकारियों को स्मरण एवं अनुपालन पत्र समय सीमा के अंतर्गत जारी करना। 2 निर्धारित समयाविध व्यतीत होने के उपरांत अंकेक्षण पैरा का अनुपालन ।	1 अंकेक्षण अधिकारी	<ol> <li>पूर्ण शक्तियां।</li> <li>पूर्ण शक्तियां।</li> </ol>
8	गंभीर अंकेक्षण आपत्तियों के तहत अनुशासिनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करना।	मुख्य अंकेक्षण	पूर्ण शक्तियां।

#### <u>अनुभाग —6 — परियोजना प्रबंधन एवं तकनीकी कार्य ।</u> उप अनुभाग —ए— प्रशासकीय अनुमति

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोंसंरचना	संचालक मण्डल	पूर्ण शक्तियां।
	विकास मण्डल अधिनियम की		
	धारा 35 के तहत गृह निर्माण		
-	एवं अधोसरंचना की वार्षिक		
	योजना का अनुमोदन		
2	वार्षिक योजना में अनुमोदित	१ अपर आयुक्त	1 पूर्ण शक्तियां।
	परियोजनाओं के सर्वे एवं	2 उपायुक्त वृत्त	2 राशि रू. 1.00
	निरीक्षण के लिए प्रशासकीय		लाख तक — पूर्ण शक्तियां।
3	अनुमोदन स्वीकृत वार्षिक योजना के	१ भाग भगतन	1 पूर्ण शक्तियां।
3	अंतर्गत चिन्हित योजनाओं की	१ जबर जायुवत २ स्पायक्त वत्त	2 राशि रू. 2.00
	साध्यता अध्ययन हेतु प्रशासकीय	2 0 11340 200	लाख तक – पूर्ण
	अनुमोदन।		शक्तियां।
4	रवीकृत वार्षिक योजना के	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
	अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की		
	विस्तृत परियोजना रिर्पोट के		
	आधार पर प्रशासकीय	·	
	अनुमोदन।	·	
p==			मार्ग कविन्यां।
5	वार्षिक प्लान के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के अतिरिक्त	सिवालक मङ्ल	पूर्ण शक्तियां।
	योजनाओं के सम्बंध में विस्तृत		
	परियोजना रिर्पोट के आधार पर	·	
,	प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त		·
	करना।		
6	शासकीय योजनाओं के अंतर्गत	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
	सक्षम प्राधिकारी को प्रशासकीय		
-	स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव		
	प्रस्तुत करना ।		
7	मंडल के मौजूदा कार्यालय एवं		१ पूर्ण शक्तियां।
	रहवासी भवनों में सुधार कार्य		2 मुख्यालय हेतु राशि रू. 10.00 लाख
	अंतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन नवीनीकरण करने हेतु	जावपगरा 	प्रतिवर्ष तक — पूर्ण
	प्रशासकीय अनुमोदन ।		शिक्तियां।
	21311313131 2131131 1		1

Γ		Designation of the second of t	
		3 उपायुक्त वृत्त	3 राशि रू. 2.00 लाख प्रतिवर्ष तक — पूर्ण शक्तियां।
8	तकनीकी कार्य एवं गुणवत्ता	1 आयुक्त	1 पूर्ण शक्तियां।
	नियंत्रण हेतु ओजार, प्लान्ट और		2 राशि रू. 10.00
	मशीनों के क्रय हेतु प्रशासकीय		लाख प्रतिवर्ष की
	अनुमोदन।		सीमां तक – पूर्ण
			शक्तियां।
9	परियोजना के भवनों की विशेष	अपर आयुक्त	बजट में प्रावधान की
	मरम्मत हेतु प्रशासकीय		सीमा तक – पूर्ण
_	अनुमोदन।		शक्तियां।
	(निक्षेप कार्य को छोडकर)		
10	मंडल् द्वारा निष्पादित निक्षेप	अपर आयुक्त	सम्बंधित ठेकेदार/
	कार्यो में विशेष मरम्मत कार्य एवं		अधिकारियों से वसूली
	त्रुटि के सुधार हेतु प्रशासकीय		के प्रस्ताव के
	स्वीकृति प्रदान करना ।	. •	अध्यधीन ।
44	शासकीय योजना एवं निक्षेप	4 diamate dieta	1. पूर्ण शक्तियां
11	कार्य के अंतिरिक्त अन्य		1. पूज शावतावा   2. रू. 50.00 करोड़
	योजनाओं हेतु पुनरीक्षित	2. Maga	तक (पुनरीक्षित मूल्य)
	प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान		– पूर्ण शक्तियां
	करना ।		. र्यु । राजिराञ्चा
12	केन्द्र एवं राज्य शासन के	1. आयक्त	1. पूर्ण शक्तियां
	विभागों एवं उनके उपक्रमो के	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	निक्षेपकार्य स्वीकार करने हेतु	2. अपर आयुक्त	2. कार्य जिनकी
•	प्राधिकारी ।	,	लागत रू. 50.00
			करोड़ तक — पूर्ण
			शक्तियां
		3. उपायुक्त	3. कार्य जिनकी
			लागत रू. 10.00
			करोड़ तक – पूर्ण
			शक्तियां ।
		   ४. कार्यपालन यंत्री	4. कार्य जिनकी
		[ 4. 4개억덕(연박 작가] 	्रम. काय जिनका लागत रू. 1.00
			करोड़ तक — पूर्ण
			शक्तियां ।
	·		XIIMUMI I

13	शासकीय योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं से सम्बंधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना ।		पूर्ण शक्तियां
14	निक्षेप कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव निक्षेपकर्ता के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना ।		पूर्ण शक्तियां
15	शासन की योजनाओं एवं निक्षेप कार्यो हेतु सर्वे, जॉच एवं प्रारम्भिक योजना को तैयार करने एवं आवश्यक वित्तीय स्वीकृति ।		<ol> <li>पूर्ण शक्तियां</li> <li>रू. २.०० लाख़</li> <li>प्रति योजना – पूर्ण शक्तियां</li> </ol>
		3. उपायुक्त	3. रूं. 50,000.00 तक — पूर्ण शक्तियां
16	निजी संस्थाओं के निक्षेप कार्य स्वीकृति करने हेतु प्राधिकारी	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां
17	म.प्र.शासन एवं भारत सरकार के अन्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले शेड्यूल ऑफ रेट्स (एस.ओ.आर) को अंगीकृत करना।	समिति की अनुशंसा	पूर्ण शक्तियां
18	म.प्र.शासन के कार्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले निविदा प्रपत्रों को अंगीकृत करना ।	समिति की अनुशंसा	पूर्ण शक्तियां
19	निर्माण योजना/ जनभागीदारी योजनाओं से सम्बंधित आदर्श निविदा प्रपत्रों का अनुमोदन या अंगीकृत करना ।	समिति की अनुशंसा	पूर्ण शक्तियां
20	भूमि विवाद कार्य निष्पादन में विलम्ब, पंजीयन/ऑफर प्राप्त न होने पर, कानूनी या अन्य अपरिहार्य कारण इत्यादि के फलस्वरूप स्वीकृत योजनाओं का निरस्तीकरण/वापसी या कटौत्री का अनुमोदन करना।		पूर्ण शक्तियां
21	मंडल की कालोनी/व्यवसायिक परिसरों के रख-रखाव के संबंध में ।	1 0	रख-रखाव मद में राशि की उपलब्धता के अध्यधीन पूर्ण शक्तियां

## उप अनुभाग-बी - तकनीकी स्वीकृति

1       प्रशासकीय       अनुमोदन       प्राप्त योजनाओं       के प्राक्कलन       पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।       2 उपायुक्त       2 एशि रू. 5.00 करोड़ तक — पूर्ण शक्तियां।         2       तकनीकी स्वीकृति को पुनरीक्षित करने की शक्तियां।       1 अपर आयुक्त वृत्त वृत	Γ		<u> </u>		
योजनाओं के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।  2 तकनीकी स्वीकृति को पुनरीक्षित करने की शक्तियां।  3 कार्यपालन यंत्री  3 कार्यपालन यंत्री  3 राशि रूपये 50.00 लार तक — पूर्ण शक्तियां।  2 तकनीकी स्वीकृति को पुनरीक्षित करने की शक्तियां।  3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त अपर आयुक्त पूर्ण शक्तियां।  3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त अपर आयुक्त पूर्ण शक्तियां।  4 प्रवानों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य से सम्बंधित स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन। (मंडल के अधिकारी या सलाहकार द्वारा)  4 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।  5 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।	L			प्राधिकारी	सीमा
तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।  2 तकनीकी स्वीकृति को पुनरीक्षित व अपर आयुक्त करने की शक्तियां।  3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त अपर आयुक्त व पूर्ण शक्तियां।  3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त अपर आयुक्त पूर्ण शक्तियां।  3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त अपर आयुक्त पूर्ण शक्तियां।  4 भवनों का निर्माण कार्य एवं व अपर आयुक्त पूर्ण शक्तियां।  4 भवनों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य से सम्बंधित स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन। (मंडल के अधिकारी या सलाहकार द्वारा)  5 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।  5 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।		1	प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त		1 6
3 कार्यपालन यंत्री   3 राशि रूपये 50.00 लार तक — पूर्ण शक्तियां।     2 तकनीकी स्वीकृति को पुनरीक्षित   1 अपर आयुक्त   2 राशि कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति   50.00 लाख तक — पूर्ण शक्तियां।     3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन को निविदाये आमंत्रण करने हेतु विभाजित करने की शक्तियां।     4 भवनों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य से सम्बंधित स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन। (मंडल के अधिकारी या सलाहकार द्वारा)   2 उपायुक्त वृत्त   2 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूर्ण शक्तियां।     5 कालोनी / परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।				2 उपायुक्त	
तकनीकी स्वीकृति को पुनरीक्षित   1 अपर आयुक्त   1 पूर्ण शक्तियां।   2 उपायुक्त वृत्त   2 राशि कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति फ्रांक्तयां।   2 उपायुक्त वृत्त   2 राशि कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति फ्रांक्तयां।   2 अपर आयुक्त   पूर्ण शक्तियां।   1 अपर आयुक्त   1 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा जार्र के कार्यपालन वृत्त   2 कार्लोनी/परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।   राशि की उपलब्धता होने पर पूर्ण शक्तियां।   राशि की उपलब्धता होने पर पूर्ण शक्तियां।   राशि की उपलब्धता होने पर पूर्ण शक्तियां।	İ		तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।		तक – पूर्ण शक्तियां।
2 तकनीकी स्वीकृति को पुनरीक्षित करने की शक्तियां   2 उपायुक्त वृत्त   2 राशि कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति फ. 50.00 लाख तक — पूर्ण शक्तियां   2 प्राप्तकलन को निविदाये आमंत्रण करने हेतु विभाजित करने की शक्तियां   4 भवनों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य से सम्बंधित स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन   (मंडल के अधिकारी या सलाहकार द्वारा)   2 उपायुक्त वृत्त   2 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना   3 पायुक्त वृत्त   1 प्राप्तकले कार्यपालन यंत्रियों   3 पायुक्त वृत्त   1 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियों   3 पायुक्त वृत्त   1 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियों   3 पायुक्त वृत्त   3 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना		-		3 कार्यपालन यंत्री	3 राशि रूपये 50.00 लाख
2 तकनीकी स्वीकृति को पुनरीक्षित करने की शक्तियां   2 उपायुक्त वृत्त   2 राशि कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति फ. 50.00 लाख तक — पूर्ण शक्तियां   2 प्राप्तकलन को निविदाये आमंत्रण करने हेतु विभाजित करने की शक्तियां   4 भवनों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य से सम्बंधित स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन   (मंडल के अधिकारी या सलाहकार द्वारा)   2 उपायुक्त वृत्त   2 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना   3 पायुक्त वृत्त   1 प्राप्तकले कार्यपालन यंत्रियों   3 पायुक्त वृत्त   1 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियों   3 पायुक्त वृत्त   1 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियों   3 पायुक्त वृत्त   3 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना					तक – पूर्ण शक्तियां।
करने की शक्तियां ।  2 उपायुक्त वृत्त 2 राशि कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति रू. 50.00 लाख तक — पूर्ण शक्तियां।  3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन को निविदाये आमंत्रण करने हेतु विभाजित करने की शक्तियां।  4 भवनों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य से सम्बंधित स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन। (मंडल के अधिकारी या (मंडल के अधिकारी या सलाहकार द्वारा)  5 कालोनी/परिसरों के रख—रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।					
करने की शक्तियां ।  2 उपायुक्त वृत्त 2 राशि कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति फ. 50.00 लाख तक — पूर्ण शक्तियां ।  3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त अपर आयुक्त पूर्ण शक्तियां ।  4 भवनों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य से सम्बंधित स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन । (मंडल के अधिकारी या सलाहकार द्वारा)  5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।  2 उपायुक्त वृत्त 2 राशि कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूर्ण शक्तियां । ।		2	तकनीकी स्वीकृति को पुनरीक्षित	1 अपर आयुक्त	1 पूर्ण शक्तियां।
तकनीकी स्वीकृति फ. 50.00 लाख तक — पूर्ण शक्तियां।  3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन को निविदाये आमंत्रण करने हेतु विभाजित करने की शक्तियां।  4 भवनों का निर्माण कार्य एवं 1 अपर आयुक्त प्रविकृति उनके द्वारा जार्र की गई हो पूर्ण शक्तियां अनुमोदन। (मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूर्ण शक्तियां।।  5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।					2 राशि कार्य जिनकी
ज्ञ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त अपर आयुक्त पूर्ण शक्तियां।  1 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा जार्र की गई हो पूर्ण शक्तियां अनुमोदन। (मंडल के अधिकारी या सलाहकार द्वारा)  5 कालोनी ∕ परिसरों के रख–रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।  उपायुक्त वृत्त राशि की उपलब्धता होने पर पूर्ण शक्तियां।			•	9 6	
पूर्ण शक्तियां     उपासकीय स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन को निविदाये आमंत्रण करने हेतु विभाजित करने की शिक्तयां     4 भवनों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य से सम्बंधित स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन । (मंडल के अधिकारी या सलाहकार द्वारा)   5 कालोनी / परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।				•	1
3 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन को निविदाये आमंत्रण करने हेतु विभाजित करने की शिक्तयां ।  4 भवनों का निर्माण कार्य एवं 1 अपर आयुक्त 1 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा जार्र की गई हो पूर्ण शिक्तयां अनुमोदन । (मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त व कार्य जनके कार्यपालन यंत्रियो सलाहकार द्वारा)  5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव उपायुक्त वृत्त राश करना।					
प्राक्कलन को निविदाये आमंत्रण करने हेतु विभाजित करने की शिक्तयां ।  4 भवनों का निर्माण कार्य एवं 1 अपर आयुक्त 1 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा जार्र की गई हो पूर्ण शिक्तयां अनुमोदन । (मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जार्र की गई है पूर्ण शिक्तयां । ।  5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।	F	3	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त	अपर आयक्त	
करने हेतु विभाजित करने की शिवतयां ।  4 भवनों का निर्माण कार्य एवं 1 अपर आयुक्त 1 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा जार्र की गई हो पूर्ण शिवतयां अनुमोदन । (मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूर्ण शिक्तयां ।  5 कालोनी / परिसरों के रख-रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।			पाक्कलन को निविदाये आमंत्रण	3.11	
शिक्तयां ।  4 भवनों का निर्माण कार्य एवं 1 अपर आयुक्त 1 कार्य जिनकी तकनीकी विकास कार्य से सम्बंधित स्विकृति उनके द्वारा जार्र की गई हो पूर्ण शिक्तयां अनुमोदन । (मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूर्ण शिक्तयां। ।  5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।				•	
4 भवनों का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य से सम्बंधित स्त्रक्चरल डिजाईन का अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी स्त्रक्वार द्वारा)  (मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूण शक्तियां। ।  5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।					·
विकास कार्य से सम्बंधित स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन । (मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूण शक्तियां। । 5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।	-		•	४ आछ आगतन	1 कार्य जिनकी तकनीकी
स्ट्रक्चरल डिजाईन का अनुमोदन । (मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी सलाहकार द्वारा) स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूण् शक्तियां। । 5 कालोनी/परिसरों के रख—रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।		7		। जनर जानुबरा	
अनुमोदन । (मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूण् शिक्तयां।।  5 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव उपायुक्त वृत्त राशि की उपलब्धता होने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।					
(मंडल के अधिकारी या 2 उपायुक्त वृत्त 2 कार्य जिनकी तकनीकी स्वीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूण् शिक्तयां। ।  5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।		. [			परा पर् हा पूरा सापरापा।
सलाहकार द्वारा)  प्रतिकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूण् शक्तियां।  करना।  रवीकृति उनके द्वारा या उनके कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूण् शक्तियां। राशि की उपलब्धता होने पर पूर्ण शक्तियां। करना।			$\sim$	० स्मामस्य सन्त	्रकार्य जिनकी तकनीकी
उनकें कार्यपालन यंत्रियो द्वारा जारी की गई है पूण शक्तियां।। 5 कालोनी/परिसरों के रख-रखाव उपायुक्त वृत्त राशि की उपलब्धता होने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।			•	८ ७पायुपत पृत्त	
द्वारा जारी की गई है पूण् शक्तियां। । 5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव उपायुक्त वृत्त राशि की उपलब्धता होने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।			सलाहकार द्वारा)		
हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त वृत्त राशि की उपलब्धता होने करना।	1				
5 कालोनी / परिसरों के रख—रखाव उपायुक्त वृत्त राशि की उपलब्धता होने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना।					~,
हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त पर पूर्ण शक्तियां। करना।	L				
करना।		5		उपायुक्त वृत्त	1
			_	,	। पर पूण शाक्तया।
6 निक्षेपकर्ता / हितगाहियों के निवेदन उपायक्त इस शर्त के साथ कि			करना ।		
। ६ । निक्षपकर्ता / हितगाहिया क निवदन । उपायक्त । इस शत के साथ कि	_				
		6		उपायुक्त ।	1 7
एवं तकनीकी आवश्यकता होने परियोजना के मूल्य में			·		
पर निर्माणाधीन योजनाओं से किसी भी प्रकार का					1
संबंधित स्पेसिफिकेशन में सुधार विदलाव न हो पूर्ण					
/बदलाव करने का अनुमोदन ।   शक्तियां ।			/बदलाव करने का अनुमोदन ।		शक्तियां ।
	L				

7	निक्षेपकर्ता / हितग्राहियो के निवेदन एवं तकनीकी आवश्यकता होने पर निर्माणाधीन योजनाओं से सम्बंधित स्पेसिफिकेशन में सुधार / बदलाव करने पर परियोजना लागत में बढ़ोत्तरी होने की स्थिति में अनुमोदन।		पूर्ण शक्तियां ।
8	मुख्य योजना से संबंधित पूरक प्राक्कलन हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बंध में ।	<ol> <li>अपर आयुक्त</li> <li>उपायुक्त वृत्त</li> <li>कार्यपालन यंत्री</li> </ol>	1 उनके द्वारा जिन परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है उनसे सम्बंधित पूरक प्राक्कलनों हेतु पूर्ण शक्तियां । 2 उनके द्वारा जिन परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है उनसे सम्बंधित पूरक प्राक्कलनों हेतु पूर्ण शक्तियां । 3 उनके द्वारा जिन परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है उनसे सम्बंधित पूरक प्राक्कलनों हेतु पूर्ण शक्तियां । शक्तियां ।

# उप अनुभाग-सी – निविदा आमंत्रण सूचना का अनुमोदन ।

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	म.प्र.शासन कार्य विभाग मेन्यूअल	1 अपर आयुक्त	1 पूर्ण शक्तियां,
	में निर्दिष्ट मानक विड दस्तावेजों		
,	में बिना किसी विचलन (डेविएशन)	2 उपायुक्त वृत्त	2 राशि रू. 3.00 करोड़
	के निविदा दस्तावेजों (एन.आई.टी)		तक पूर्ण शक्तियां
	का अनुमोदन।	3 कार्यपालन यंत्री	3 राशि रू. 25.00 लाख
	9		केवल दर अनुसूची में
			उल्लेखित आयटम हेतु पूर्ण
			शक्तियां।

2	म.प्र.कार्य विभाग के मानक विड दस्तावेजों जिसमें विशेष शर्त		1 पूर्ण शक्तियां
	समाहित हो ऐसे कार्यो से सम्बंधित निविदा दस्तावेजों		2 राशि रू. 3.00 करोड़ तक उन प्रकरणों में जिनमें
,	(एन.आई.टी) का अनुमोदन।		निविदा दर प्रतिशत आधार पर हो पूर्ण शक्तियां।
3	टर्नकी / एक मुश्त योजनाओं से सम्बंधित निविदा दस्तावेजों	1 अपर आयुक्त	1 पूर्ण शक्तियां
	(	2 उपायुक्त वृत्त	2 राशि रू. 3.00 करोड़ तक पूर्ण शक्तियां
4	इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ई.पी.सी.)योजनाओं से संबंधित निविदा दस्तावेजों (एन.आई.टी) का अनुमोदन।	अपर आयुक्त	पूर्ण शक्तियां

## उप अनुभाग-डी - निविदा आमंत्रण ( मुक्त एवं खोलने हेतु )

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	समस्त प्रकार की परियोजनाओं	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां
	हेतु निविदायें आमंत्रित करना एवं उनको खोलना ।		
2	निर्माण कार्यों हेतु निर्माण संस्थाओं के पोस्टक्वालिफिकेशन (जहाँ लागू हो) का अनुमोदन	उपायुक्त वृत्त	कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा के साथ पूर्ण शक्तियां।
	करना।		
3	योजना से सम्बंधित विविध कार्यो रख-रखाव के संबंध में अल्प सूचना पर कार्य कराने हेतु भाव पत्र का आमंत्रण एवं उसको खोलना ।		1 राशि रू. 25000.00 प्रति कार्य पूर्ण शक्तियां 2 राशि रू. 10000.00 प्रति कार्य पूर्ण शक्तियां । 3 राशि रू.5000.00 प्रति कार्य पूर्ण शक्तियां ।
4	राज्य शासन के वर्क्स मेन्युअल में उल्लेखित विविध / रख—रखाव कार्यो से संबंधित लघु व्यय (पेट्टी एक्सपेन्सेस) करने के संबंध में ।		1 राशि रू. 5000.00 प्रति कार्य पूर्ण शक्तियां । 2 राशि रू. 1000.00 प्रति कार्य पूर्ण शक्तियां । 3 राशि रू. 500.00 प्रति कार्य पूर्ण शक्तियां ।

## उप अनुभाग—इ —निविदा का अनुमोदन ।

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
	इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन		1 पूर्ण शक्तियां ।
1	(ई.पी.सी) आधारित निविदा का	मंडल	2 राशि रू. 50.00
	अनुमोदन	2 अध्यक्ष	करोड़ तक पूर्ण
	<u> </u>	2, 010-101	शक्तियां ।
			3 राशि रू. 25.00
·		3 आयुक्त	करोड़ तक पूर्ण
		0 0113411	शक्तियां ।
2	प्रतिशत आधार पर निविदा	1 संचालक	1 पूर्ण शक्तियां ।
	अनुमोदन।	मंडल या उनकी	
,	नोटः—	साधिकार समिति	
	1 कॉलम क्र. 04 में दर्शित राशि		2 राशि रू. 50.00
	निविदा प्रीमियम सहित है ।		करोड़ तक पूर्ण
	1.1 कॉलम क्र. 03 के सरल क्र. 4 से		शक्तियां ।
	6 तक की निविदायें स्वीकृति हेतु	3 आयुक्त	3 राशि रू. 25.00
	प्राधिकृत अधिकारी प्राक्कलित राशि	3	करोड़ तक पूर्ण
	से 10 प्रतिशत अधिक की सीमा तक		शक्तियां ।
	ही निविदा स्वीकृत करने हेतु	4 अपर आयुक्त	4 राशि रू. 10.00
	अधिकृत होंगे।		करोड़ तक पूर्ण
	1.2 कॉलम क्र. 03 के सरल क्र. 4 से		शक्तियां ।
	6 तक की निविदायें यदि प्राक्कलित	5 उपायुक्त	5 राशि रू. 5.00
	राशि से 10 प्रतिशत अधिक की सीमा	(वृत्त)	करोड़ तक पूर्ण
	से अधिक प्राप्त होती है तो कॉलम 2		शक्तियां ।
	में दर्शित अधिकारी से अगले उच्च	6 कार्यपालन	6 राशि रू. 1.00
	अधिकारी निविदा स्वीकृति हेतु	यंत्री	करोड़ तक पूर्ण
	अधिकृत होंगे।		शक्तियां ।
	1.3 कॉलम क्र. 03 के सरल क्र. 4 से		
	6 तक की निविदायें यदि प्राक्कलित		
	राशि से 10 प्रतिशत से कम प्राप्त है		
	तो निविदा स्वीकार्यता PAC (Probable		
	Amount of Contract) राशि के अनुसार		
	निर्धारित होगी।		
	1.4 निविदा पर निर्णय लेने हेतु सक्षम्		
	प्राधिकारी का निर्धारण बोली राशि के	,	
	आधार पर होगा।		

3	टर्नकी / एक मुश्त आधार पर आमंत्रित निविदा पर निर्णय लेने के सम्बंध में । नोट:— निविदा पर निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण बोली राशि के आधार पर होगा।		1 पूर्ण शक्तियां । 2 राशि रू. 25.00 करोड़ तक पूर्ण शक्तियां । 3 राशि रू. 10.00 करोड़ तक पूर्ण शक्तियां ।
		4 अपर आयुक्त	4 राशि रू. 5.00 करोड़ तक पूर्ण शक्तियां ।
		5 उपायुक्त (वृत्त)	5 राशि रू. 1.00 करोड़ तक कार्यक्षेत्राधिकार के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
4	कार्यपालन यंत्री / उपायुक्त वृत्त को निविदाओं पर निर्णय संसूचित करना।	1 अपर आयुक्त	1 संचालक मंडल या उसकी समिति, अध्यक्ष, आयुक्त एवं अपर आयुक्त द्वारा निविदा पर निर्णय की रिथति में पूर्ण शक्तियां।
		2 उपायुक्त (वृत्त)	2 उन निविदायें जिन पर उपायुक्त द्वारा निर्णय लिया गया हो पूर्ण शक्तियां ।
5	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृत करने के उपरांत निर्माण संस्था या ठेकेदारों को स्वीकृति पत्र जारी करना।	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
6	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृत करने के उपरांत निर्माण संस्था या ठेकेदारों के साथ अनुबंध निष्पादन करना ।	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।

7	ठेकेदार / निर्माण संस्थाओं (जहां	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
	लागू हो) को कार्यादेश जारी करना।		
.8	सलाहकारों के साथ अनुबंध निष्पादन	उपायुक्त	कार्यक्षेत्राधिकार के
	करना ।		अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।

## उप अनुभाग -एफ - परियोजना की निगरानी ।

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	अनुबंध की शर्तो का पालन न करने पर ठेकेदार/निर्माण संस्था को सूचना पत्र जारी करना।		पूर्ण शक्तियां ।
2	अनुबंध की समाप्ति करने हेतु ठेकेदार/निर्माण संस्था को सूचना पत्र जारी करना ।		पूर्ण शक्तियां ।
3	ठेके की समाप्ति एवं उसकी धरोहर राशि इत्यादि राजसात करने के सम्बंध में ।		पूर्ण शक्तियां ।
4	निर्माण कार्य के दौरान अनुबंध अनुसार क्रियान्वयन में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में ठेकेदार/निर्माण संस्था की अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।	उपायुक्त	अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण शक्तियां।
5	उपायुक्त द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील पर सुनवाई एवं निर्णय ।	अपर आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
6	अनुबंध का उल्लघंन करने पर ठेकेदार /निर्माण संस्था को पंजीयन निरस्तीकरण/निलम्बन हेतु सूचना पत्र जारी करना।	अपर आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
7	पंजीयन निरस्तीकरण/निलम्बन के सम्बंध में ठेकेदार/निर्माण संस्था को जारी किये गये सूचना पत्र पर निर्णय।	अपर आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
8	अपर आयुक्त द्वारा पंजीयन निरस्तीकरण/निलम्बन के निर्णय के विरूद्व अपील पर सुनवाई एवं निर्णय।		पूर्ण शक्तियां ।
9	केन्द्रीय पंजीयन प्राधिकारी म.प्र. लोक निर्माण विभाग को ठेकेदार /निर्माण संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण/निलम्बन की सूचना देना।	अपर आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।

10	कार्यालय स्थापना एवं व निरीक्षण करना ।	गर्यो का	1 आयुक्त	1 पूर्ण शक्तियां ।
			2 अपर आयुक्त	2 उनके अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित पूर्ण शक्तियां ।
			3 उपायुक्त	3 उनके अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित पूर्ण शक्तियां ।
			4 कार्यपालन यंत्री	4. उनके अधिकार क्षेत्र से सम्बंधित पूर्ण शक्तियां ।
11	निर्माण कार्यों का अंकेक्षण	तकनीकी	1 अपर आयुक्त	1.उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ण शक्तियां
			2 उपायुक्त वृत्त	2.उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ण शक्तियां ।

## उप अनुभाग—जी — सलाहकारों एवं शासकीय अभिकरणों को भुगतान ।

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	सलाहकारों के देयको का	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
	सत्यापन ।		
2	सलाहकारों को भुगतान का	उपायुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
	अनुमोदन।		
3	सलाहकारों को भुगतान का	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
	वितरण करना	and the second s	
4	राज्य की संस्थाओं जैसे म.प्र.	उपायुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
	विद्युत वितरण कंपनी, मुख्य		
	विद्युत निरीक्षक, नगर तथा ग्राम		
	निवेश, राज्य पर्यावरण प्रभाव		
	निर्धारण प्राधिकरण, स्थानीय		
	निकाय (शुल्क एवं कर) की		
	भुगतान करने का अनुमोदन।		
5	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन		अधिकार क्षेत्र के
	पश्चात् राज्य की संस्थाओं जैसे	(सिविल / विद्युत)	अंतर्ग्त प्राप्त्
	म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी,		अनुमोदन के
	मुख्य विद्युत निरीक्षक, नगर तथा		आधार पर पूर्ण
	ग्राम निवेश, राज्य पर्यावरण प्रभाव		शक्तियां ।
	निर्धारण प्राधिकरण, स्थानीय		
	निकाय (शुल्क एवं कर) को		
	भुगतान ।		

## उप अनुभाग-एच - निर्माण अनुबंधों का प्रबंधन ।

कमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	निष्पादित कार्यों के मापों को	उपयंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
•	अभिलिखित करना		6
2	मापो की जॉच एवं उनका	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
	सत्यापन करना	·	
3	कार्य विभाग मैन्युअल के अनुसार	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
	कार्यों के मापों की जांच करना।		
4	निष्पादित कार्य के आधार पर	सहायक यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
	देयक तैयार करना		
5	निर्माण अनुबंध के आधार पर	उपायुक्त वृत्त	पूर्ण शक्तियां ।
	मोबिलाइजेशन अग्रिम स्वीकृत		
	करना		
6	निर्माण कार्य में उपयोग के लिए	उपायुक्त वृत्त	पूर्ण शक्तियां ।
	स्थल पर क्रय कर एकत्र की गई अक्षय सामग्री हेतु सुरक्षा अग्रिम	4	,
	अक्षय सामग्रा हतु सुरक्षा आग्रम स्वीकृत करना।		
7	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
<b>'</b>	उपरान्त ठेकेदारों / निर्माण	q/iqqier q/i	3,1,(114(14),1
	एजेन्सियों को निष्पादित कार्य का		
-	अग्रिम सहित भुगतान करना		
8	निर्माण कार्य से सम्बंधित दरे जो	उपायुक्त वृत्त	पूर्ण शक्तियां ।
	अनुबंध में शामिल न हो का		
	अनुमोदन करने के सम्बंध में ।		
9	अनुबंध के तहत अंतरिम	1 कार्यपालन यंत्री	1. 03 माह तक
	समयावधि में वृद्धि का अनुमोदन	2 उपायुक्त वृत्त	पूर्ण शक्तियां ।
	करना		2 पूर्ण शक्तियां ।
10	कार्य अनुबंधित समयावधि में	1 अपर आयुक्त	1 पूर्ण शक्तियां ।
	समाप्त न होने पर समयावधि में	2 उपायुक्त वृत्त	2 अधिकार क्षेत्र के
	वृद्धि करने का अनुमोदन एवं		अंतर्गत निर्माण कार्य जिनकी
	जहाँ आवश्यक क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करना।		लागत रू. 5.00
	गिवारण करमा।		करोड़ तक हो पूर्ण
			शिक्तयां ।
12	निर्माण संस्था को कार्य पूर्णता	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
l fora	प्रमाण पत्र जारी करना ।		

13	कार्य पूर्णता पर सुरक्षा निधि एवं	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
	विविध जमा राशि, कार्य अनुबंध		
	के प्रावधान अनुसार विमुक्त	·	
	करना।		
14	निलम्बित अनुबंध की देनदारी	कार्यपालन यंत्री	उपायुक्त वृत्त के
	निश्चित कर शेष निर्माण कार्य		अनुमोदन के साथ
	का मूल्यांकन निर्धारित करना।		पूर्णे शक्तियां ।
15	शेष देनदारी की वसूली की	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
	कार्यवाही करना (जहाँ लागू हो)		

## <u>उप अनुभाग–आई – परियोजनाओं का निर्माण</u> भाग 1 – परियोजनाओं का निर्माण

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	योजना की प्रारम्भिक संकल्पना	कार्यपालन यंत्री	उपायुक्त वृत्त के
	एवं आवश्यकतानुसार		अनुमोदन के साथ
	परियोजनायं तैयार करना।		पूर्णे शक्तियां ।
2	योजना की संकल्पना तैयार	मुख्य वास्तुविद	पूर्ण शक्तियां ।
	करना (ले–आउट एवं बिल्डिंग		,
	प्लान)		
3	योजना की संकल्पना का	आयुक्त,	पूर्ण शक्तियां ।
	पुनरीक्षण एवं अनुमोदन करना।	परियोजना समिति	
		की अनुशंसा पर ।	
4	परियोजना के लिए आवेदन	कार्यपालन यंत्री	पूर्ण शक्तियां ।
	करना एवं विभिन्न शासकीय		,
	संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त		
	करना (नगर एवं ग्राम निवेश, ई.		
	आई.ए. भवन अनुज्ञा, एवं उच्च	. •	
	स्तरीय समिति इत्यादि से		
	अनुमोदन)		
5	परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन		उपायुक्त वृत्त के
		(सिविल / विद्युत)	अनुमोदन के साथ
			पूर्ण शक्तियां ।

## भाग— 2 — बाह्य स्त्रोत के माध्यम से परियोजनाओं का निर्माण ।

			सीमा
कमाक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	
1	सलाहकारो की सूची/चयन	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
	करने हेतु नीति निर्धारित करना		
2	वास्तुविदो की सूची तैयार करना	मुख्य वास्तुविद	पूर्ण शक्तियां ।
3	वास्तुविदो की सूची नवीनीकरण	मुख्य वास्तुविद	पूर्ण शक्तियां ।
	करना		
4	परियोजना हेतु वास्तुविदो का	म.प्र.शासन द्वारा	पूर्ण शक्तियां ।
	चयन करना	गठित न्यायपीठ	
5	वास्तुविदो की नियुक्ति का	अध्यक्ष	पूर्ण शक्तियां ।
	अनुमोदन करना	(न्यायपीठ के	
	3	अनुमोदन पर)	
6	वास्तुविद को नियुक्ति पत्र जारी		पूर्ण शक्तियां ।
	करना		
7	वास्तुविद से किये जाने वाले	आयक्त	पूर्ण शक्तियां ।
	अनुबंध का प्रारूप अनुमोदन		
	करना।		
8	सलाहकार को कार्यादेश पत्र	उपायुक्त वृत्त	पूर्ण शक्तियां ।
	जारी करना।		
9	वास्तुविद के साथ अनुबंध	उपायुक्त वृत्त	पूर्ण शक्तियां ।
	निष्पादन करना।	3 6	
10	सलाहकार द्वारा तैयार की गई	परियोजना समिति	पूर्ण शक्तियां ।
, 0	परियोजना का मूल्यांकन करना।	(मुख्यालय)	
11	सलाहकार द्वारा तैयार की गई		पूर्ण शक्तियां ।
1 1	परियोजना का अनुमोदन करना।	परियोजना समिति	6
	Herman and any and and any	(मुख्यालय) की	
	·	अनुशंसा पर	
12	वास्त्विद परिषद द्वारा निर्धारित		पूर्ण शक्तियां ।
12	दिशा निर्देशों के आधार पर	1	
	वास्तुविद शुल्क निर्धारित करना।		
L	1 4113144 3141 11411111 471111		1

## भाग —3 — परियोजना प्रबंधन सलाहकार

कमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	परियोजना प्रबंधन सलाहकार के नियोजन हेतु नीति निर्धारण करना	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
2	परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियोजन हेतु आर.एफ.क्यू./आर. एफ.पी. प्रपत्र जारी करने की शक्तियाँ।	उपायुक्त वृत्त	पूर्ण शक्तियां ।

3	प्राप्त आफर का मूल्यांकन।	मुख्यालय की तकनीकी समिति	पूर्ण शक्तियां ।
4	परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति का अनुमोदन।	आयुक्त द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा पर	पूर्ण शक्तियां ।
5	सलाहकार को नियुक्ति पत्र जारी करना	अपर आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
6	सलाहकारो के साथ अनुबंध का निष्पादन करना	उपायुक्त वृत्त	पूर्ण शक्तियां ।

## उप अनुभाग-जे - जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) परियोजनाये

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	जन निजी भागीदारी योजनाओं	कार्यपालन यंत्री	उपायुक्त वृत्त के
	को योजनावार चिन्हित एवं तैयार		अनुमोदन के साथ
	करना।		पूर्णे शक्तियां ।
2	जन निजी भागीदारी योजना	मुख्यालय की	पूर्ण शक्तियां ।
	प्रणाली के तहत विस्तृत	परियोजना समिति	,
-	परियोजना रिर्पोट का परीक्षण एवं		
	अंतिम रूप देना		
3	जन निजी भागीदारी योजना के	आयुक्त मुख्यालय	पूर्ण शक्तियां ।
-	आर.एफ.क्यू./आर.एफ.पी. प्रपत्रों	की परियोजना	
	का अनुमोदन।	समिति की	
		अनुशंसा पर	
4	जन निजी भागीदारी योजनाओं	उपायुक्त वृत्त	पूर्ण शक्तियां ।
	के आर.एफ.क्यू./आर.एफ.पी.		
	प्रपत्रों का आमंत्रण एवं उनको		·
	खोलना ।		
5	बोलीकर्ताओं की पूर्व अर्हता का	अपर आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
	अनुमोदन करना।		
6	परियोजना के वित्तीय प्रस्ताव का	संचालक मंडल	पूर्ण शक्तियां ।
	अनुमोदन करना।		

## अनुभाग –७ – अर्जुन फिटनेस क्लब ।

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	प्रबंधन समिति का गठन	संचालक मण्डल	पूर्ण शक्तियां ।
2	प्रबंधन समिति में सदस्यों का	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
_	मनोनयन	एवं पदेन अध्यक्ष, प्रबंधन	6
		समिति	
3	सदस्यता शुल्क का निर्धारण	प्रबंधन समिति	पूर्ण शक्तियां ।
4	अर्जुन फिटनेस क्लब हेतु	प्रबंधन समिति	पूर्ण शक्तियां ।
	वार्षिक कार्य योजना का		
	अनुमोदन	•	
5	वार्षिक कार्य योजना के	मुख्य प्रशासकीय	पूर्ण शक्तियां ।
	अनुसार वित्तीय वर्ष में किये	अधिकारी एवं पदेन	
	जाने वाले कार्यी हेतु	उपाध्यक्ष, प्रबंधन समिति	
	प्रशासकीय अनुमोदन		
6	क्लब के दैनंदिनी संचालन हेतु	1 कार्यपालन यंत्री	1 राशि रू. 2000.
	खुदरा व्यय ।	एवं पदेन सचिव, प्रबंधन	00 तक के व्यय
	*	समिति	हेतु पूर्ण शक्तियां। 2 राशि रू. 500.
		2 प्रबंधक, अर्जुन फिटनेस क्लब	00 तक के व्यय
		। १५७८ गरा पराष	हेतु पूर्ण शक्तियां।
7	सदस्यता शुल्क एवं उपयोग	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
1	(अतिथि) शुल्क में रियायत।	ongan	
8	सदस्यता का नवीनीकरण एवं	प्रबंधक,अर्जुन फिटनेस	पूर्ण शक्तियां ।
	नवीन सदस्यता प्रदान करना	क्लब	·.
			,
9	अस्थाई सदस्यता प्रदान करना	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
	एवं शुल्क का निर्धारण करना		
10	फिटनेस प्रशिक्षको, जीवन	प्रबंधन समिति	पूर्ण शक्तियां ।
	रक्षको, तैराकी प्रशिक्षको एवं		
	प्लान्ट आपरेटर्स इत्यादि की		
	नियुक्ति/मांग अनुसार		,
	नियुक्त करना		
11	फिटनेस प्रशिक्षको, जीवन	प्रबंधन सामात	पूर्ण शक्तियां ।
	रक्षको, तैराकी प्रशिक्षको एवं		
	प्लान्ट आपरेटर्स इत्यादि को देय पारश्रमिक का निर्धारण		
12	अनुबंधित कर्मचारियों के साथ	। । । गर्नंशक अर्जन । फिटनेय	पूर्ण शक्तियां ।
12	अनुबंध का निष्पादन	वलब	नून सामसमा ।
	जनुषव पर्या गण्यापम	पराष	
L.,			

नोट :- तकनीकी स्वीकृति, एनआईटी अनुमोदन, निविदा आमंत्रण तथा स्वीकृति के मण्डल के कार्यों हेतु प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ही निर्धारित होंगे।

## अनुभाग – ८ – सूचना एवं प्रौद्योगिकी ।

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	ई.आर.पी (Enterprise Resource	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
	Planning) लागू करने के संबंध		7
	में वर्तमान कामकाज प्रक्रिया में		
	संशोधन या नवीन कामकाज		
	प्रक्रिया / मानक परिचालन		
	प्रक्रिया का निर्धारण		
2	ई.आर.पी. माडयूल हेतु भूमिका		पूर्ण शक्तियां ।
	सौंपना ।	प्रौद्योगिकी अधिकारी	
		/ सूचना एवं	
		प्रौद्योगिकी अधिकारी	
3	नवीन कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, यू.पी.	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
	एस. इन्टरनेट आदि क्रय करने	·	
	का अनुमोदन		
4	साफ्टवेयर क्रय	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां ।
5	डॉटा का प्रबंधन एवं संधारण	मुख्य सूचना एवं	पूर्ण शक्तियां ।
		प्रौद्योगिकी अधिकारी	
6	हार्डवेयर/नेटवर्किंग का प्रबंधन		पूर्ण शक्तियां ।
	एवं संघारण	प्रौद्योगिकी अधिकारी	

### अनुभाग – १ – निरीक्षण

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	प्राधिकारी	सीमा
1	उपायुक्त एवं कार्यपालन यंत्रियों	मुख्य लेखाधिकारी	आयुक्त के
	का निरीक्षण	/ मुख्य अंकेक्षण	अनुमोदन के साथ
		अधिकारी	पूर्णे शक्तियां।
2	सम्पत्ति प्रबंधन/सम्पत्ति प्रबंधन	लेखाधिकारी	मुख्य लेखा
	प्रक्षेत्र कार्यालयो का निरीक्षण	(मुख्यालय )	अधिकारी के
			अनुमोदन के साथ
		•	पूर्ण शक्तियां ।
	•		u.
3	मुख्यालय रिथत विभिन्न	मुख्य लेखाधिकारी	आयुक्त के
	शाखाओं का निरीक्षण	/ मुख्य प्रशासकीय	अनुमोदन के साथ
		अधिकारी	पूर्णे शक्तियां।
4	मैदानी अधिकारियों का निरीक्षण	मुख्य प्रशासकीय	आयुक्त के
	करने हेत् वार्षिक रोस्टर तैयार	अधिकारी	अनुमोदन के साथ
	करना ।		पूर्णे शक्तियां।
5	मैदानी कार्यालयों का औचक	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
	निरीक्षण के लिए दल का गठन		
6	गंभीर अनियमित्ताओं पर	आयुक्त	पूर्ण शक्तियां।
	हस्ताक्षेप एवं निरीक्षण प्रतिवेदन		
	पर कार्यवाही करना		
		1	<u></u>

### मण्डल कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति की नियम व शर्ते

- (1) प्रतिपूर्ति के रूप :- विनियम 10 के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति निम्नलिखित रूपों में से किसी एकरूप में दी जायेगी तथा
  - (क) नगद
  - (ख) डाकघर बचत बैंक खाता
  - (ग) विनिर्दिष्ट बैंकों में से किसी भी बैंक में आवर्ती जमा खाता।

#### टीप :-

- (1) डाक घर बचत बैंक निक्षेप प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जायेगा बशर्ते कि निक्षेपकर्ता ने विहित प्रारूप में एक हस्ताक्षरित पत्र पोस्टमास्टर को दे दिया हो।
- (2) अनुकल्पतः प्रतिभृति नगद के रूप में भी इस प्रार्थना के साथ प्रस्थापित की जा सकेगी कि इसे गिरवीदार के नाम से डाकघर बचत बैंक में जमा किया जाये। पश्चात् कथित मामले में गिरवीदार उस व्यक्ति के जिरए जिसे प्रतिभृति देना है, प्रतिभृति का प्रकार स्पष्ट करते हुए और पोस्टमास्टर से निक्षेप प्राप्त करने और उसके (गिरवीदार के) नाम से पासबुक जारी करने की अपेक्षा करते हुए एक पत्र भेजेगा। वह व्यक्ति जिसे प्रतिभृति देना है, नगद में अपेक्षित रकम तथा गिरवीदार द्वारा नीचे की ओर हस्ताक्षरित विहित प्रारूप में बचत बैंक सूचक पत्र के साथ डाकघर में एक पत्र प्रस्तुत करेगा। पोस्ट मास्टर प्रतिभृति गिरती रखने वाले व्यक्ति को बचत बैंक पास बुक देगा। पश्चात् कथित व्यक्ति उसे (पास बुक को) गिरवीदार को तुरन्त पहुंचा देगा।
- (3) विनिर्दिष्ट बैंकों में से किसी भी बैंक में निक्षेप के लिए पास बुक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जायेगी, बशर्ते कि खाता मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के पास गिरवी रखा जाये।
- (4) गृह निर्माण आयुक्त, कर्मचारी द्वारा लिखित में प्रार्थना किये जाने पर उसके द्वारा (कर्मचारी द्वारा) जमा की गई तथा गिरवी रखी गई प्रतिभूति की रकम के

विनिधान की रीति में परिवर्तन कर सकेगा, परन्तु विनिधान में वर्णित रूपों में से किसी एक रूप में किया जायेगा।

- 2. ब्याज :— कर्मचारी को नगद में दी गई प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों पर वार्षिक ब्याज का अधिकार होगा, परन्तु मण्डल को कर्मचारी द्वारा कोई हानि पहुंचाने वाली दशा में इस विनियम के अधीन उसे शोध्य ब्याज तब तक के लिए रोक लिया जायेगा, जब तक कि ऐसी हानि की वसूली या अन्य प्रकार से मामला तय नहीं हो जाता।
- 3. रोकने की अवधि:— मण्डल के किसी सेवक का प्रतिभूति निक्षेप उस तारीख से जिसको कि वह अपना पद रिक्त करता है, कम से कम छः माह के लिए रोक लिया जायेगा, किन्तु प्रतिभूति बंधपत्र स्थायी रूप से रोक लिया जायेगा या तब तक रोक रखा जायेगा, जबिक यह निश्चित न हो जाये कि इसे रखने की आगे और आवश्यकता नहीं है। प्रतिभूति निक्षेप वापस करते समय उसकी (कर्मचारी को) सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा साक्षयित अभिस्वीकृति प्राप्त की जायेगी। जब कोई ब्याज प्रतिभूति वापस की जाए या पुनः अन्तरित की जाये, तो स्वीकृति में प्रतिभूति पूर्ण विशिष्टियां वर्णित की जायेगी।
- 4. कर्मचारी के स्थानांतिरत होने पर प्रतिभूमि निक्षेप तथा प्रतिभूति बंध-पत्र की वापसी :- जब किसी ऐसे कर्मचारी का जिसने किसी एक कार्यालय में प्रतिभूति दी हो, मण्डल के नियंत्रण के अधीन किसी दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण हो जाये, तब प्रतिभूति प्रथम कार्यालय द्वारा तब तक प्रतिधारित की जायेगी, जब तक प्रतिभूति बंध-पत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि समाप्त न हो जाये, तािक प्रथम कार्यालय में उसकी (कर्मचारी को) सेवाओं के संबंध में उस कालावधि के दौरान वसूल किये जाने के लिए आदेशित कोई रकम उससे (कर्मचारी से) वसूल की जा सके। विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर ऐसा कर्मचारी जिसने प्रतिभूति ली हो, गिरवीदार से उसे अपने पक्ष में नियुक्त करा लेगा और जिस कार्यालय में कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया हो, उस कार्यालय के प्रमुख के पास यह निवेदन करते हुए पहुंचा देगा कि वह गिरवीकर्ता को उसके द्वारा नया प्रतिभूति बंधक पत्र निष्पादित करने के लिए लौटा दी जाये तथा प्रतिभूति को उचित प्राधिकारी के पक्ष में उस सीमा तक जिस तक कि आवश्यक हो, सम्यक रूप से गिरवी रख ली जाये। यथापि गिरवीकर्ता की

उपरोक्त अभिस्वीकृति अपरिहार्य रूप से प्राप्त की जायेगी तथा पहले कार्यालय के प्रमुख अधिकारी को भेज दी जायेगी।

कर्मचारी जिस कार्यालय में स्थानांतिरत किया गया हो, उस कार्यालय का प्रमुख अधिकारी उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह पहले के पद के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूति की रकम से नये पद के लिये अपेक्षित प्रतिपूर्ति की रकम जितनी अधिक हो, उतनी रकम की प्रतिभूति तत्काल प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त यदि वह मूल प्रतिपूर्ति को पर्याप्त समझे, तो उसके प्राप्त होने तथा उसे पूनः सम्यक रूप से गिरवी रखे जाने की प्रतीक्षा करेगा और कर्मचारी से नई प्रतिपूर्ति प्रस्तुत करने के लिये नहीं कहेगा — जिस कार्यालय से कर्मचारी स्थानांतिरत किया गया हो, उस कार्यालय के प्रमुख अधिकारी से वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रतिपूर्ति के अन्तरण के पूर्व कितनी रकम की प्रतिपूर्ति प्रस्तुत की थी और फिर वह यह निश्चित करेगा कि क्या वह प्रतिपूर्ति पर्याप्त होगी या क्या कर्मचारी से सम्पूर्ण रकम या उसके किसी भाग के लिये प्रतिपूर्ति प्रस्तुत करने को कहा जाये।

- 5. नामांकन :— कर्मचारी, सेवा में रहते हुए या प्रतिभूति लैटाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में प्रतिभूति निक्षेप प्राप्त करने के लिये किसी व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, परन्तु जहां कोई नाम निर्देशन न हो, वहां मण्डल केवल उसी व्यक्ति को रकम का भुगतान करेगा, जो रकम प्राप्त करने के लिये हकदार बनाने वाले सक्षम न्यायालय के आदेशों को पेश करें।
- 6. समपहरण :- प्रतिभूति निक्षेप की रकम एतदधीन यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य में चूकों के लिये पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समपहृत कर ली जायेगी, अर्थात :-
- (क) व्यपहरण या दुर्विनियोग :-- सम्पूर्ण प्रतिभूति का राजसात भले ही अन्तर्वलित रकम, प्रतिभूति निक्षेप की रकम से कम क्यों न हो।
- (ख) कर्तव्य की उपेक्षा परिणामस्वरूप मण्डल को हानि हो :- अन्तवर्लित हानि की रकम की सममूल्य रकम का समपहरण
- (ग) कोई अन्य हानि जो अपेक्षा या अदक्षता के कारण न हुई हो :— वास्तविक हानि की वसूली।

- टीप :— इस विनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही का कर्मचारी पर लागू सेवा विनियमों के अधीन कोई दण्ड अधिरोपित करने के बोर्ड के प्राधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 7. निष्पादित किये जाने वाले करार का प्रारूप :- प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति, कार्मिक, इन विनियमों से संलग्न प्रारूप में या किसी अन्य प्रारूप में जो प्रत्येक मामले में गृह निर्माण आयुक्त द्वारा समुचित समझा जाये, एक करार निष्पादित करेगा। प्रत्येक ऐसे बंध—पत्र का निर्देश प्रतिभूति निक्षेप के रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा।
- 8. प्रतिभृति निक्षेप तथा संबंध दस्तावेजों की अभिरक्षा की रीति प्रतिभृति :- प्रतिभृति निक्षेपों से संबंद्ध विभिन्न दस्तावेजों को संबंधित कार्यालय के लेखा अधिकारी की सुरक्षित निगरानी में रखा जायेगी। समस्त बचत बैंक पास बुकें या बैंक पास बुकें प्रत्येक वर्ष 15 जून के पश्चात् यथा संभव शीघ्र डाकघर या बैंक को भेजी जायेगी, ताकि ब्याज के मुददे आवश्यक प्रविष्टियां उनमें की जा सके।
- 9. उन व्यक्तियों द्वारा जो पहिले से सेवा में हो प्रतिभूति देने की समय—सीमा :— इन विनियमों के प्रवृत होने की तारीख को जो व्यक्ति मण्डल की सेवा में हो, वे व्यक्ति उनसे प्रतिभूति देने की अपेक्षा करने वाले आदेश की तारीख से तीन दिन के भीतर प्रतिभूति देंगे।
- 10. कर्तव्य ग्रहण करने के समय प्रतिभूति दी जायेगी :- जब किसी व्यक्ति से उसकी नियुक्ति की पूर्ववर्ती शर्त के रूप में प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाए, तो वह कर्तव्य ग्रहण करने के समय ऐसी प्रतिभूति देगा।

### करारनामों का प्रारूप

यह करारनामा आज तारीख (अंकों एवं शब्दों में)
को एक पक्ष (नाम एवं
पदनाम) श्री
और दूसरे पक्ष मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, (जिसे इसमें
इसके पश्चात् मण्डल कहा गया है,) जिसे अभिव्यक्ति में प्रसंगानुसार उसके
उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती सम्मिलित है, के बीच किया जाता है।
2. चूंकि कर्मचारी की माह वर्ष में या उसके
लगभग, मण्डल / इकाई के कार्यालय में के रूप में नियुक्ति की
गई थी और वह तभी से एवं अभी उसी रूप में नियोजित है।
3. चूंकि ऐसी नियुक्ति के समय कर्मचारी(कर्मचारी का नाम) ने
उपयुक्त अपने सार्वजिनक कर्तव्यों या कोई अन्य कर्तव्यों, जो इसके पश्चात् किसी
भी समय मण्डल द्वारा उसे सौंपे जाये, का सम्यक रूप से तथा निष्ठापूर्वक पालन
करने के लिये रू (अंकों एवं शब्दों में)
प्रतिभूति के रूप में परिदान किया है तथा जमा किया है।
4. और चूंकि कर्मचारी से प्रतिभूति निक्षेपों को शासित करने वाले मण्डल के
विनियमों को पढ़ लिया है और उसकी एक प्रति पर उक्त विनियमों के खण्डों की
समस्त शर्तों से आवद्ध होने की अभिस्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. अब यह करारनामा इस बात का साक्षी है कि कर्मचारी इसके पश्चात् मण्डल
की सेवा में रहने के दौरान समय-समय पर और सभी समयों पर सत्यतापूर्वक,
परिश्रमपूर्वक, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, सावधानीपूर्वक तथा स्वयं की रजामंदी से
मण्डल की सेवा करेगा ओर उक्त पद से ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करेगा,
जिनके पालन का निर्देश मण्डल के तत्समय गृह निर्माण आयुक्त द्वारा या मण्डल
के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा दिया जाये, जिसके/ जिनके अधीन
कर्मचारी को मण्डल या उक्त अध्यक्ष / गृह निर्माण आयुक्त द्वारा समय-समय पर
रखा जायेगा या रखा जाए।

- 6. और वह अपना सम्पूर्ण समय और ध्यान उक्त मण्डल / ईकाई के कार्य में लगायेगा और स्वयं की ओर से या किसी भी व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियों के अभिकर्ता के रूप में कोई अन्य कारोबार या व्यवसाय नहीं करेगा।
- 7. और उक्त कार्यालय के सभी संव्यवहारों को जब तक कि किसी विधि न्यायालय द्वारा उन्हें प्रकट करने का न कहा जाये, गोपनीय रखेगा और उक्त अध्यक्ष / गृह निर्माण आयुक्त या यथा पूर्वाक्त ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को उक्त कार्यालय के कामकाज तथा कारोबार के संबंध में समय—समय पर उसकी जानकारी में आने वाली ऐसी समस्त घटनाओं की जानकारी देता रहेगा।
- 8. और मण्डल के किसी भी स्वरूप या प्रकार के किन्हीं ऐसे बिलों, लेखाओं, पुस्तकों, दस्तावेजों, कागजातों, ज्ञापनों या लेखों को न तो रद्द करेगा, न बरबाद करेगा, न चुराकर ले जायेगा, न मिटायेगा, न विरूपित करेगा और न किसी भी प्रकार से उन्हें क्षति पहुंचायेगा या न किसी भी व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियों को, चाहे जो भी हो, ऐसा करने देगा।
- 9. और ऐसी समस्त रकम, बुलियन (सोना—चाँदी), जेवरात, दस्तावेजों, धन की प्रतिभूतियों, माल तथा अन्य वस्तुओं का जो उसे उक्त कार्यालय की सेवा में रहने के दौरान इसके पश्चात् समय—समय पर जनता से प्राप्त हो, उसी दिन जिस दिन वे उसे प्राप्त हो सम्यक रूप से लेखा—जोखा देगा और मण्डल को उनका भुगतान तथा परिदान करेगा और स्वयं को दायित्व मुक्त करेगा और मांग की जाने पर मण्डल को मण्डल के समस्त बिल, लेखों, पुस्तकें, अभिलेख या अन्य कागज पत्र परिदत्त करेगा।
- 10. और वह मण्डल के कामकाज से संबंधित ऐसे समस्त बिलों, लेखाओं, पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, कागज पत्रों ज्ञापनों तथा लेखों को जो अब तक उसके प्रभार में सौंपे जाये, उचित रूप से और करोबारी ढंग से रखेगा और उसके द्वारा प्राप्त समस्त धन या माल और उसके द्वारा किये गये समस्त भुगतानों या मण्डल / ईकाई की ओर से किये गये समस्त कारोबार की सही प्रविष्टियां उनमें करेगा।
- 11. और वह उक्त अध्यक्ष / गृह निर्माण आयुक्त को सेवा छोड़ने के अपने आशय को एक मास पूर्व लिखित सूचना दिए बिना मण्डल की सेवा नहीं छोड़ेगा।

12. और यह करारनामा आगे इस बात का साक्षी है कि पूर्वीक्त बातों के प्रतिफल स्वरूप कर्मचारी इसके द्वारा स्वयं की ओर से, अपने निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों की ओर से मण्डल से करार करता है कि इसमें इसके पूर्व जिन अनेक करारों तथा बातों के पालन, अनुपालन या कार्यान्वयन में कर्मचारी द्वारा किसी भी समय कोई व्यतिकम किये जाने पर ऐसे मामले में मण्डल के लिये यह विधिपूर्व होगा और सकेगा कि वह रू..... (अंकों एवं शब्दों में) की उक्त प्रतिभूति को ऐसी समस्त धनराशि या धनराशियों, नुकसानों, सालिसिटर के खर्चों तथा अन्य प्रभारों एवं व्ययों के भुगतान, पुष्टि तथा अन्मोचन में प्रयुक्ति करें, जो ऐसे व्यक्तिकम के कारण मण्डल को शोध्य हो और प्राप्त हो या मण्डल द्वारा उपगत किये गये हो तथा कर्मचारी इसके द्वारा आगे स्वयं की ओर से तथा अपने निष्पादकों, प्रसासकों तथा प्रतिनिधियों की ओर से मण्डल के साथ यह करार करता है कि वह कर्मचारी उसके द्वारा यथापूर्वाक्त किये गये ऐसे व्यक्तिकम के कारण गृह निर्माण आयुक्त को हुए नुकसानों की रकम के संबंध में उक्त मण्डल के तत्समय गृह निर्माण आयुक्त के विनिश्चय का पालन करेगा और ऐसा विनिश्चय पक्षों के बीच अंतिम तथा निश्चायक होगा और ऐसा विनिश्चय होने पर उक्त गृह निर्माण आयुक्त को, उतनी रकम जितनी उसके द्वारा कर्मचारी के शोध्य पाई जाये, कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिभूति के रूप में मण्डल के पास जमा की गई रकम में से काट लेने का हक होगा और इस प्रकार शोध्य पाई गई रकम के लिए उसे कोई लिखित या औपचारिक पंचाट नहीं देना होगा या मांग नहीं करनी होगी। कर्मचारी इसके द्वारा स्वयं की ओर से अपने निष्पादकों, प्रशासकों तथा प्रतिनिधियों की ओर से मण्डल के साथ यह भी करार करता है कि इसके पूर्व कर्मचारी द्वारा पालन तथा अनुपालन किये जाने के लिये करार किये गये लोक कर्तव्यों से किसी भी प्रकार से संबंध या कर्मचारी द्वारा मण्डल, / इकाई उसके उत्तराधिकारियों या समन्देशितियों के सेवक के रूप में जनता से प्राप्त धन, माल या वस्तुओं, की प्राप्ति से सम्बद्ध किसी कपट, गबन, न्यास, भंग, दुविर्नियोग छल या अन्य अवचार के आरोप अथवा आरोपों पर किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराये जाने पर कर्मचारी द्वारा यथा पूर्वोक्त रूप में दी गई उक्त प्रतिभूति मण्डल द्वारा पूर्णतः राजसात कर ली जायेगी और उसके संबंध में कर्मचारी द्वारा मण्डल के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही या वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं चलाई जा सकेगी। 13. और मण्डल के लिये यह विधि पूर्व होगा कि वह कर्मचारी द्वारा इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट कर्तव्यों की उपेक्षा किये जाने या अदक्षता के फलस्वरूप या किन्हीं भी अन्य कारणों से मण्डल को हुई वास्तविक हानि का मूल्य कर्मचारी द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गई रकम से वसूल कर ले और कर्मचारी, जब कभी ऐसा करने की अपेक्षा की जाये, ऐसी वसूली के कारण उसकी प्रतिभूति निक्षेप में होने वाली कमी की तत्काल भरपाई करेगा।

14 और मण्डल के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह उक्त प्रतिभूति को, कर्मचारी के मण्डल की सेवा में न रहने या उसे मण्डल के किसी ऐसे पद पर जिसमें प्रतिभूति की अपेक्षा न हो, स्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिये जाने की तारीख से छः केलेण्डर मास तक अपने पास ऐसे दावे के अध्यधीन रोक रखे जो यथापूर्वोक्त ऐसे व्यक्तिकम, अभियोजन तथा दोषसिद्धि के कारण उद्भूत होगा।
15. और मण्डल इसके द्वारा स्वयं की ओर से कर्मचारी, उसके निष्पादकों, प्रशासकों तथा समनुदेशितियों से यह करार करता है कि जब तक उन विभिन्न करारों और बातों का, जिनका कर्मचारी द्वारा पालन अनुपालन तथा निष्पादन किये जाने की बात इसमें इसके पूर्व की कहीं गई है, पालन, अनुपालन तथा निष्पादन करने में कोई व्यक्तिकम न हो मण्डल कर्मचारी उसके निष्पादकों, प्रशासकों तथा समनदेशितियों को ऐसा ब्याज प्राप्त करने की अनुमित देगा और प्राप्त करने देगा,

जिसके साक्ष्य स्वरूप कर्मचारी ने इस पर गृह निर्माण आयुक्त/अधिकृत प्राधिकारी की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए है और मण्डल के सामान्य मुहर लगाई गई है:—

ऊपर नामित कर्मचारी	ो द्वारा (स्थान)	*********	में दिनांव	թ
	की आयुक्त/अधिकृत			
तथा परिदत्त।				

कर्मचारी के हस्ताक्षर

जो वे प्राप्त कर सके।

मण्डल की सामान्य मोहर एवं गृह निर्माण आयुक्त अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(नीतेश व्यास) आयुक्त

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल भोपाल

#### MP HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD

#### (Conduct of Business and Delegation of Powers)

#### **REGULATIONS 2015**

In exercise of the powers conferred by Section 103 and Section 17 of the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board Adhiniyam, 1972 (No.3 of 1973), the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board has made the following Regulations substituting the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board Regulations 1998 as amended from time to time, the same having been approved and confirmed by the State Government, vide order no. F-23-3/15/18-6 Bhopal dated 17 April 2015 namely:

#### REGULATIONS

#### (1) Short Title

These Regulations may be called the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (Conduct of Business and Delegation of Powers) Regulations, 2015 and shall substitute the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board Regulations, 1998 as amended from time to time. All rules, regulations, circulars, instructions and resolutions of the Board issued prior to the coming into force of these Regulations are hereby superseded insofar as they are inconsistent with the provisions of these Regulations.

#### (2) <u>Definitions</u>

In these regulations, unless the context otherwise requires, the Act means the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board Adhiniyam

1972 (No.3 of 1973). All definitions, unless the context otherwise requires, shall be construed as defined in Section 2 of the Act.

#### (3) Application of certain rules to officers and servants of the Board:

In accordance with the provisions contained in Section 15(2) of the Act, the rules, orders and instructions applicable to the employees of the State Government in various grades (more particularly, The Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, The Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, The M.P. Fundamental Rules, The Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1958), and The Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules 1977 shall be applicable to the officers and servants of the Board in corresponding grades, to the extent they are not inconsistent with the provisions of the Act and these Regulations and subject to other rules, regulations, modifications and resolutions made by the Board from time to time. For the purpose of applicability, the State Government, the Governor and the Head of Department shall be the Board, the Chairman and the Housing Commissioner respectively.

#### (4) <u>Appointment, Promotion, Grant of Leave and Punishment of officers</u> and servants of the Board

#### (a) Appointments and Promotions:

- (i) The power of appointing or promoting any person on a post under the Board shall be as per delegation of powers as specified in Annexure I.
- (ii) Provided that all such appointments and promotions shall be made as per regulation framed for the purpose.
- (iii) All appointments and promotions made prior to the coming into force of these Regulations shall be deemed to have been made under these Regulations.

#### (b) Grant of leave:

- (i) The powers of granting leave shall be as per delegation of powers as specified in Annexure I. Where there is no such authority, the Housing Commissioner is empowered for sanction.
- (ii) All kinds of leave to the Housing Commissioner shall be sanctioned by the State Government.
- (iii) The rules applicable to the State Government employees for regulating the grant of leave of absence leave allowances and acting allowances shall apply mutatis mutandis to the officers and servants of the Board, unless otherwise modified by resolution of the Board.

#### (c) Disciplinary Authorities and Appellate Authorities:

- (i) The disciplinary authority for an employee of board shall be the authority as per Delegation of powers as specified in Annexure I.
- (ii) Appeals shall be preferred with the authority empowered as per Delegation of powers as specified in Annexure I.
- (iii) All officials shall exercise supervision and control over the staff working under them and depict a true picture of their work and conduct in the Annual Confidential Reports.

#### (5) Service Regulations:

- (a) Unless otherwise provided by any general or special order of the Board for a particular grade or category of allowance, the salary and allowances of the regular officers and servants of the Board shall be the same as are admissible to the officials of corresponding grades under the State Government.
- (b) The regular officers and servants of the Board shall have to subscribe to the General Provident Fund with effect from 1.7.1973 consequent upon the introduction of the pension scheme. The subscription to the GPF shall be regulated in accordance with the provisions of the M.P. General Provident Fund Rules.

- (c) The age of superannuation of the Class I, II and III officers and employees of the Board shall be sixty years, whereas that of Class IV employees shall be sixty-two years.
- (d) A Board employee may in the public interest be made to retire at any time after he has completed 20 years qualifying service or attains the age of fifty years whichever is earlier, without assigning any reason by giving him a one month notice in writing.
- (e) Grant of pension/family pension and death-cum-retirement benefits to the regular officers and employees of the Board with effect from 1.7.1973 shall be regulated in accordance with the M.P. Civil Service (Pension) Rules, 1976. However, the regular officers and servants of the board who have been appointed on or after 1st of January of 2005 shall be covered by new National Pension Scheme.
- (f) The Madhya Pradesh Civil Service (Commutation of Pension) Rules 1996 shall not be applicable to the officers and servants of the Board.
- (g) The Housing Commissioner can specify / modify the channel for accepting the Annual Confidential Reports of the board employees. The Housing Commissioner may also specify the channel of appeal against Annual Confidential Report grading or adverse remarks.

#### (6) <u>Transfers and Postings</u> -

- (a) The transfers and postings of employees of the board shall as far as possible be governed by a transfer policy approved by the board.
- (b) The postings and transfers of all employees shall be done as per Delegation of powers as specified in Annexure I. However, nothing in these regulations shall prevent the Housing Commissioner from revising or cancelling the Transfer orders issued by Chief Administrative Officer, Dy. Housing Commissioners or by any other Competent officer.

#### (7) Communication of orders/decisions

The Housing Commissioner, being the Chief Executive Officer and administrative head of the Board, shall have the powers to communicate decisions and to issue orders on all matters on behalf of the Chairman and the Board, as the case may be, either himself or through his senior subordinates as he may consider appropriate.

## (8) <u>Powers of Chairman, Housing Commissioner and other officers of the</u> Board under specific sections of the Act

The powers of the Chairman, Housing Commissioner and other officers of the Board

- (i) To incur expenditure under section 24
  - (ii) To approve estimates under Sec.25 and
  - (iii) To make and perform contracts under Sec. 28 of the Act

and to take decisions and incur other such expenditures as are necessary for the proper functioning and administration of the Board shall be as per Delegation of powers as specified in Annexure I.

#### (9) Fees payable for copies of documents, plans etc.

- Copies of documents, estimates, plans, not forming part of confidential records, may be supplied by the officer in whose custody such records are kept, on payment of fees and on application indicating the purpose for which the copy is needed.

Fees chargeable for various kinds of records will be as fixed by the Housing Commissioner from time to time.

#### (10) Security to be furnished by officers and servants of the Board

The officers and servants of the Board handling cash and stores shall have to furnish the security as follows:

1) Cashier of EM Unit : ₹ 5000/-

2) Cashier of office : ₹3000/-

3) Store Keeper/Clerk : ₹3000/-

4) Sub-Engineer : ₹ 5000/-

6) Assistant : ₹ 3000/-

The form of security and terms and conditions of its regulation are mentioned in Annexure II.

#### (11) Conduct of Business of the Board -

- (a) The ex-officio members of the Board shall be eligible for Travelling Allowance/Dearness Allowance while attending the Board meeting or its Committee meeting as per their eligibility in the parent organisation.
- (b) The others members of Board shall be eligible for Travelling Allowance/Dearness Allowance while attending the Board meeting or its Committee meeting as per eligibility of Class I Officer of the rank of Principal Secretary to the State Government.
- (c) The Board as empowered in section 23 shall have the following standing Committees:
  - (i) An Appeal Committee comprising of Commissioner (Town & Country Planning), representative of Secretary- in- charge of the Pradesh and Government of Madhya Finance Department, and representative of Chairman & Managing Director Housing Urban Development Corporation (HUDCO) for hearing appeals against disciplinary action against the employees of the Board/ Orders in service matters as per section 16 of the Act. The Committee shall be presided over by Commissioner (Town & Country Planning) and matters before the Committee shall be presented by the Chief Administrative Officer.
  - (ii) An Audit Committee comprising of Housing Commissioner, Commissioner (Town & Country Planning) and representative of

Secretary-in-charge of the Finance Department,, Government of Madhya Pradesh for deciding audit objections raised by Chief Audit Officer in its reports. The Committee shall be presided over by Housing Commissioner and matters before the Committee shall be presented by the Chief Audit Officer

- (iii) A Business Committee consisting of Chairman, Housing Commissioner, Commissioner (Town & Country Planning) and Engineer-in-Chief, Public Works Department (or representative not below the rank of Chief Engineer), which shall have the power to accept /reject tenders or take appropriate decisions on behalf of the Board. The Committee shall be presided over by Chairman and matters before the Committee shall be presented by the concerned Addl. Housing Commissioner
- (d) The decisions of the Standing Committees shall, however, be placed before the Board for information at the Board meeting immediately following such a decision.
- (e) The Board may also constitute any other Committee as it may deem appropriate for any or all of the functions of the Board.
- (f) Any Committee appointed by the Board under Sec.23 of the Act shall consist of at least 3 members and may include any member of the Board and other such persons whose assistance or advice or association may be considered advantageous to the Board. If at any time, after its constitution, it is considered by the Board that the existence of any Committee is either not necessary or detrimental to the interests of the Board; the Board may order dissolution of such a Committee.
- (g) The term of the Committee (except for the Standing Committees as specified in Para (c)) shall be as specified in the order of its constitution; similarly, the term of appointment of a person as a member, who is not a member of Board, shall be as specified in the order of his nomination. No Committee shall be eligible to work beyond the term so specified unless the term is extended by order of the Board.

- (h) The members of the Committees, who are not member of Board, shall be honorary and shall only be paid Travelling Allowance/Dearness Allowance as per rules applicable to the Members of the Board.
- (i) Notice for an ordinary meeting of the Board shall be issued at-least seven days before the date fixed for the meeting. However, a notice of three days shall be sufficient for a special meeting of the Board.
- (j) The business of the Committee shall be conducted in accordance with the procedure laid down below:-
  - (i) The date of every meeting shall be fixed by the President/Convenor;
  - (ii) Notice of every meeting specifying the time and place thereof and the business to be transacted there at shall be dispatched to every member at least three working days before a meeting;
  - (iii) The President/Convenor of the Committee may, whenever he thinks fit, call a special meeting and shall be bound to do so on receipt of written requisition signed by not less than two members;
  - (iv) Every meeting of a Committee shall ordinarily be held at the Head Quarters of the Board. A meeting may, however, be held at any other place in the State with the approval of the Housing Commissioner;
  - (v) No business shall be transacted at a meeting unless a quorum of half of the total number of members be present throughout the meeting;
  - (vi) Minutes of the proceedings at each meeting of a Committee shall be drawn up and recorded by the Member-Secretary and shall be signed by the President/Convener of the Committee;
  - (vii) The minutes of the proceedings shall include:
    - (a) The names of the members present;

- (b) The decision of the meeting on every question considered; and
- (c) When such decision is not unanimous, the number of votes and the names of members voting for and against such question and the names of those who have remained neutral.
- (d) All questions brought before any meeting of a Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present, and in the case of an equality of votes the presiding authority at the meeting shall have a second or casting vote.

## (12) Powers to accord Administrative/Technical Approval including Revised Administrative/Technical Approval and execution of works:

- (a) The implementation of Annual Housing & Infrastructure Development Plan according to Section 35 of the Act and related projects shall be undertaken in accordance with the delegation of powers as specified in Annexure I.
- (b) Unless any deviations of general or particular nature are otherwise ordered /prescribed /resolved by the Board, the rules and procedure prescribed in M.P. Works Department Manual shall be followed by all officers of the Board authorised to execute contracts and agreements
- (c) Wherever there is a contradiction in the provisions in Annexure-I and M.P. Works Department Manual, the provisions in Annexure-I and these regulations shall prevail.
- (d) Wherever there is a contradiction in the provisions of the Tender/Contract documents (as approved by the Competent Authority defined in Annexure -I) and M.P. Works Department Manual, the provisions of the Tender/Contract documents shall prevail.
- (e) The Administrative Approval issued by Central/State Government departments and their undertakings for construction Projects will be sufficient for taking up works under deposit scheme. No separate Administrative Approval will be required from the Board for taking up deposit work. Execution of deposit work on behalf of Private Bodies will require prior Administrative Approval of competent authority as specified in Annexure -I

#### (13) Registration of Contractors

- (a) There shall not be separate registration of contractors in the Board. All contractors registered with centralised registration system of Government of Madhya Pradesh shall be deemed registered in the Board and shall be eligible to participate in tenders of the Board.
- (b) The contractors registered with Central Government / Other State Government /State and Central Government undertakings /organisations can also participate provided they produce proof of application for registration in centralised registration system of Government of Madhya Pradesh. However, agreement with selected bidder shall be executed only on production of copy of Registration Certificate of centralised registration system of Government of Madhya Pradesh.
- (c) In case of specialised nature of works and in Projects undertaken on Public Private Partnership procedure, the requirement of registration will not apply.

#### (14) Welfare and Recreation of Staff:

The constitution and functioning of the Welfare and Recreation Committee in the Board shall be governed by the following guidelines:

- (a) The Committees: There shall be a Welfare and Recreation Committee in the Board at the Head Office, at Circle Offices and at every Divisional Office. The Committee shall consist of five members including the President, the Vice President, the Secretary and the Treasurer. The members of the Committee shall be elected from amongst themselves by the officers and employees of the Housing Board at Head Quarters, Circles Offices and Divisional Offices. They shall hold office for a period of one year with effect from the date of election. Two or more such units located at a single headquarter may, if they so wish merge and have a single Committee.
- (b) <u>Functions of the Committee:</u> The Committee shall provide for the welfare and recreational activities of the officers and employees, which shall include:-
  - (i) Games (indoor and outdoor), arranging of sports and competitions in furtherance of these activities.
  - (ii) Opening of reading clubs, purchase of magazines, books, newspapers and other periodicals;

- (iii) Such other welfare and recreational activities as may be approved by the Board.
- (c) <u>Funds of the Committee</u>: The funds of the Committee shall consist of subscriptions made by the Board, its officers and employees, and grants and donations from other sources.
- (d) <u>Board's Contribution</u>: The Board may on an application from the Committee sanction an annual contribution not exceeding Twenty five thousand rupees to the Head Office Committee and Five Thousand rupees to each of the other Committees every year towards welfare and recreation activities of the staff, provided that at least fifty percent of the sanctioned amount had been contributed by the staff during the previous financial year. If the contribution of the staff falls short of the fifty percent of the Board's contribution, the Board's contribution shall be reduced proportionately. In case two or more units at a single headquarter decide to merge, they will be entitled to receive funds calculated as though they were separate units.
- (e) <u>Accounts</u>: The Committee shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of receipts and expenditure. The accounts of the Committee shall be checked by the Chief Accounts Officer of the Board.

#### (15) Formation of Unions:

The Board reserves the right to accord recognition to one or more associations of the employees of the Board subject to the following conditions:-

- (i) The said association shall be duly registered under the law relating to the registration of societies for the time being in force.
- (ii) No person who is not an employee of the Board shall be a member or an office-bearer or a patron of such an association.
- (iii) The constitution of the association will be subject to the approval of the Board.
- (iv) The accounts of the association shall be subject to such audit as the Housing Commissioner may prescribe from.
- (v) The activities of the association shall be in the interests of the Board

- (vi) It shall be incumbent upon the association to strictly adhere to its constitution, particularly in matters relating to elections; and to strictly maintain transparency in expenditure and accounts.
- (vii) The Board shall have the right to withdraw the recognition of an association after giving the association a reasonable opportunity of being heard. The effect of such withdrawal shall be that the association shall stand automatically dissolved.

#### (16) General Provisions on Delegation of Power:

- (a) Powers not specifically delegated to the Chairman, Housing Commissioner or other officers of the Board, shall be exercised by the Board.
- (b) The Housing Commissioner may delegate Powers conferred on him or to his subordinate officer, as specified in Annexure I, to other subordinate officers as and when required.
- (c) The financial powers/limits described for various authorities in Annexure-I may be modified/enhanced/decreased by the Board from time to time or as per prevailing conditions.
- (d) The authorities subordinate to Housing Commissioner, as defined in Annexure I, shall exercise their financial powers subject to availability of Budget.
- (e) All authorities, as defined in Annexure I, shall exercise prudence while giving sanctions under Delegation of Powers.
- (f) In case the beneficiary himself is the empowered authority the decision shall be approved by one rank higher authority.

#### (17) Interpretation:

In case there is a dispute in interpretation of these Regulations or its Annexures due to difference of opinion or discrepancy based on the Hindi translation of the English version, the English version shall be considered the authorised legal version.

### Annexure-I

# **DELEGATION OF POWERS**Index

Sr No.	Section	Sub Section	Part	Page No.
1	I- Administration	A- Establishment	1 - Creation /	16
		Matters.	formation of	
			Administrative Units.	
			2- Recruitment and	17
			Training	
}			3- Appointment and	19
			Promotions	
			4- Salary and	21
	; · · ·		Increments	
1			5- Disciplinary action	23
			6- Transfer and	26
			Posting	
			7- Leave	27
		,	8- Tour and Travel	30
			Allowance	
			9- Retirement	35
			10- Medical facility	38
			11- Miscellaneous	41
	·	:	Establishment matter	
		B- Non Establishm	ent Matters	42
2	II- Legal Affairs		,	51
3	III- Estate and	A- Land Manageme	ent	55
	Land Management	B- Estate	1- Self Financing	59
		Management	Scheme	
			2- Hire Purchase	62
			Scheme	
			3-Sale of Property by	63
,			Offer	
	·		4- Allotment of	65
			adjacent land	
			5- Miscellaneous	67

Sr No.	Section	Sub Section	Part	Page No.	
4	IV- Finance and	A- Budget		68	
	Accounts	B- Fund Manageme	69		
		C- Resource mobilization		72	
		D- Cash Book / Ma	ain ledger / subsidiary	73	
		ledger /MRB and B	ank reconciliation /	,	
	•	Balance Sheet			
5	V- Audit	A- Statutory Audit	S	75	
		B -Internal Audit		76	
6	VI- Project	A- Administrative A		77 81	
	Management and	d B- Technical Sanction			
	Technical Affairs.	C- Approval of NIT		83	
		D- Tender Invitation	84 85		
'		E- Award of Contract			
			F- Project Monitoring		
		G- Payment to cons	sultant and State	90	
		Agencies.			
		H-Management of		91	
		I- Project	1- Project Formulation	93	
		formulation	2- Project formulation	94	
			Outsourcing		
			3- Project	95	
			Management		
		Consultant.			
		J- Public Private Pa	rtnership Projects	96	
7	VII- Arjun Fitness C			97	
8	VIII- Information and Technology.			99	
9	IX- Inspections			100	

## Section I - Administration

## Subsection - A Establishment Matters

## Part -1 - Creation / formation of Administrative Units

S.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Formation/Creation /abolition of	Board of Directors	Full Powers
	Circle Office including fixation and		
	change of Head Quarter.		The state of the s
2	Formation/Creation/abolition of	Housing	Full Powers
	Division/ Sub division including	Commissioner	
	fixation and change of Head Quarter.		
3	Formation of new organisation	Board of Directors	Full Powers
	structure / modification of existing		
•	structure or replacement / deletion of	,	
á.	part of existing organisation structure		
	with creation/abolition of posts.		
4	Creation/Modification/deletion of	Housing	Full Powers
	sections / functional units in Head	Commissioner	
	Office or its modification with or		
	without cost implication		
5	Formation of various Executive	Housing	Full Powers
	Committees at Head Office or in	Commissioner	
ann magaine reasona an ina balanta in the	field units.		
6	Appointment of Consultants /	Housing	Full Powers
	Consulting Firms.	Commissioner	
7	Appointment of Officer on	1. Housing	1. Full Powers
	Deputation from Central / State	Commissioner	Subject to
	Government		availability of
			Posts.
		2. Board of	2. Full Powers
		Director	
8	Grant of Permission to go (including	Housing	Full Powers
	extension) on deputation by the	Commissioner	
	Board Employee		- 11 T
9	Re -appropriation of Posts within the	Housing	Full Powers
	sanctioned organisation structure	Commissioner	

## Part -2 - Recruitment and Training

1	Formation of recruitment regulations.	Board of Directors with approval of State Government	Full Powers
2	Approval of annual recruitment plan.	Board of Directors	Full Powers
3	Selection and Appointment of recruitment agency	Board of Directors	Full Powers
4	Approval of Advertisement of recruitment wherever required	Housing Commissioner	Full Powers
5	Approval of recruitment Agency and agency charges as per approved norms as per availability of budget.	Chief Administrative Officer	Full Powers
6	Appointment of supervisor in case of recruitment through external agencies (if required) or formation of committee for recruitment process for in-house recruitment	Housing Commissioner	Full Powers
7	Approval of final selection list for issuing of appointment letters	Housing Commissioner	Full Powers
8	Issue of Appointment letters	Chief Administrative Officer	Full Powers
9	To close the annual recruitment process	Housing Commissioner	Full Powers
10	Approval of annual training calendar	Housing Commissioner	Full Powers
11	Nomination of employee for training	<ol> <li>Chief</li> <li>Administrative</li> <li>Officer</li> <li>Housing</li> <li>Commissioner</li> </ol>	1. Full Powers for Class II /III/IV employees 2. Full Powers
12	Sanction of training expenses to the training Institutes	1. Chief Administrative Officer	1. Full Powers If training programme is

			approved in annual calendar
		2. Housing Commissioner	2. Full Powers
13	To sign Memorandum of	Housing	Full Powers
	Understanding (MOU) with	Commissioner	
	Government training institutes		
14	Sanction to Board employees	Housing	Full Powers
	for participation in Training	Commissioner	
	Programme not included in		
	Annual training calendar		73 11 75
15	Fixation of honorarium to be	Housing	Full Powers
	paid to Experts for in-house	Commissioner	
1.6	training	CI.'. C	Full Powers
16.	Sanction of payment of	Chief Administrative	Full Powers
	honorarium to be paid to	Officer	
17	Experts for in-house training	Housing	Full Powers
17	Extension of probation period	Commissioner	run roweis
18	Regularization of employees on	1. Housing	1. Full Powers
10	successful completion of	Commissioner (on	1. Full Fowers
	probation period.	recommendation	
	probation period.	of Personnel	
		Management	
		Committee).	
		2. Chief	2. For Class III &
		Administrative	IV employees
		Officer (on	(except Sub
		recommendation	Engineers)
		of Personnel	
	•	Management	
		Committee).	

## Part -3 - Appointment and Promotions

Sr. No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Formation of Junior	Housing	Full Powers
	Departmental Promotion	Commissioner	
	/Selection Committee		
2	Appointment on	1. Board of	1. Full Powers for
	Promotion/recruitment.	Directors	Addl. Housing
			Commissioner (on
			recommendation
	,		of Departmental
			Promotion
			Committee).
•		2. Housing	2. Full Powers for
		Commissioner	all other
	•		employees (on
			recommendation
			of Departmental
			Promotion
			Committee).
	44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-		1 1 1
3	Appointment and grant of other	Housing	Full Powers
	relief on compassionate ground	Commissioner (on	
	(Anukampa Niyukti) based on	recommendation	
	policy of State Government on	of Personnel	
	the subject.	Management	
A	D	Committee).	Full Powers
4	Power to entrust current charge	Housing Commissioner	Full Powers
	of higher office without	Commissioner	
	prejudice to seniority of		
	employee and subject to		
5	fulfilling the criteria.  Substitute arrangement on	1. Housing	1. Full Powers
J	promotion/ transfer / leave	Commissioner	1.1 411 1 0 11 010
	vacancy / retirement.	Commissioner	
	y additory / forthermone,	2. Chief	2. Full Powers in
	·	Administrative	respect of Officers
		Officer	/ employees below
		- 4.4.1 W WA	the rank of Dy.
			Commissioner.

		3. Dy Housing	3. Full Powers in
		Commissioner	respect of Class II/
	·	(Circle)	/III/ IV employees
			within their
			jurisdiction.
6.	Publication of interim Annual	Chief	Full Powers
	Gradation List of Employees	Administrative	·
		Officer	
7	Correction of clerical mistakes	Chief	Full Powers
	in Annual Gradation List	Administrative	
		Officer	
8	Decision on claims and	Appointing	Full Powers
	representations regarding	Authority (on	
	seniority in Annual Gradation	recommendation	
	List	of Personnel	
		Management	
		Committee).	
9	Publication of Final Annual	Chief	Full Powers
	Gradation List.	Administrative	
		Officer	

## Part -4 - Salary and Increment

Sr.	Nature of Power	Authority	Limits
No			
1	Drawing and Disbursal of Salary	1. Accounts Officer (Bill)	1. Full Powers for employees of Head Office and Dy. Housing Commissioner of
		2. Accounts Officer	Circles.  2. Full Powers for employees of circle office and Executive Engineer /Estate Officers under
		3. Executive Engineer /Estate Officer	their jurisdiction 3. Full Powers for employees under their jurisdiction
2	Power to grant annual grade increment as per Fundamental Rules 24 to all eligible	1. Chief Administrative Officer	1. Full Powers
	employees.	2. Dy Housing Commissioner(Circle).	2. Full Powers in respect of all employees of their Office and Class I/II Officers in their jurisdiction.
		3. Executive Engineers/ Estate Officers	3. Full Powers in respect of all employees in their Jurisdiction except Class I /II Officers.
3.	Grant of special Increment to employees who undergoes sterilization operation as per State Government Policy.	1. Chief Administrative Officer	1. Full Powers in respect of all employees in Head Office.

		2. Dy. Housing Commissioner(Circle).	2. Full Powers in respect of all employees in their jurisdiction.
4.	Grant of Higher Pay Scale /Time Scale to regular employees.	1. Chief Administrative Officer (on recommendation of Personnel Management Committee).	Full Powers in respect of all employees of Head Office and all Class I/II employees of Board.
		2. Dy Housing Commissioner (Circle) (on recommendation of Circle Level Personnel Management Committee).	2. Full Powers in respect of Class III/IV employees in their jurisdiction.
5	Counting Period of extraordinary leave towards increments requirements	Chief Administrative Officer	Full Powers
6	Withholding of salary in absence of sanction of leave or certified attendance as per FR 17 for all employees	Drawing and Disbursement Officer after receiving information from controlling Officer	Full Powers
7	Sanction of honorarium for work of extra ordinary nature	Housing Commissioner	Full Powers
8	Approval of Pay Fixation on promotion, new Pay Commission recommendation, Time Scale, etc.	Chief Audit Officer	Full Powers

# Part -5 - Disciplinary Action

Sr.	Nature of Power	Authority	Limits
No	Tratato of Lover	1 Ideal Carry	
1.	Power to impose penalty under rule 10 of MP Civil Services	1. Board of Directors	1. Full Powers
·	(Classification, Control and	2. Housing	,
	Appeal) Rules 1966.	Commissioner.	2. Full Powers
			except major
			Penalty in case of
		·	Addl Housing Commissioner.
	:	3. Chief	Commissioner.
		Administrative	3. Full Powers to
	•	Officer	impose minor
			penalty in respect
			of Class III/IV employees.
		4. Dy. Housing	employees.
,		Commissioner(Circle)	4. Full Powers to
			impose minor
			penalty in respect
			of Class III(Except Sub
			Engineers)/IV
			employees within
			their jurisdiction.
	1, 1	C / 11' O'C'	Full Powers
2	Power to impose penalty under rule 11 of MP Civil Services	Controlling Officer	Full Powers
	(Classification, Control and		
	Appeal) Rules 1966.		
3	Suspension of Employees under	1. Housing	1. Full Powers
	Rule 9 of MP Civil Services	Commissioner	
	(Classification, Control and Appeal) Rules 1966.		
,	Tippeary Raics 1500.	2. Chief	2. Full Powers in
		Administrative	case of Class III/
		Officer	IV employees.
		3. Dy Housing	3. Full Powers in
		Commissioner(Circle)	case of Class
		,	III(except Sub Engineers)/ IV
			employees within
			their jurisdiction.

ļ	·		
4.	Power to decide Appeal against	Authority One Rank	Full Powers
	imposition of Penalty and	Above the order	
	Suspension.	passing authority. In	
	1	case of orders passed	
		by Chairman /	
		Housing	
		Commissioner, the	
		appeal will be heard	
		~ ~	
		and decided by Board	
		of Directors or its	
		Nominated	
		Committee. In case of	'
		orders passed by	
		Board, the appeal will	
	•	be heard and decided	
		by the State	
	· .	Government.	
5.	Power to Review under rule 29 of	1. Board of Directors.	1. Full Powers
]	MP Civil Services		after taking
	(Classification, Control and		permission to
	Appeal) Rules 1966) orders of		review from the
	imposition of Penalty and	2. Housing	State Government
	Suspension.	Commissioner	2. Full Power
{			after taking
			permission to
		•	review from
,		,	Board of Director.
			Board of Britain
		3. Chief	3. Full Power
		Administrative	after taking
			permission to
		Officer / Dy Housing Commissioner	review from
		Commissioner	
,			Housing
	D	A A	Commissioner. Full Powers
6.	Powers to grant permission for	Appointing Authority	run rowers
	Prosecution in cases of		
	proceedings under Prevention of	,	·
	Corruption Act or any other law		
	in force.		
7.	Powers to grant permission for	Chairman	Full Powers
	initiation of disciplinary		
	proceedings against retired		
	employees, as per rules 9(2) of	·	
	M. P. Civil Services (Pension)		
	Rules 1976.	•	
L		1	

#### Part -6 - Transfer and Posting

Sr.	Nature of Power	Authority	Limits
No			
1	Formulation of Transfer Policy or	Board of Directors	Full Powers
	adoption of Transfer Policy of		,
	State Government.		
2	Posting and Transfer including its	1. Housing	1. Full Powers.
	cancellation and modification.	Commissioner	
		2. Chief	2. Full Powers in
		Administrative	respect of Class
		Officer	III/IV employees
			as per Transfer
			Policy
		3. Dy. Housing	
		Commissioner(Circle)	3. Full Powers in
			respect of Class
			III/IV employees
			within their
			jurisdiction as per
	·		Transfer Policy.

#### Part -7 - Leave

Sr.	Nature of Power	Authority	Limits
No			
1	Sanction of Casual / Optional Leave including permission to leave Head Quarters	1. Housing Commissioner	1. Full Powers in respect of Addl. Housing Commissioner, Section Heads and all Dy. Housing Commissioners.
		2. Controlling Officers.	2. Full Powers in respect of employees within their Jurisdiction.

		1 77	1 D 11 D
2	Sanction of Earned Leave /	1. Housing	1. Full Powers in
	Commuted Leave/ Medical	Commissioner	respect of Addl.
	Leave/ Maternity Leave /		Housing
	Paternity Leave.		Commissioner,
			Section Heads and
			all Dy. Housing
			Commissioners.
		2. Chief	2. Full Powers in -
		Administrative Officer	respect of all
			Other employees
			of Head Office
	·		and other Class I
			officers
		3. Dy Housing	3. Full Powers in
		Commissioners(Circle)	respect of all Class
			II/III/IV
			employees of own
			office and Class II
			employees of
			subordinate
			Offices within
			their jurisdiction.
		4. Executive Engineer	4. Full Powers in
		/ Estate Officer	respect of all Class
			III/IV employees
			within their
			jurisdiction.
3	Sanction of Leave not due and	1. Housing	1. Full Powers in
	Extraordinary leave	Commissioner	respect of Addl.
			Housing
			Commissioner,
			Section Heads and
			all Dy. Housing
			Commissioners.
			1

			0 D 11 D
		2. Chief	2. Full Powers in -
		Administrative Officer	respect of all
			Other employees
			of Head Office
			and other Class I /
		3. Dy. Housing	II employees.
		Commissioner(Circle)	3. Full Powers in
			respect of all Class
	·		III / IV employees
			within their
			Jurisdiction
			(without giving
			any decision on
	•		counting of
		,	Period of
			extraordinary
			leave towards
	•		increments
	i.		requirements)
4	Sanction of Study Leave	Housing	Full Powers
		Commissioner	
5	Permission for Higher Studies	1. Housing	1. Full Powers for
	while on Job.	Commissioner.	Class I employees
		2. Chief	2. Full Powers for
		Administrative	Class II/III/IV
		Officer.	employees.
			1 1
l		3. Dy Housing	3. Full Powers for
		Commissioners	Class III (except
		(Circle)	Sub Engineers)/IV
			employees.
1			

## Part -8 - Tour and Travel Allowance

Sr. No	Nature of Power	Authority	Limits
1.	Approval of Tour outside state for Official Purpose for Chairman and his / her Staff	Chairman	Full Powers
2.	Approval of Tour outside state for Official Purpose for Housing Commissioner.	Housing Commissioner	Full Powers subject to approval by State Government.
3	Approval of Monthly Tour Programme and occasional tours.	1. Housing Commissioner	1. Full Powers in respect of Addl Housing Commissioner and Section Heads.
		<ul><li>2. Chief Administrative Officer</li><li>3. Dy Housing Commissioner (Circle)s</li></ul>	2. Full Powers in respect of Dy Housing Commissioners. 3. Full Powers in respect of all Officers within their jurisdiction
4.	Sanction of Tour Advance	<ol> <li>Chief Accounts Officer</li> <li>Concerning Drawing and Disbursing Officer</li> </ol>	1. Full Powers for all employees of Head Office. 2. Full Powers for employees of their jurisdiction.
5.	Countersign of T A Bills	1. Chief Accounts Officer.	1. Full Powers for Addl Housing Commissioner and all Section Head.
		2. All Sectional Heads of Head Office	2. Full Powers for employees in their section.

		3. Dy.Housing	3. For all
		Commissioner.	employees of their
		Commissioner.	office and
			Executive
			Engineer/Estate
			Officer.
		4. Executive	4. For all
	,	i .	employees within
		Engineer/Estate Officer	their jurisdiction.
(	Descine of TA Dillo	1. Accounts	1. Full Powers for
6.	Passing of TA Bills		1 '
		Officer (Bill)	all employees of Head Office and
			all Dy.Housing Commissioner
		2. Accounts	2. Full Powers for
	·	Officer of the	1
		Circle.	employees of their jurisdiction and
		Circle.	Executive
			Engineer/Estate
,			Officer.
		3. Executive	3. For all
			employees within
٠		Engineer/Estate Officer	their jurisdiction.
	Annuary of Toya outside	1. Chief	1. Full Powers in
7.	Approval of Tour outside	Administrative	respect of Dy
-	jurisdiction but within State.	Officer	Housing
		Officer	Commissioners.
		2 Dy Houging	2. Full Powers in
		2. Dy Housing Commissioner	respect of all
		(Circle)s	Officers within
	·	(Chele)s	their jurisdiction
			unen jurisuretion
8	Approval of Tour outside State but	1. Housing	1. Full Powers.
O	in India.	Commissioner	1.1 011 1 0 11 015.
	in mua.	2. Chief	2. Full Powers in
		Administrative	respect of all
		Officer	employees other
			than Addl.
	·		Housing
			Commissioner and
			Section Heads.
			DOUGH LLORGS.

·		P-47-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
9.	Approval of Travel Allowance	Chief Accounts	Full Powers
	(Daily allowance and	Officer	
	Accommodation) for stay more		
	than 10 days at a Place.		
10	Approval of actual Journey	1. Chief	1. Full Powers
	performed other than shortest and	Administrative	
	cheapest route.	Officer	
	encapest route.	2. Dy.Housing	2. Full Powers in
		Commissioner	respect of
		Commissioner	employees within
			1 * "
			their jurisdiction.
11	Reimbursement of Ticket	1. Accounts	1. Full Powers for
	cancellation charges	Officer (Bill)	employees of Head
			Office and all
			Dy.Housing
	. •		Commissioners.
		2. Accounts	2. Full Powers in
		Officer of Circle	respect of
		Office.	employees of
		Omice.	Circle and
			Executive
			Engineer/Estate
			Officer.
			0.77.47
		3. Executive	3. Full Powers in
		Engineer/Estate	respect of
		Officer.	employees within
			their jurisdiction.
12	To accord sanction to time -barred	Chief Accounts	Full Powers
	TA Bills	Officer	
13	Permission to travel in a category	Chief	Full Powers
	higher than eligible class /mode.	Administrative	
	ingher than englote class/mode.	Officer	
1.4	To nomit a manial amplayed to	Chief	Full Powers
14	To permit a menial employee to	1	Full Lowers
	claim same class of fare as his/her	Administrative	
	superior Officer while	Officer	
	accompanying him/her.		
		CIIIC	T. II D.
15	Sanction of Tour and Travelling	Chief	Full Powers
	Allowance Bill of persons other	Administrative	
	than Housing Board employees for	Officer	
	tour in relation to Housing Board		
	matters.		
1	~ 1 1		. ~ 11 ~ 0

J			
16	Reimbursement of Taxi charges incurred by Class I officers while	1. Accounts Officer (Bill)	1. Full Powers for employees of Head
	on tour outside State in connection	Officer (Diff)	Office and all
	1		Dy.Housing
ł	with Housing Board matters.		
	Note:-		Commissioners.
	a) The reimbursement of taxi		
	charges will be on actual basis and	2. Accounts	2. Full Powers in
	will be allowed only after	Officer of Circle	respect of
	competent authority satisfies	Office.	employees of their
	himself about the necessity and		jurisdiction.
	reasonability of claim.		
	b) No taxi charge will be allowed		
	for any portion of journey for		
ļ.	which mileage is drawn.		
	c) Taxi charges shall be admissible		
	only after obtaining approval of		
ļ	authority approving the tour.		
17	Sanction and payment of one	Concerning	Full Powers.
1 /	month pay advance and tour	Drawing and	
	advance for travel on transfer.	Disbursement	
İ	advance for traver on transfer.	Officer	
18	Sanction of Bills towards stay of	1. Chief Accounts	1. Full Powers for
10	-	Officer.	Head Office
	MP Housing and Infrastructure	Officer.	including Addl
	Development Board officials in		Housing Addi
	MP Bhawan/ Madhyavart / other		Commissioner and
	Government rest house / Circuit	a D III	l '
	House	2. Dy.Housing	all Section Head.
		Commissioner.	2. For all
			employees of their
			office and
			Executive
			Engineer/Estate
		3. Executive	Officer.
		Engineer/Estate	3. For all
		Officer	employees within
·			their jurisdiction.
19	Passing of Bills towards stay of	1. Accounts	1. Full Powers for
	MP Housing and Infrastructure	Officer (Bill)	all employees of
	Development Board officials in		Head Office and
	MP Bhawan/ Madhyavart / other		all Dy.Housing
	Government rest house / Circuit		Commissioner.
	House	2. Accounts	2. Full Powers for
		Officer of the	employees of their
		Circle.	jurisdiction and
			Executive
			Engineer/Estate
			Officer.
		3. Executive	3. For all
			employees within
		Engineer/Estate	their jurisdiction.
L		Officer	men jurisaiction.

# Part -9 - Retirement

Sr.	Nature of Power	Authority	Limits
No		1 01 1 0	1 TO 11 D
	To accord sanction of Retirement of employee on attaining age of superannuation.	1. Chief Administrative Officer	1. Full Powers for class I employees and Class II/III/IV for Head Office.
		2. Dy. Housing Commissioner(Circle)	2. Full Powers for Class II employees in his jurisdiction and Class III/IV employees of Circle Office
		3. Executive Engineer/Estate Officer	3. Full Powers for Class III/IV employee in his jurisdiction
2	To accept Voluntary Retirement	1. Housing	1. Full Powers
	/Resignation	Commissioner 2. Chief Administrative Officer	2. Full Powers for Class II /III/IV employees.
3	To order retirement of Board employee in the public interest at any time after he has completed 20 years qualifying service or attains the age of fifty years whichever is earlier, without assigning any reason by giving him a notice in writing	<ul><li>1. Board of Directors</li><li>2. Housing Commissioner</li></ul>	1. Full Powers  2. Full Powers except in case of Addl. Housing Commissioner.
4	Sanction of Pension / Family Pension / Death cum retirement gratuity for all employees wherever applicable.	Chief Accounts Officer	Full Powers
5.	Ex-gratia sanction and payment to the family of the employee who die while in service.	1. Accounts Officer (Bill)	1. Full Powers for employees of Head Office and

ANTO ANTONIO VICTORIA ANTONIO			all Dy.Housing Commissioners.
		2. Accounts Officer of Circle Office.	2. Full Powers in respect of employees of Circle and Executive Engineer/Estate Officer.
		3. Executive Engineer/Estate Officer.	3. Full Powers in respect of employees within their jurisdiction.
6.	Sanction of Earned Leave encashment on retirement	1. Chief Administrative Officer.	1. Full Powers for employees of Head Office and Dy. Housing Commissioner.
		2. Dy. Housing Commissioner.	2. Full Powers for employees of Circle Office and Executive Engineers /Estate Officers.
		3. Executive Engineer / Estate Officer	3. Full Powers for employees of his office within his jurisdiction.
7.	Payment of Earned Leave encashment on retirement	1. Accounts Officer (Bill)	1. Full Powers for employees of Head Office and all Dy. Housing Commissioners.
		2. Accounts Officer of Circle Office.	2. Full Powers in respect of

			employees of Circle and Executive Engineer/Estate Officer
		3. Executive Engineer/Estate Officer.	3. Full Powers in respect of employees within their jurisdiction.
8.	Sanction of Compassionate compensation to family of Daily Wage/ Work Charge employee who die while in service.	1. Chief Administrative Officer.	Full Powers in respect of employees of Head Office.
,		2. Dy.Housing Commissioner	2. Full Powers in respect of
-			employees of his jurisdiction.
9	To forward claim of GIS to Insurance company.	1. Chief Accounts Officer	1. Full Powers for employees of Head Office
		2. Dy.Housing Commissioner	2. Full Powers for employees of Circle Office.
		3. Executive Engineer / Estate Officer.	3. Full Powers for employees of his jurisdiction.
10	Sanction of Final payment of GPF	Chief Accounts Officer.	Full Powers
11	Final payment of GPF.	Accounts Officer (GPF)	Full Powers
12	Approval of Pension fixation	Chief Audit Officer	Full Powers

## Part -10 - Medical Facility

Sr.	Nature of Power	Authority	Limits
No			
1.	Powers to sanction and payment of	1. Accounts	1. Full Powers for
	Medical reimbursement bills.	Officer (Bill)	employees of Head Office &
	subject to following conditions		Dy.Housing
	a) As per prescribed limit by the	·	Commissioners
	State Government and in		
	accordance with MP Civil services	2. Dy.Housing	2. Full Powers for
	(Medical Attendance) Rules, 1958.	Commissioner	Executive
	b) Above the limit only on the		Engineer/ Estate
	recommendation of Civil Surgeon.		Officer and all
			class II/III/IV of
	c) In case of Treatment in Private		Circle within its
	Hospitals on recommendation of		jurisdiction
	relevant Medical Committee of	3. Executive	3. Full Powers for
1	Housing Board.	Engineer/ Estate	all employees of
		Officer Lstate	their
	·		jurisdiction(except
		·	in case of (c))
2	Powers to sanction Bills of	Medical	Full Powers
	treatment availed in private	Committee of	
	recognized /non recognized	Housing Board	
	hospitals in emergency conditions		
	like accident, brain hemorrhage,		
	Paralysis etc.		
3	Payment of Bills sanctioned by	1. Accounts	1. Full Powers for
	competent authority	Officer (Bill)	employees of Head
			Office and all
			Dy.Housing
			Commissioners.
		2. Accounts	2. Full Powers in
		Officer of Circle	respect of
		Office.	employees of
			Circle and
			Executive
			Engineer/Estate

			Officer.
		3. Executive Engineer/Estate Officer.	3. Full Powers in respect of employees within their jurisdiction.
4	(1). To accord sanction of Medical reimbursement bills submitted after prescribed limit of six months up to One year (2). To accord sanction of Medical reimbursement bills submitted after One Year.	<ol> <li>Chief Accounts         Officer.</li> <li>Chief         Administrative         Officer</li> </ol>	1.Full Powers  2. Full Powers
5	To admit the Medical reimbursement claims on duplicate cash memo	Chief Accounts Officer	Full Powers
6	To sanction reimbursement charges towards pathological / other tests in listed private test centers as per approved rates of state Govt. in case referred by the Medical Officer of the Board/State	1. Accounts Officer (Bill)	1. Full Powers for employees of Head Office and all Dy Housing Commissioners.
	Government as per minimum of the approved rates of Red Cross Society / State Government.	2. Accounts Officer of Circle Office.	2. Full Powers in respect of employees of Circle and Executive Engineer/Estate Officer.
		3. Executive Engineer/Estate Officer.	3. Full Powers in respect of employees within their jurisdiction.
7	To sanction reimbursement of Consultation Fees paid to Board empanelled Medical Practitioners Within limit of rates approved by	1. Accounts Officer (Bill)	1. Full Powers for employees of Head Office and all Dy. Housing

	Head Office		Commissioners.
		2. Accounts Officer of Circle Office.	2. Full Powers in respect of employees of Circle and Executive Engineer/Estate Officer.
		3. Executive Engineer/Estate Officer.	3. Full Powers in respect of employees within their jurisdiction.
8	To sanction Medical Advance for treatment	Chief Administrative Officer	1(a). Upto Rs. Twenty Five Thousand per case subject to maximum of 80% of estimate.
			(b) Above Rs. Twenty Five Thousand on recommendation of DME /Dean Medical College
9	To empanel registered medical practitioner/Specialized Doctor and fixation of their Consultation charges	Housing Commissioner	Full Powers

## Part -11 - Miscellaneous Establishment Matters

Sr. No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Permission to acquire / disposal of	1. Chief	1. Full Powers for
	immovable /movable property by	Administrative	class I/II
	the employee.	Officer	employees and
			Class III/IV for
			Head Officer
		2. Dy. Housing	2. Full Powers for
	·	Commissioner	Class III /IV
	,		employees in his
			jurisdiction
2	Sanction of Festival Advance /	1. Chief Accounts	1. Full Powers for
	Grain Advance	Officer	employees of Head
			Office
		2. Dy. Housing	2. Full Powers for
		Commissioner	employees of
			Circle Office.
		3. Executive	3. Full Powers for
		Engineer / Estate	employees of his
		Officer	office within his
		4.7	jurisdiction.
3	Issue NOC for applying outside	1. Housing	1. Full Powers
	Job	Commissioner	2. Full Powers for
		2. Chief	class II/III/IV
	••	Administrative Officer	employees.
	L. in a SNOC for acquiring	Chief	Full Powers
4	Issuing of NOC for acquiring	Administrative	Tun 1 Owers
	Indian Passport	Officer	
5	Sanction of temporary advance or	1. Chief Accounts	1. Full Powers for
)	Part Final from GPF.	Officer Officer	Head Office and
	Tart mai nom Off.		all Class I Officers.
		2. Dy.Housing	2.Full Power for
		Commissioner	Class II/III/IV
			employees within
			their jurisdiction
6	Approval of private visit outside	Housing	Full Powers.
_	India.	Commissioner	The state of the s

#### Section I - Administration

#### Subsection -B Non- Establishment Matters

Sr.	Nature of Power	Authority	Limits
N			
0			Г 11 Т
1.	Expenditure on exhibitions	Housing Commissioner	Full Powers
	sponsored by State or Central Govt.	CIL CALL ALLE	1 Full Davides (co
2	To sanction hiring and rental of	Chief Administrative	1. Full Powers (on basis of rent
	private building for Housing Board	Officer	
	Office purpose.		recommended by
			Rent Control
		1 01: 041 :::4:4:	Authority).
3	Awarding of Annual Maintenance	1. Chief Administrative	1. Full Powers
	Contract for Office equipments	Officer	upto Rs. 10 lacs
			per case, subject to
			availability of
		2. Procurement	Budget.
		Committee	2. Full Powers
			subject to
			availability of
	0.000		Budget.
4	Servicing and repairs of Office	1. Chief Administrative	1. Full Powers for
	equipments	Officer.	Head Office
		2. Dy.Housing	2 F-11 D f-n
		Commissioner .	2. Full Powers for
·		3. Executive Engineer /	Circle Office 3. Full Powers for
		Estate Officer.	
	FD 1	1 C11: C A 1	his jurisdiction.
5	To award contract for Office	1. Chief Administrative	1. Full Powers for
	services like photocopy	Officer.	Head Office
	,Housekeeping services etc.	2. Dy. Housing	2. Full Powers for
		Commissioner	Circle Office
		3. Executive Engineer /	3. Full Powers for
		Estate Officer.	
-	T. III	1 Chief Administration	his jurisdiction.  1. Full Powers for
6	To Hire equipments, fixtures etc.	1. Chief Administrative	Head Office
	for Official purposes.	Officer.	Ticau Office
	·	2. Dy. Housing	2. Full Powers for
L. Conseque a remain		Commissioner.	2. Full FOWEIS IOI

		3. Executive Engineer /	Circle Office
		Estate Officer.	3. Full Powers for his jurisdiction.
7	Sanction of purchase of Air/Water	1. Chief Administrative	1. Full Powers for
	Cooler/ Blowers	Officer.	Head Office
		2. Dy.Housing Commissioner.	2. Full Powers for his jurisdiction.
8	Sanction of purchase of / Air - conditioners	Chief Administrative Officer.	Full Powers
9	To fix daily rent for Board Rest Houses.	Housing Commissioner	Full Powers
10	To fix rent for Canteen Hall of Paryawas Bhawan	Housing Commissioner	Full Powers
11	To grant exemption from rent of Canteen Hall /Rest House	<ol> <li>Housing</li> <li>Commissioner</li> <li>Chief Administrative</li> <li>Officer</li> </ol>	<ol> <li>Full Powers</li> <li>Full Power for Board Rest Houses.</li> </ol>
12	To permit visitors other than board	Dy.Housing	Full Powers
	employees for stay in Rest Houses	Commissioner	
13	Permission of hiring of Vehicles	1. Chief Administrative	1. Full Powers
	for Meeting / Visits of Housing	Officer	
	Board officials and external	2. Dy.Housing	
	distinguished visitors and as per	Commissioners	2. Full Powers in
1.4	exigencies of work.	1 Chief Administrative	their jurisdiction
14	To accord approval for purchase of Uniforms/liveries /or to approve equivalent cash disbursal to eligible employees.  (The equivalent rate shall be decided by Chief Administrative	1. Chief Administrative Officer 2. Dy. Housing Commissioner(Circle)s	<ol> <li>Full Powers</li> <li>Full Powers in their jurisdiction</li> </ol>
	Officer every two years.)	·	
15	To sanction standard rate for Agency charges for outsourcing of Housing Board work like Data Entry, Security/ Services, etc.	Chief Administrative Officer on recommendation of procurement Committee	Full Powers

16	To sanction Annual requirement of persons required from outsourcing agencies for outsourcing of Housing Board work like Data Entry, Security Services, etc.	Chief Administrative Officer	Full Powers
17	To accord approval for empanel ment of Agency for outsourcing of Housing Board work like Data	1. Chief Administrative Officer	1. Full Powers
	Entry, Security Services, etc. The empanelment shall not be for a period exceeding Two years	2. Dy.Housing Commissioners	2. Full Powers in their jurisdiction
18	To accord approval for engaging of Manpower through such empanelled outsourcing agency as per the sanctioned annual requirement by Head Office.	1. Chief Administrative Officer 2. Dy. Housing Commissioner(Circle)s	Full Powers in their jurisdiction
19	Sanctioning of expenditure on Postal /Courier services.	1. Chief Administrative Officer.	1. Full Powers
·		<ul><li>2. Dy.Housing</li><li>Commissioners</li><li>3. Executive</li></ul>	2. Full Powers in Circle Office.
		Engineers/ Estate Officers	3. Full Powers in their jurisdiction.
20	Hiring and Payment of charges of vehicles hired as per vehicle	1. Chief Administrative Officer.	1. Full Powers for Head Office
•	Policy.	<ul><li>2. Dy. Housing</li><li>Commissioner(Circle).</li><li>3. Executive Engineer /</li><li>Estate Officer.</li></ul>	2. Full Powers for Circle Office 3. Full Powers for his jurisdiction.
21	Payment of Fuel charges of Board and hired vehicles (where ever applicable ) within monthly limits	1. Branch Officer (MM)	1. Full Powers for Head Office
	of fuel consumption.	<ul><li>2. Dy. Housing</li><li>Commissioner(Circle).</li><li>3. Executive Engineer /</li><li>Estate Officer.</li></ul>	2. Full Powers for Circle Office 3. Full Powers for his jurisdiction.

T = =		CI · CAI · · · · ·	T-11 D
22	Payment of Fuel charges of Board	Chief Administrative	Full Powers
İ	and hired vehicles (where ever	Officer	
	applicable) for fuel consumption		
	not more than 20% above monthly		
	limits of fuel consumption.		
23	Payment of Demurrage /warfage	Dy.Housing	Full Powers
	charge	Commissioner	
24	Payment of Custom agent / Custom	Dy.Housing	Full Powers
	clearance charges	Commissioner	
25	To write off unserviceable dead	1. Procurement	1. Full Powers for
	stock, machinery, equipment,	Committee.	Head Office.
	vehicles, furniture etc. which is	2. Dy.Housing	2. For items of
	beyond repairs or surplus and to	Commissioner	book value upto
	prescribe its mode of disposal		Rs. Fifty Thousand
			within its
			jurisdiction.
26	Formation of Committee to fix	Chief Administrative	Full Powers
	offset price for unserviceable dead	Officer	
	stock, machinery, equipment,		
	vehicles, furniture etc. for its		
	disposal		
27	General expenses on Library and	1. Chief Administrative	1. Full Powers for
	other Books and subscription to	Officer.	Head Office
	Newspaper periodicals (within	2. Dy. Housing	
	Budget provisions)	Commissioner(Circle).	2. Full Powers for
	2	3. Executive Engineer /	Circle Office
		Estate Officer.	3. Full Powers for
	•		his jurisdiction.
28	Printing of Diaries, News letter,	Chief Administrative	Full Powers
	Calendars etc.	Officer.	
29	Printing of Office Stationary	1. Chief Administrative	1. Full Powers
	(except MRB)	Officer	
	(Shopt man)	2. Dy. Housing	2. Full Powers for
	·	Commissioner(Circle)	his jurisdiction
30	Printing of Money Receipt Book	Chief Accounts Officer	Full Power (Chief
"	(Form A & B) and Binding of	Cition 1 reaction Cition	Accounts Officer
	Ledger / Registers.		shall keep record
	Louger / Registers.		of distribution of
			MRB with serial
			numbers).
			Tumoers).

01	D' 1' CD - 1 - in 1 - line auting	1. Chief Administrative	1. Full Powers
31	Binding of Books including cutting	Officer	1. Tull Towels
	stitching and spiral binding of		
	Book, Booklets, Notes etc.	2. Dy. Housing	2. Full Powers for
		Commissioner(Circle)	Circle Office
	·	3. Executive Engineer/	·
	•	Estate Officer	3. Full Powers
			within his
			jurisdiction.
32	Purchase of Stationary,	1. Chief Administrative	1. Full Powers
	consumables /computer	Officer	
	consumables for office use	2. Dy. Housing	6 D 11 D
		Commissioner(Circle)	2. Full Powers for
		3. Executive Engineer/	Circle Office
		Estate Officer	3. Full Powers
		·	within his
			jurisdiction.
33	Incurring of Petty Office expenses	1. Chief Administrative	1. Full Powers
	and contingencies including misc.	Officer	
	item required for office		
	use/decorum	2. Chief Accounts	2. Full Powers up
		Officer	to Rs. Two
			Thousand at a
		3. Dy. Housing	time.
		Commissioner(Circle)	
	•		3. Full Powers
			upto Rupees Two
			Thousand at a time
			subject to a limit of
			Rs Fifteen
			Thousand in a
		4. Executive Engineer/	Financial Year for
		Estate Officer	Circle Office.
			4. Full Powers
			upto Rupees One
			thousand at a time
			subject to a limit of
			Rs Ten Thousand
			in a Financial
			Year. For offices
			within his
			jurisdiction.
			Jan 15 di Culti.

34	To sanction Hospitality expenses in	1. Chief Administrative	1. Full Powers for
.	connection with visits of Important	Officer	Head Office (for
	consumers, VIPs, Sr Government		Section Heads of
	Officers etc.		Head Office the
			Hospitality
			expenses shall be
			limited to Rs.Five
			Hundred per
			month).
	•	2. Dy. Housing	2. Full Powers for
		Commissioner(Circle)	Circle Office (upto
			Two thousand at
			time annual ceiling
			of Rs Ten
			Thousand .)
		3. Executive	3. Full Powers
-		Engineer/Estate Officer	(upto Rs Five
			Hundred at time
			annual ceiling of
			Rs Five Thousand
	•		.)within its
	·		jurisdiction.
35	Expenses on Board of Directors	Chief Administrative	Full Powers
	Meetings, Committee Meetings and	Officer	
,	sanction of expenses on Journey	·	·
	/Lodging /Boarding of Board of		,
	Directors whenever required.	C1: C \ 1 : ' \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	F 11 D
36	Expenses on Board Officials	Chief Administrative	Full Powers
27	Meetings.	Officer Chief Administrative	Full Powers
37	Expenses on Journey /Lodging	Chief Administrative	run Powers
	/Boarding of distinguished invitees /Sr Govt. Officials invited or	Officer	
	•		
	coming for official work related to the Board.		·
38	Incurring of expenditure on	Housing Commissioner	Full Powers
٥٥	Meetings and Conferences (not	Troughig Commissioner	I GII I O YY OAG
	covered above)		
39	Incurring of expenses towards	1. Chief Administrative	1. Full Powers
	decoration of office buildings,	Officer	
	other arrangements, tea/snacks etc	2. Dy.Housing	
	for Independence Day and	Commissioner	2. Full Powers for
	Tot mappingenee Day and		

	Republic Day/ any other official function.	3. Executive Engineer/Estate Officer.	Circle Office 3. Full Power within their jurisdiction
40	To fix monthly limit of consumption of fuel on vehicles allotted to officials of the Board.	Housing Commissioner	Full Powers
41	Formation and modification of vehicle Policy	Housing Commissioner	Full Powers
42	To award annual or casual contract for hiring of vehicles as per vehicle Policy	1. Chief Administrative Officer	1. Full Powers for Head Office
		2. Dy. Housing Commissioner(Circle)	2. Full Powers within their Jurisdiction.
43	To sanction payment of annual premium of Insurance/ Motor vehicle Tax of Board vehicles	<ol> <li>Chief Administrative</li> <li>Officer</li> <li>Dy. Housing</li> </ol>	1. Full Powers for Head Office
	venicle rax of Board venicles	Commissioner(Circle) 3. Executive Engineer/Estate Officer	<ul><li>2. Full Powers for Circle Office.</li><li>3. Full Powers within their jurisdiction</li></ul>
44	Procurement of New Vehicles	Board of Directors	Full Powers
45	Insurance of Office equipments, wherever applicable.	<ol> <li>Chief Administrative</li> <li>Officer</li> <li>Dy.Housing</li> <li>Commissioner</li> </ol>	1. Full Powers for Head Office. 2. Full Powers within their jurisdiction
46	To grant administrative approval and for Procurement of Office equipments including Computers & peripherals and Furniture.	1. Housing Commissioner 2. Chief Administrative Officer	1. Full Powers  2. Full Powers up to Rs Twenty Five lakhs

47	To grant Tender approval for Procurement of Office equipments including Computers & peripherals and Furniture.	<ol> <li>Procurement</li> <li>Committee.</li> <li>Chief Administrative</li> <li>Officer</li> </ol>	1. Full Powers 2. Full Powers upto Rs Twenty Five lakhs per case.
48	Approval of Communication Policy for land line telephones /Lease line /Fax lines/ internet/ mobile phone for Officers/ employees / Offices	Housing Commissioner	Full Powers
49	Sanction of land line telephones / Fax lines / Internet/ lease line/ mobile facility to any officer /staff / offices as per Communication Policy approved norms.	Chief Administrative Officer	Full Powers
50	Sanction of Monthly Telephone / Mobile / Internet/ Leased line /Fax bills as per communication Policy.	<ol> <li>Chief Administrative</li> <li>Officer</li> <li>Dy Housing</li> <li>Commissioner</li> </ol>	<ol> <li>Full Powers</li> <li>Full Powers for Circle Office</li> </ol>
		3. Executive Engineer/Estate Officer.	3. Full Power within their jurisdiction
51	Repairs and maintenance / purchase of spare parts, tyre tube, battery for departmental vehicles, within sanctioned limit.	<ol> <li>Chief Administrative</li> <li>Officer</li> <li>Dy.Housing</li> <li>Commissioner</li> </ol>	1. Full Powers  2. Full Powers within their jurisdiction
52	Sanction for payment of Membership/ Professional charges of Professional Bodies	Housing Commissioner	Full Powers
53	Administrative Approval for non recurring expenditure such as lying of foundation stone / inauguration ceremony chargeable to capital /revenue works where no specific power is prescribed in the Delegation of Powers.	1. Addl Housing Commissioner (concerning the scheme).  2. Dy. Housing Commissioner	<ol> <li>Full Powers upto Rs One lakhs per case</li> <li>Full Powers upto Rs Fifty</li> </ol>

		(circle)	Thousand per case.
54	Issuing of Advertisement in Newspapers for NIT or Offer for	Public Relation Officer	Full Powers
	sale of properties as per approved  Advertisement Policy	Officer	
55	Formation of Advertisement Policy	Housing Commissioner	Full Powers
56	Sanction of Payment of Advertisement Bills as per advertisement policy.	Public Relation Officer	Full Powers
57	Sanction of Grant to Social, Cultural and Sports societies and Institutions	Chairman	Full Powers up to Rs. Twenty Thousand per case per year and Rs. Two lakhs in a Financial Year.
58	Sanction of Advertisement on special occasion and payment of charges	Chairman	Full Powers upto Rs. Twenty Five Thousand per case per year subject to a limit of Rs. Two lakhs per financial Year.
59	Issuance of Project Advertisement through Bill Board / Hoardings / Unipole /Cable TV on request of Dy. Housing Commissioners as per Advertisement Policy.	Public Relation Officer	Full Powers
60	Sanction of Bill of Project Advertisement through Bill Board / Hoardings / Unipole /Cable TV	Dy.Housing Commissioner on certification by Public Relation Officer	Full Powers

## Section II - Legal Affairs

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Formation of Legal Affairs	Housing	Full Powers
	Policy	Commissioner	
2	Empanelment of Advocates	1. Housing	1. Full Powers for
	for cases in Supreme Court /	Commissioner	Supreme Court /
	National Forum /High Court /		National Forum
	State forum / Central		/High Court /
	Industrial Court /Tribunal	•	State forum /
	/District Court etc. as per		Central Industrial
	Legal Affairs Policy		Court /State
	•		Industrial Court /
			Tribunal
	·		0 70 11 70
		2. Dy. Housing	2. Full Powers
		Commissioner	For District and
			subordinate
		1 01 07	Courts/Forum.
3	Appointment of Officer In	1. Chief Legal	1. Full Powers for
	charge for a case	Advisor	Supreme Court /
	· ·		National Forum
			/High Court /
			State forum / Central Industrial
			Court /State
			Industrial Court /
			Tribunal
			Tilounai
		2. Dy. Housing	2. Full Powers
		Commissioner(Circle)	For District and
			subordinate
			Courts/Forum
4	Engagement of Advocate for a	1. Chief Legal	1. Full Powers for
	case from amongst	Advisor	Supreme Court /
	empanelled Lawyers		National Forum
	/Counsels.	20	/High Court /
	E		State forum /
			Central Industrial
			Court /State
			Industrial Court /

		2. Dy.Housing	Tribunal
		Commissioner	
	·*		2. Full Powers
Ì			For District and
			subordinate
			Courts/Forum.
5	Fixation of fees schedule for	Housing	Full Powers
	Advocates	Commissioner	
6	Payment of fees to Advocates	Concerning Drawing	Full Powers
	as per schedule	and Disbursement	
		Officer on	
		recommendation of	
		OIC of the Case	
7	Payment of Court Fees and	Concerning Drawing	Full Powers
	other expenses as per actual	and Disbursement	
		Officer on	
	,	recommendation of	
····		OIC of the Case	
8	Permission to Hire services of	Housing	Full Powers
	a Lawyer / Counsel not in	Commissioner	
	Panel		
9	Payment of Fees to Lawyer /	Housing '	Full Powers
	Counsel beyond the fees	Commissioner	
	prescribed in schedule		
10	Appointment of Tax	Housing	Full Powers
	/Financial Consultant for	Commissioner	
	taxation cases /Financial		
	matters and approval of their	,	
1 1	fees.		T 11 D
11	Payment of fees of Tax	Chief Accounts	Full Powers
	/Financial Consultant on	Officer	
10	recommendation of O.I.C	YT	Evil Dania
12	To sanction Implementation of	Housing	Full Powers
	orders or to file appeal /review	Commissioner	
	in service matters passed by		
	Court of Law/ Consumer		
	Forum / Legal Authorities /		
12	Tribunals / Magistrates etc.	1 11	1 Full Dance
13	To sanction Implementation of	1. Housing	1. Full Powers
-	orders/decree/award or to file	Commissioner	
	appeal /review in non-service		

programma and a second			
	matters passed by Court of Law/ Consumer Forum / Legal	2. Head of Section in Head Office.	2. Full Powers for matter pertaining
	Authorities / Tribunals /		to their sections
	Arbitration Panel /Magistrates		upto suit or
	etc.		property value (as
	(Any legal matter which		on date of the
	pertains to policy of the Board		order)upto Rs.
	or any legal order which is		Fifty lakhs.
	against the policy of board		
	which may result into chain	3. Dy.Housing	3. Full Powers for
	litigations shall be presented	Commissioner	matter pertaining
	to Housing Commissioner		to their
	irrespective of suit or property	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	jurisdiction upto
	value).		suit or property
			value (as on date
			of the order)upto
			Rs. Five lakhs.
14	Administrative sanction to	1. Chief Estate	1. Full Powers
	institute proceedings in a	Officer	
	Court of Law/ Consumer		
	Forum / Legal Authorities /	2. Dy. Housing	2. Full Powers up
	Tribunals / Magistrates etc.	Commissioner(Circle)	to suit or property
	(including suits or appeals of	,	value up to Rs.
	defense or implementation		Fifty lakhs
	thereof based on legal advice		
	in cases of Estate Wing).		
15	Sanction for lodging of	1. Section Head in	1. Full Powers for
	complaints and prosecution	Head Office.	matters pertaining
	for theft of Records or any		to section.
	other criminal offence against		
	the Board.	2. Head of Office.	2. Full Powers for
		·	matters pertaining
			to Office.
16	Administrative sanction to	1. Housing	1. Full Powers
	institute proceedings in a	Commissioner	
	Court of Law/ Consumer		
	Forum / Legal Authorities /	2. Section Head of	2. For suit value
	Tribunals / Magistrates etc.	Head Office	or property value
	after taking legal advice.		(as on date of the

			order) upto Rs. Five Crores.
		3. Dy.Housing Commissioner	3. For suit value or property value (as on date of the order)up to Rs.
			Fifty lakhs.
		4. Executive Engineer /Estate Officer.	4. For suit value or property value (as on date of the order) up to Rs. Ten lakhs.
17	Appointment of Arbitrator on behalf of the Board and to fix their remuneration.	Housing Commissioner	Full Powers
18	Payment of remuneration to Arbitrator	Drawing and Disbursing Officer on recommendation of OIC.	Full Powers.
19	Sanction of workman compensation under Workman Compensation Act for permanent disability of eligible Board employees in case of non-fatal/fatal accidents while on duty.	Chief Administrative Officer	Full Powers
20	Sanction of payment of incentive to Officer-In-Charge of court cases as per Government Policy.	Drawing and Disbursing Officer	Full Powers
21	Sanction of payment of expenses done in contempt of Court cases as per Government Policy	Drawing and Disbursing Officer	Full Powers

## Section III - Estate and Land Management.

#### Subsection - A- Land Management

Sr.	Nature of Power	Authority	Limits
No			
1	To identify the Government land	Executive	Full Powers
	for Projects	Engineer	ANNOTES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
2	To identify the private land for	Dy.Housing	Full Powers
	projects to be acquired under the	Commissioner	•
	Land Acquisition, Rehabilitation	(circle)	,
	and Resettlement Act 2013		
3	To identify land and a planning	Dy.Housing	Full Powers
	area (Land Pooling) under section	Commissioner	
	34 of the MPHIDB Act for a	,	
	project.		
4	Sanction to apply for identified	Dy.Housing	Full Powers
	Government Land for allotment to	Commissioner	
	Collector for a Project.		
5	Application to Collector for	Executive	Full Powers
	allotment of identified	Engineer	
	Government Land for a Project		
	after obtaining the approval from		
	Dy. Housing Commissioner(circle)		
	•		
6	Sanction of land premium and	Dy.Housing	Full Powers
	associated charges and levies to	Commissioner	·
	Collector based on the demand		
	issued by the Collector for the		·
	applied Government land.		
7	Payment of land premium and	Executive	Full Powers
,	associated charges and levies to	Engineer	
	Collector based on the demand		
	issued by the Collector for the		
	applied Government land.		The state of the s
8	To take possession of	Assistant Engineer	Full Powers
•	Government land allotted by		
	Collector.		
9	Permission to conduct or get done	Dy.Housing	Full Powers
	feasibility study /demand	Commissioner	

		assessment / economic viability survey for Project proposed on Private land to be acquired or by		
-		land pooling (under section 34).		
	10	To consider and recommend on undertaking the project on the basis of feasibility study /demand assessment / economic viability	Project Committee of Head Office.	Full Powers
		survey for Project proposed on Private land to be acquired or by land pooling.	,	• .
	11	To sanction acquisition of land or pooling of land to undertake the project on the basis of recommendation of Project	Board of Directors	Full Powers
		Committee of Head Office		
	12	To issue orders for land acquisition or land pooling after approval of Board for a project	Land Acquisition Officer	Full Powers
	13	To apply to Collector for land acquisition proceedings based on the order of Land Acquisition Officer.	Executive Engineer	Full Powers
	14	Sanction of Award amount to Collector as per the Land acquisition award issued by the competent authority	Dy.Housing Commissioner	Full Powers
	15	Payment of Award amount to Collector as per the Land acquisition award issued by the competent authority	Executive Engineer	Full Powers
2	16	To take possession of Private land acquired under Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013	Assistant Engineer	Full Powers
	17	To sanction and pay regular lease rent, diversion rent, diversion premium, land revenue, Nazul rent, property tax or any other statutory levies imposed by State Government/Local bodies after	Executive Engineer	Full Powers

			The state of the s
	assessing the correctness and reasonability of such demand.	•	
18	To formulate norms for protection of land acquired or allotted.	Land Acquisition Officer	Full Powers
19	To sanction expenditure on watch	Dy.Housing	Full Powers
	and ward services for protection of land to be engaged through outsourcing as per the norms.	Commissioner	
20	To grant Administrative sanction for construction of boundary wall /	1 Land Acquisition Officer.	1.Full Powers
	fencing for protection of land.		2. Full Powers
		2. Dy.Housing	for land area
		Commissioner	measuring upto 4 hect.
21	To grant Technical sanction and	Dy.Housing	Full Powers
	approval of NIT for construction	Commissioner	
	of boundary wall / fencing for		
	protection of land.		•
22	To grant tender approval for	Dy.Housing	Full Powers
	construction of boundary wall /	Commissioner	·
	fencing for protection of land.		
23	To prepare Land development	Chief Architect	Full Powers
	scheme under section 34 of	in consultation	
	MPHIDB Act as per approval of	with Dy.Housing	
	Project Committee	Commissioner	
24	Approval of Land development	District level	Full Powers
	scheme and submission to Board	Housing and	
		Infrastructure	
		Development Committee.	
25	Approval of Land development	Board of Directors	Full Powers
Aud J	scheme and submission to State		
	Government.		
26	Approval of Land development	State Government	Full Powers
	scheme under section 34 of		
	MPHIDB Act.		

07	D 11'	Dellaring	Full Powers
27	Publication of approved Land	Dy.Housing	Full Powers
	Development scheme in gazette of	Commissioner	
	MP and local Newspapers for		,
	invitation of objections or		
~	suggestions		
2.8	Decision on objection or	District level	Full Powers
	suggestion received	Housing and	
		Infrastructure	
		Development	·
		Committee.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
29	Power to hear and decide appeal	Board of Directors	Full Powers
	against decisions of District level		
	Housing and Infrastructure		
	Developing Committee on		
	objections and suggestions		
30	Approval and grant of permission	Board of Directors	Full Powers
	for publication of final land		
	development scheme.		
31	Execution of agreement with	Executive	Full Powers
	owners of private land in such	Engineer	
	form and on such terms and		
	conditions prescribed by the state		
	government.		
32	Decision on allotment of	Committee	Full Powers
	developed plots to private land	comprising of	
,	owners in case of land pooling	Chief Estate	
	scheme under section 34.	Officer,	
	•	Dy.Housing	
		Commissioner	
		(Circle),	
		Executive	
		Engineer	

#### <u>Subsection - B - Estate Management</u>

#### Part -1 - Self Financing Scheme

SNo	Nature of Power	Authority	Limits
1	Initial and final cost fixation of	Dy.Housing	Full Powers
	Project for sale as per rules	Commissioner	
2.	Invitation of Registration for	Estate Officer	Full Powers
	Residential properties		
3	Selection of applicant by lottery	Estate Officer	Full Powers
	as per the procedure.		
4	Issuing the Registration	Estate Manager	Full Powers
	confirmation letter after lottery.		
5	Execution of tripartite agreement	Estate Manager	Full Powers
	for purpose of loan to the		
	applicant.		
6	Refund of Registration amount to	Estate Officer	Full Powers
	unsuccessful applicant.		
7	Preparation/ fixation of Payment	Estate Officer	Full Powers
	schedule as per rules.		
8	Approval of revision of payment	Dy.Housing	Full Powers
	schedule as per rules.	Commissioner	
9	Issuance of Notices to selected	Estate Manager	Full Powers
	applicants to deposit money		
10	Refund after necessary	Estate Officer	Full Powers
	deductions to applicants who	,	,
	decide to withdraw from the		
	scheme		II. 11 D
11	Allocation of property number to	Estate Officer	Full Powers
	selected applicants through	,	
	lottery and its intimation to the		
10	applicant.	D-II	E-11 Dozzona
12	Cancellation of allotment due to	Dy.Housing	Full Powers
	default in payment of installment	Commissioner	
	as per schedule. after following	· ·	
1.2	due process as per rules.	Estate Officer	Full Powers
13	Refund of Money deposited after	Estate Officer	run i oweis
	cancellation of allotment by		
	Dy. Housing Commissioner, after		
	necessary deductions	1	

1 1 1	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TR. ( OCC	T) 11 T)
14	Cost fixation of Individual	Estate Officer	Full Powers
	property at time of final allotment		
1.5	of new property.	D. II.	T11 Darring
15	Cost fixation of individual unsold	Dy.Housing	Full Powers
	property before advertisement.	Commissioner	
16	Table of Carl Allaham Alakania	(circle)	Full Powers
16	Issuing of final Allotment letter in	Estate Officer	Full Powers
	prescribed format to registered		
	applicant with property number as per final cost fixation of the		
	individual property		
17	Change / Mutual exchange of	Estate Officer	Full Powers
' '	Property Number on request of	Listate Officer	1 un 1 o weis
	allottees		
18	Execution of lease deed / sale	Estate Officer	Full Powers
	deed of the property		
19	Issue of possession letter to	Estate Manager	Full Powers
	allottee.		
20	Handing over of physical	Assistant Engineer	Full Powers
	possession of the property to	<u> </u>	· '
	applicant.		
21	Transfer of property by sale or	Estate Officer	Full Powers
	succession in Housing Board		
	records		
22	Issue of No Dues Certificate / No	Estate Manager	Full Powers
	Objection Certificate to the		
	property owner.	. ,	
23	Addition / Deletion of Co-owner	Estate Officer	Full Powers
	(Joint name) as per rules.		T 11 T
24	To hear and decide First appeal	Dy.Housing	Full Powers
	against the decision of Estate	Commissioner	
25	Officer / Estate Manager	Chief Estate	Eull Doivies
25	To hear and decide second appeal against the decision of	Officer	Full Powers
	Dy. Housing Commissioner.	Officer	
26	To hear and decide revision on	Chief Estate	Full Powers
	application or suo-motto against	Officer	
	the order passed by Dy. Housing		
	Commissioner / Estate Officer		

	/Estate Manager	A 400000	
27	In case of cancellation/	Estate Officer	Full Powers
	Withdrawal / curtailment of		
	approved project due to Land		
	dispute/delay in execution / No		
	demand/litigation /other force		
	majeure conditions etc. By		
	competent authority, permission		
	to allot incomplete houses (on as		
	is where is basis) based on cost		
	fixation by competent authority.		
28	Refund of registration amount/	Executive	Full Powers
	installments with applicable	Engineer/Estate	
	interest in case of cancellation/	Officer	
	withdrawal / curtailment of		
	approved project.		

#### <u>Part -2 - Hire Purchase Scheme</u>

sno	Nature of Power	Authority	Limits
1	Execution of lease deed and Sale deed for properties allotted on hire purchase basis.	Estate Officer	Full Powers
2	To initiate eviction proceeding against defaulter allottees in the court of Competent Authority.	Estate Officer	Full Powers
3	To take re-possession of the property from the defaulter allottee after orders of the competent authority	Assistant Engineer	Full Powers
4	Transfer of property under Hire Purchase scheme as per rules.	Estate Officer	Full Powers
5	Transfer of Property in Hire Purchase Scheme to present occupant if installments are due, as per prevailing rules.	Estate Officer with the approval of Dy.Housing Commissioner (Circle)	Full Powers
6	Conversion of rental to Hire/Outright purchase (Only for MPHIDB regular Staff as per rule).	Personnel Management Committee (HO)	Full Powers
7	Revision of rent of commercial /Residential property as per the policy/rules of the Board.	Estate Officer	Full Powers
8	Disposal of Rental properties through a due process as per rule.	Dy.Housing Commissioner	Full Powers

#### Part -3 - Sale of Property by Offer

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Fixation of upset price	Dy.Housing	Full Powers
		Commissioner	
2	Advertisement for call of Offers	Estate Officer	Full Powers
	for sale of property		
3	Receipt and opening of offers	Estate Officer	Full Powers
4	Sanction / Acceptance of offers	1. Board of	1. Full Powers
	equal to or above upset price for	Directors	
	all kind of properties.		
	* *	2. Chairman	2. For properties
			having upset value
!			upto Rs. Twenty
		, .	Five Crore.
		3. Housing	3. For properties
		Commissioner	having upset value
			upto Rs.Ten Crore.
	·	4. Chief Estate	4. For properties
		Officer	having upset value
			upto Rs.Five Crore
		5. Dy.Housing	5. For properties
		Commissioner	having upset value
			upto Rs.Two
			Crore.
		6. Estate Officer	6. For properties
			having upset value
•			upto Rs.Twenty
			five lakhs.
5	Rationalization of upset value of	Chief Estate	Full Powers
	unsold property as per rule	Officer	
6	Issue of Allotment letter in	Estate Officer	Full Powers
	prescribed format.		
7	Refund of Earnest Money	Estate Officer	Full Powers
	Deposit to unsuccessful bidder.		
8	Extension of time limit for	1. Dy.Housing	1. Full Powers up
	deposition of balance amount	Commissioner	to One Hundred
	with interest. (No extension shall		twenty days after

and the second of the second s	be granted after One hundred		date of issue of
	twenty days after issue of		allotment letter.
	allotment letter and allotment		
	will be cancelled and deposit	2. Estate Officer	2. Full Powers up
	will be refunded as per rules).	·	to ninety days after
	This time limit will not be		date of issue of
	applicable for Govt.		allotment letter.
	department/PSUs /Scheduled	,	
	Banks		
9	Allotment of property	Housing	Full Powers
	(Plot/Building) to Govt.	Commissioner	
	department/PSUs /Scheduled		
	Banks on application, as per		
	rules	The contract of the contract o	Г. 11 Р
10	Execution of Sale Deed/Lease	Estate Officer	Full Powers
	deed	Todata Managara	Full Powers
11	Issuance of Possession letter of	Estate Manager	ruii roweis
12	Property Physical possession of property	Assistant Engineer	Full Powers
12	to allotee	Assistant Engineer	Tun Towers
13	Imposition and recovery of	Estate Officer	Full Powers
13	penalty / charges as per	Listate Officer	T CHI T C TT CLIS
	prevailing rule in case allottee		
	does not take possession within		
	prescribed time limit.	ľ	
14	Cancellation of allotment on	Dy.Housing	Full Powers
- '	account of failure to deposit	Commissioner	
	balance amount even after		
	extension of time limit after		
	following due process.		
15	Issuing of Advertisement for	Dy.Housing	Full Powers
	Information to Prospective /	Commissioner	
	Existing Consumers of Board.		

#### Part -4 - Allotment of Adjacent Land.

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1.	Allotment of extra adjacent land	1. Chairman.	1. Full Powers
1.	(Residential only) to the	1. Chamman.	1. I dil I OWAID
	adjacent property owners as per	2. Housing	2. Full Powers for
	the prevailing rule after	Commissioner	land admeasuring
		Commissioner	up to Two
	following due process for		Thousand sq.ft.
	Bhopal, Indore, Gwalior,	3. Chief Estate	3. Full Powers for
	Jabalpur and Ujjain. (excluding	Officer	land admeasuring
	flats)	Officer	1
			up to One
		4 75 17	Thousand sq.ft.
		4. Dy.Housing	4. Full Powers for
		Commissioner	land admeasuring
			up to Five
			Hundred sq.ft.
			4 T 11 T
2	Allotment of extra adjacent land	1. Chairman.	1. Full Powers.
	(Residential only) to the		
	adjacent property owners as per	2. Housing	2. Full Powers for
	the prevailing rule after	Commissioner	land admeasuring
	following due process for	,	up to Three
	districts other than Bhopal,		Thousand sq.ft.
	Indore, Gwalior, Jabalpur and		
	Ujjain.(Excluding Flats)	3. Chief Estate	3. Full Powers for
		Officer	land admeasuring
			up to Two
			Thousand sq.ft.
	:		
		4. Dy.Housing	4.Full Powers for
		Commissioner	land admeasuring
		5. Estate Officer	up to One
		,	Thousand sq.ft
			5. Full Powers for
			land admeasuring
			up to Five
			Hundred sq.ft

3	Issue of Allotment letter in	Estate Officer	Full Powers
	prescribed format.		
4	Execution of Sale Deed/Lease	Estate Officer	Full Powers
	deed of additional land		TO ACCUSE AND ACCUSE A
5	Issue of Possession letter for	Estate Manager	Full Powers
	additional land.		
6	Physical possession of property	Assistant Engineer	Full Powers
	to allotee		

#### Part -5 - Miscellaneous (Estate Management.)

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	To initiate eviction proceedings	Executive	Full Powers
	in the court of Competent	Engineer/ Estate	
	Authority due to encroachment.	Officer /	
2	To report encroachment on	Assistant Engineer	Full Powers
	board property.		
3	To initiate eviction proceeding	Estate Officer	Full Powers
	against defaulter allotties in the		
•	court of Competent Authority		
	due to nonpayment of dues of		
	the Board.		
4	To take re-possession of the	Assistant Engineer	Full Powers
	property after orders of the		
····	competent authority		
5 .	Upkeep and Maintenance of	Estate Manager	Full Powers
	Ledger of Allotties (Posting of		
	all receipts / calculation of dues	,	
	and penalties)		7 11 7
6	Issue of notices to allotties for	Estate Manager	Full Powers
	deposition of Lease rent, Water		
	charges, MLC, CSC,		
	Installments and other dues.		D 11 D
7	Recovery of Government Loans/	Chief Accounts	Full Power
•	from beneficiaries (house loan	Officer	
	sanctioned prior upto 1972)		
8	Final execution of deed of	Chief Estate	Full Powers after
	re-conveyance in favour of	Officer	receiving NOC
	loanees.	- CARLOWA	from account
	Tourious.		section.

#### Section - 4- Finance and Accounts

#### Subsection -A- Budget

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Approval of Annual Budget of the Board	Board of Directors	Full Powers
2.	a) Compilation and finalization of Annual Budget.	1. Chief Accounts Officer	1. Full Powers with the consultation of Section Heads and Final
	b) Preparation of Annual Budget		approval of Housing Commissioner
		2. Accounts Officer (budget)	2. For Head Office
		3. Accounts Officer (Circle)	3. For Circle.
3.	Appropriation of Budget Heads	1. Housing Commissioner.	1.Full Powers for Major Heads and inter schemes.
		2. Chief Accounts Officer.	2. Full Powers for Minor Heads of same scheme.
4	Annual closing of Budget.	Chief Accounts Officer	Full Powers
5	Budget provision for new scheme / Projects /works	Chief Accounts Officer	Full Powers with the approval of Housing Commissioner
6	Allotment of Project /Scheme/ works Code	Accounts Officer (Budget)	Full Powers
7	Annual Budgeting for Deposit Work	Chief Accounts Officer	Full Powers
8	Annual Budgeting for the accrued interest	1.Chief Accounts Officer	1 Full Powers for annual
		2. Accounts Officer (Budget)	2. Full Powers for quarterly budgeting
9	Annual Budgeting for the loan & repayment	1.Chief Accounts Officer 2. Accounts Officer (Cash)	1 Full Powers for annual 2. Full Powers for quarterly budgeting

#### Subsection -B- Fund Management

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Disbursal of fund for Works of	Chief Accounts	Full Powers
	MPHIDB	Officer	subject to AA/TS
			and budget ceiling.
2	Disbursal of fund for Deposit	Chief Accounts	Full Powers up to
	Works	Officer	the Budget ceiling
		1	for assigned work.
3	Disbursal of Fund from Central	Chief Accounts	Full Powers
	account for administrative and	Officer	
	others expenditure.		
4	Diversion of Fund for deposit	Housing	Full Powers with
	work of same Department	Commissioner	the consent of
	between different scheme	,	concerned
	/work/project	C1: C A	Department
5	Disbursal of the funds for	Chief Accounts	Expense on Maintenance
	maintenance of Board Colony	Officer	should be within
	before transfer to Local Bodies.		the limit of
			Maintenance
			charge of Land
			(MLC)
6	Permission for disbursal of the	Housing	Full Powers
U	funds for maintenance of Board	Commissioner	T GIT T O WOLD
	Colony before transfer to Local		
	Bodies beyond the provision in		
	cost fixation		,
7	Disbursal of the funds for	Chief Accounts	Full Powers
,	payment to local bodies towards	Officer.	
	transfer of Colony according to		
	the order of the competent		
•	authority.		
			,
8	Cheque issue /signing authority	1. Chief Accounts	1. Full Powers in
		Officer	joint signature
			with Accounts
	·		Officer

			(cash/Pension
		2. Accounts	/GPF) 2. Full Powers
		Officer	upto Rs. Five lakhs
		(cash/Pension	in Head Office.
		/GPF)	m mod Omo.
		3. Accounts	3. Full Powers
		Officers (Circle)	upto Rs. One lakhs
			in case of circle
			offices.
		4. Dy.Housing	4. Full Powers in
		Commissioner	joint signature
			with Accounts
			Officer in case of
			circle office.
		5. Executive	5. Full Powers in
		Engineer/Estate	joint signature
		Officer	with Accountant in
	·		case of Division office/Estate
			Office.
			Office.
9	Investment of surplus fund in	Chief Accounts	Full Powers
	schedule Banks as prescribed by	Officer	
diameter and the second	Commissioner institutional		
.	Finance, by calling competitive		
	offers from Banks.		T 11 Th
10	Investment of surplus fund in	Board of Directors	Full Powers
	other Government securities if it		
11	is beneficial on returns.  To fix limit of imprest for office	Housing	Full Powers
11	contingencies for Head Office	Commissioner	I dil I Owols
	and Other offices	Commissioner	
12	Initial sanction and permission	Chief	Full Powers for
-	for recoupment of imprest for	Administrative	Head Office
	Office Contingencies for the	Officer	
	financial year as per the limit	2. Dy.Housing	2. Full Powers for
	prescribed by Housing	Commissioner	Circle Office.
	Commissioner.	3. Executive	3. Full Powers for
		Engineer/Estate	Division/Estate

		Officer	Office and subdivision Offices under their jurisdiction.
13	Return of fund received for execution of deposit works in case of non execution of work as ordered by competent authority	Chief Accounts Officer	Full Powers
14	Approval of Agreement / Memorandum of Understanding with Banks/Financial Institutions /HUDCO for Fund Management, Project financing, financing for Beneficiaries etc.	Housing Commissioner	Full Powers

#### <u>Subsection - C - Resource Mobilisation</u>

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Sanction to take Loans for projects	Board of Directors	Full Powers
2	Sanction to take short term / medium term loan for cash management against Deposits	Housing Commissioner	Full Powers
3	Signing of Agreement for sanctioned Loan.	Chief Accounts Officer	Full Powers with joint signature of Addl. Housing Commissioner of the scheme.
4	Pre payment for closure of sanctioned loan.	Housing Commissioner	Full Powers
5	Sanctioning of loan processing charges and other incidental charges.	Chief Accounts Officer	Full Powers
6	Decision to apply for Rescheduling/ restructuring of loan.	Board of Directors	Full Powers

# <u>Sub-Section - D- Cashbook / Main Ledger / Subsidiary Ledger / MRB and Bank reconciliation / Balance Sheet</u>

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Preparation / up keeping / Checking of Cash Book / all Accounts Ledgers /Registers for Head Office	1. Chief Accounts Officer for centralized account	1. Full Powers
		2. Accounts Officer (cash) for HO zone, NVS and world bank works. 3. Accounts Officer (GPF) for GPF Account 4. Accounts Officer (Pension) for Pension account & others	<ul><li>2. Full Powers</li><li>3. Full Powers</li><li>4. Full Powers</li></ul>
		account & others	
2	Preparation / up keeping / Checking of Cash Book / all Accounts Ledgers /Registers for Circle Office	Accounts Officer of Circle	Full Powers
3.	Preparation / up keeping / Checking of Cash Book / all Accounts Ledgers /Registers for Division Office	Executive Engineer	Full Powers
4	Preparation / up keeping / Checking of Cash Book / all Accounts Ledgers /Registers for Estate Office under division offices	Estate Officer	Full Powers
5	Preparation / up keeping / Checking of Cash Book / all Accounts Ledgers /Registers for Estate Office (Zonal)	Estate Officer	Full Powers

6	Preparation and checking of	1. Accounts	Full Powers
	Bank reconciliation work( form	Officer DDO	
	51)	concerned and	
		Divisional	
		Accountant /	
		Accountant	
		/Cashier	
7	Preparation of Final Accounts	1. Chief Accounts	1. Full Powers for
		Officer	consolidated
			accounts of
			MPHIDB
	·	2. Accounts	2. Full Powers for
		Officer of Circle	Circle
8	Compilation of Monthly /	Accounts Officer	Full Powers
	Annual Accounts of Head Office	(compilation)	
9	Compilation of Monthly	Accounts Officer	Full Powers
	Accounts of Circle	of circle.	

#### Section - 5 - Audit

#### Subsection -A- Statutory Audits

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Compliance of Audit reports and	1. Chief Audit	1. Full Powers for
	conveyance of settled audit	Officer.	Head Office.
	paras of AG MP.		
		2. Dy.Housing	2. Full Power for
		Commissioner	their jurisdiction.
2.	Compliance of factual	Chief Audit	Full Powers
	statements / draft paras/ AG's	Officer	
-	Audit Report / Committee of		
	Public Undertaking 's report/		
3	Compliance of reports and	1. Chief Account	1. Full Powers for
	conveyance of settled	Officer.	Head Office.
	observations of CA		
		2. Dy.Housing	2. Full Power for
		Commissioner	their jurisdiction.
4	Sanction and payment of	Chief Accounts	Full Powers
	AGMP's Audit Fees and	Officer	
	contingencies expenses.		
5	To constitute High Power	Housing	Full Powers
	Committee.	Commissioner	
6	To Organise High Power	Chief Accounts	Full Powers
	Committee of AGMP.	Officer/Chief	
		Audit Officer	

#### Subsection - B- Internal Audit

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Sanction of Annual Audit	Housing	Full Powers
	programme	Commissioner	
2	Sanction of special audit based	Housing	Full Powers
	on the requirement	Commissioner	
3	Formation of Audit team	Chief Audit	Full Powers
		Officer	
4	Finalisation of Audit reports and	Chief Audit	Full Powers with
	and conveyance of settled audit	Officer	the consultation of
	paras of previous period.		Chief Accounts
			Officer
5	Sanction of Filing of First	Housing	Full Powers
	Information Report with District	Commissioner	
	Police or any other authority as		
	reported by Chief Audit Officer/		•
	Chief Accounts Officer in case		
	of theft, embezzlement,		
	misappropriation, defalcation or		
	financial loss.		- T) 11 D
6	Settlement of Audit paras with	1. Chief Audit	1. Full Powers in
	or without directions.	Officer.	cases of full
	·		compliance of
	·		paras with zero financial loss.
		2. Finance	2. Full Powers for
		Committee of	financial loss up to
		Head Office.	Rs Fifty Thousand
		Head Office.	in each case.
	·	3. Audit committee	3. Full Powers
		of Board	3.1 411 1 0 77 013
7	1. Issue of reminders and	1. Audit Officer	1. Full Powers
	compliance within time limit		
	from Field Officers.		
	2. Compliance of Audit paras	2. Chief Audit	2. Full Powers
	after prescribed time limit.	Officer	,
8	Proposal for disciplinary action	Chief Audit	Full Powers
	in case of major audit findings to	Officer	
	Housing Commissioner.		

## Section -6- Project Management and Technical Affairs.

#### Sub Section- A - Administrative Approval

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Approval of Annual Housing & Infrastructure Development Plan according to Section 35 of	Board of Directors	Full Powers
2	the Act.  To accord Administrative  Approval for survey and	1. Addl. Housing Commissioner.	1. Full Powers
	investigation for Projects approved in the Annual Plan.	2. Dy.Housing Commissioner (Circle)	2. Full Powers up to Rs. One lakh.
3	To accord Administrative Approval for feasibility study	1. Addl. Housing Commissioner.	1. Full Powers up
	for Selected Projects approved in the Annual Plan.	2. Dy.Housing Commissioner (Circle)	2. Full Powers up to Rs. Two lakhs.
4	To accord Administrative Approval based on Detailed Project Report (DPR) to Projects approved in the Annual Plan.	Housing Commissioner	Full Powers
5	To accord Administrative Approval based on Detailed project Report (DPR) to Projects not included in Annual Plan.	Board of Directors	Full Powers
6	To accord approval for submission of proposal to Competent Authority for Administrative Approval under Government Schemes.	Housing Commissioner	Full Powers
7	To accord Administrative Approval for Modifications/ addition / alteration / Renovation in existing Office / Residential buildings of the	<ol> <li>Housing         Commissioner     </li> <li>Chief         Administrative     </li> </ol>	1. Full Powers  2. Full Powers up to Rs. Ten lakhs per annum for
	Board.	Officer	Head Office.

		3. Dy.Housing Commissioner (Circle)	3. Full Powers up to Rs. Two lakhs per annum.
8	To accord Administrative Approval for procurement of Tools, plants and machinery for technical work and quality control.	1. Housing Commissioner 2. Addl. Housing Commissioner	1. Full Powers  2.Full Powers up to Rs. Ten lakhs per annum.
9	To accord Administrative Approval to special repairs for project buildings (other than deposit works).	Addl. Housing Commissioner	Full Powers subject to budget provision.
10	To accord Administrative Approval to special repairs for defect rectification in deposit works executed by Board.	Addl. Housing Commissioner	Full Powers subject to recovery proposal from responsible Contractors / officers.
11	Revised Administrative Approval for Projects other than projects in the Government Scheme and deposit works.	<ol> <li>Board of Directors</li> <li>Chairman</li> </ol>	1. Full Powers  2. Full Powers up to Rs Fifty Crore (revised cost).
12	Authority to accept Deposit works from Central/State Government departments and their undertakings.	1. Housing Commissioner  2. Addl. Housing Commissioner  3. Dy.Housing Commissioner	<ol> <li>Full Powers</li> <li>Full Powers up to work costing Rs Fifty Crore.</li> <li>Full Powers up</li> </ol>
		(circle)	to work costing Rs. Ten Crore.
		4. Executive Engineer.	4. Full Powers up to work costing Rs. One Crore.

13	Forwarding of proposals for	Housing	Full Powers
	revised Administrative	Commissioner	
	Approval to competent		
	authority of the government for		
	the projects under government	,	
	scheme.		
14	Forwarding of proposals for	Addl. Housing	Full Powers
	revised Administrative	Commissioner	
	Approval to competent		
	authority of depositor	,	
	department		
15	To accord approval of survey,	1. Housing	1.Full Powers
	investigation and preparation	Commissioner	
	of preliminary scheme for		
	Government scheme and	2. Addl. Housing	2 Full Powers up
	deposit works and necessary	Commissioner.	to Rs. Two lakhs.
	financial sanction		per project.
		3. Dy.Housing	3. Full Powers up
	·	Commissioner	to Rs. Fifty
		Commissioner	thousand only
	,		
16	Authority to accept Deposit	Housing	Full Powers
	works from private	Commissioner	
	organizations.		
17	Adopting Schedule of Rates	Housing	Full Powers
	(SOR) issued from time to	Commissioner on	
	time by works/ Other	recommendation of	
	departments of Government of	Technical	
	Madhya Pradesh/Government	Committee.	
	of India.		Y 11 Y
18	Adopting Tender Documents	Housing	Full Powers
	issued from time to time by	Commissioner on	
	works departments of	recommendation of	
	Government of Madhya	Technical	
	Pradesh.	Committee	LT-II D
19	Approval or adopting Model	Housing	Full Powers
	tender documents for Turnkey/	Commissioner on	
	Engineering Procurement	recommendation of	
	Construction projects/ PPP	Technical	
	Projects.	Committee	

20	Cancellation/ Withdrawal / curtailment of approved project due to Land dispute / delay in execution / No demand / litigation /other force majeure conditions etc.	Chairman	Full Powers
21	Maintenance of Services in Colonies/ Commercial complexes of the Board	Dy.Housing Commissioner (circle)	Full Powers subject to availability of maintenance fund.

#### Sub Section-B- Technical Sanction

S.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Powers to accord technical	1. Addl. Housing	1. Full Powers.
	sanction to estimates of the	Commissioner	
	projects administratively	2. Dy.Housing	2. Full Powers up
	approved.	Commissioner	to Rs Five Crore
		3. Executive Engineer	3. Full Powers up
×			to Fifty lakhs
2	Powers to revise Technical	1. Addl. Housing	1. Full Powers
	Sanction.	Commissioner	
		2. Dy.Housing	2. Full Powers for
		Commissioner(Circle)	the works
•			Technically
			Sanctioned up to
		. *	Rs Fifty lakhs.
3	Powers to split sanctioned	Addl. Housing	Full Powers
	estimate for purpose of	Commissioner	
	inviting tenders		
4	Approval to structural designs	1. Addl. Housing	1. Full Powers for
	(In house or by Consultant) for	Commissioner	works technically
	civil works of buildings and		sanctioned by
	development work.		them.
		2. Dy.Housing	2. Full Powers for
	•	Commissioner.	works technically
		(Circle)	sanctioned by
			them and their
			Executive
			Engineer.
			Engineer.

		1	Access on the Company of the Company
5	To accord Technical Sanction for maintenance of colonies / complexes	Dy.Housing Commissioner(circle)	Full Powers subject to availability of fund
6	To accord Approval for Modification / Change of specifications in ongoing Projects on request of Depositor / Allottees / as per Technical requirement	Dy.Housing Commissioner	Full Powers subject to the condition that there is no variation in project cost.
7	To accord Approval for Modification / Change of specifications in ongoing Projects on request of Depositor / Allottees / as per Technical requirement, when there is increase in project cost	Addl. Housing Commissioner.	Full Powers
8	To accord Technical Sanction approval for supplementary estimates of main project.	1. Addl. Housing Commissioner	1. Full Powers to approve supplementary estimates for projects Technically Sanctioned by him.
		2. Dy.Housing Commissioner (Circle)	2. Full Powers to approve supplementary estimates for projects Technically Sanctioned by him.
		3. Executive Engineer	3. Full Powers to approve supplementary estimates for projects Technically Sanctioned by him.

## Sub Section- C-Approval of NIT

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1.	Approval of Tender documents	1. Addl. Housing	1. Full Powers.
	(NIT) without deviation from	Commissioner.	,
	standard Bid documents as	2. Dy.Housing	2. Full Powers up
	specified in Works Department	Commissioner	to Rs Three Crore.
	Manual, Government of	(Circle).	
-	Madhya Pradesh.	3. Executive	3. Full Powers up
		Engineer.	to Twenty lakhs
	·		on SOR items
			only.
2.	Approval of Tender documents	1. Addl. Housing	1. Full Powers.
	(NIT) for works where special	Commissioner	
	conditions have to be specified		
	incorporated in standard Bid	2. Dy.Housing	2. Full Powers up
	document of MP PWD.	Commissioner	to Rupees Three
		(Circle)	Crore in case of
			percentage rate
			tender.
3	Approval of tender documents	1. Addl. Housing	1. Full Powers.
	(NIT) for Turnkey/ lump sum	Commissioner	
	projects.	2. Dy.Housing	2. Full Powers up
		Commissioner	to Rs. Three Crore
		(circle)	
	•		
4	Approval of tender documents	Addl.Housing	Full Powers
	(NIT) for Engineering	Commissioner	
	Procurement Construction		
	projects		

#### Sub Section- D-Tender Invitation (Release and Opening)

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Invitation of Tenders and	Executive	Full Powers
	opening for all type of projects.	Engineer	
2	Approval of Post Qualification	Dy.Housing	Full Powers
	of Construction agencies for	Commissioner	on the
	works wherever applicable.	(circle)	recommendation
		·	of Executive
			Engineer
3	Invitation of Quotations and its	1. Dy.Housing	1. Full Powers up
	opening for miscellaneous	Commissioner	to Rs. Twenty five
	works/maintenance related to	(circle)	Thousand for each
	project to be carried out on short		work.
	notice.	2. Executive	2. Full Powers up
	***	Engineer.	to Rs. Ten
			Thousand for each
			work.
		3. Assistant	3. Full Powers up
		Engineer	to Five thousand
,			only.
4	Petty expenses as defined in	1. Dy.Housing	1. Full Powers up
	Works Manual of the State	Commissioner	to Rs Five
	Government for Miscellaneous	2. Executive	Thousand
	works / maintenance works.	Engineer	2. Full Powers up
		3. Assistant	to Two Thousand
		Engineer	3. Full Powers One
;		4. Sub Engineer	Thousand
		·	4. Full Powers up
		,	to Rs Five
		tanama.	Hundred.

#### Sub Section-E-Award of Contract.

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1.	To approve Tenders on	1. Board of	1. Full Powers
	Engineering Procurement	Directors	
	Construction (EPC) basis.	2. Chairman	2. Full Powers up
			to Rs. Fifty crore.
		3. Housing	3. Full Powers up
		Commissioner	to Rs. Twenty
•			Crore.
			r
2.	To approve Tenders on	1. Board of	1. Full Powers
	Percentage Rate Basis.	Directors or its	
		empowered	
	Note:	committee.	
	1. The amount indicated in	t	2. Full Powers up
	column no. 4 is inclusive of	2. Chairman	to Rs. Fifty Crore.
	tender premium.		
	1.1 Authorities indicated at	3. Housing	3. Full Powers up
	column no 3 at Sr.no 4 to 6 shall	Commissioner	to Rs. Twenty Five
	accept tender when the tender		Crore
	rate (premium) received is not		
	more than 10 percent above the	4. Addl. Housing	4. Full Powers up
	Estimated cost.	Commissioner	to Rs. Ten crore.
	1.2 When the tender rate		
	received is more than 10 percent	5. Dy.Housing	5. Full Powers up
	above the Probable Amount of	Commissioner	to Rs. Five Crore
	Contract (PAC) in case of	(circle Office)	
	column no. 3 at Sr.no. 4 to 6 the		
	tender will be decided by next	6. Executive	6. Full Powers up
	higher authority.	Engineer	to Rs. One Crore.
	1.3 In the event the Quoted		
	value of work comes such that		
	the amount falls in the power of		
	a lower authority, still in such		
	case PAC shall govern the		
,	authority for deciding the tender		

	only for authorities in column no 3 at sr. no 4 to 6.  1.4 The Bid Value shall govern the authority for deciding the Tender.		
3	To approve Tenders invited on Turnkey/ lump-sum basis  Note: The Bid Value shall govern the	1. Board of Directors or its empowered committee.	1. Full Powers
	authority for deciding the Tender.	2. Chairman	2. Full Powers up to Rs. Twenty Five Crore
		3. Housing Commissioner	3. Full Powers up to Rs. Ten Crore.
		4. Addl. Housing Commissioner.	4. Full Powers up to Rs. Five crore.
		5. Dy.Housing Commissioner.	5 . Full Powers up to Rs. One Crore for their jurisdiction
4	Conveyance of decision on tender to the Executive Engineer / Dy.Housing Commissioner (circle)	1. Addl. Housing Commissioner	1. Full Powers tender decided by Board of Directors or its committee, Chairman, Housing Commissioner and Addl. Housing Commissioner.
		2. Dy.Housing Commissioner (Circle Office).	2. Full Powers for tender decided by Dy.Housing Commissioner

5	Issue of Letter of Acceptance	Executive	Full Powers
	(LoA) to contractor/	Engineer	
	construction agency after		· · ·
	acceptance of tender by	·	·
	competent authority.		and the second s
6	Signing of Agreement with	Executive	Full Powers
	Contractor /construction	Engineer	
	Agencies after acceptance of		,
	tender by the competent		
	authority.	•	
7	Issue of work order to contractor	Executive	Full Powers
	/ construction agencies,	Engineer	
	wherever applicable.		
8	Signing of Agreement with	Dy.Housing	Full Powers for
	consultants.	Commissioner	their jurisdiction

#### Sub Section- F-Project Monitoring.

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Notice to Contractor/	Executive	Full Powers
	Construction agency for non	Engineer	
	compliance of terms of		
	agreement		
2	Notice to Contractor /	Executive	Full Powers
	Construction agency for	Engineer	
	termination of contract		
3	Termination of Contract and	Executive	Full Powers
	forfeiture of securities etc.	Engineer	
4	To hear and decide disputes	Dy.Housing	Full Powers for
	arising out of operation of	Commissioner	their jurisdiction.
	contract on request of Contractor	,	
	/ Construction agency.		
5	To hear and decide appeal	Addl. Housing	Full Powers.
	against orders on dispute	Commissioner	· .
	resolution decided by		
	Dy.Housing Commissioner.		
6	Notice to contractor /	Addl. Housing	Full Powers
	construction agency for	Commissioner	
	delisting/suspension of		
	registration for breach of		
	agreement.		
ow	P-1-4 4 4 0	1	1 44

7	To decide on the notice to	Addl. Housing	Full Powers
	Contractor/ Construction agency	Commissioner	
	regarding suspension of		
	registration		
8	To hear and decide appeal	Housing	Full Powers
	against order of suspension	Commissioner	
	/delisting passed by Addl		
	.Housing Commissioner		
9	Intimation of suspension/	Addl.Housing	Full Powers
	delisting of registration of	Commissioner	·
	Contractor/Construction agency		
	to Central Registration Authority		
	MP PWD		
10	Inspection of office	1. Housing	1. Full Powers.
	establishment and works.	Commissioner.	
		2. Addl. Housing	2. Full Powers for
		Commissioner.	his jurisdiction.
		3. Dy.Housing	3. Full Powers for
		Commissioner	his jurisdiction.
		4. Executive	4. Full Powers for
		Engineer	his jurisdiction.
11.	Technical Audit of works.	1. Addl. Housing	1. Full Powers
		Commissioner	within their
		2. Dy.Housing	jurisdiction.
		Commissioner	2. Full Powers
			within their
		•	jurisdiction.

#### Sub Section- G- Payment to Consultant and State Agencies.

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	To verify the bills of consultants	Executive	Full Powers
		Engineer	
2	Approval of payment to	Dy.Housing	Full Powers
	consultants	Commissioner	
3	Disbursement of payment to	Executive	Full Powers
	consultant	Engineer	
4	To accord approval for release	Dy.Housing	Full Powers
	of payments to state agencies	Commissioner.	
	like Madhya Pradesh Power		
	transmission / Distribution		
	companies, Chief Electrical		,
	Inspector, Town & Country		
	Planning, State Environment		
	Impact Assessment Authority,		
	Local Bodies (Fees and Taxes),		

5	To release payments to Madhya	Executive	Full Powers within
	Pradesh Power transmission /	Engineer (	his jurisdiction as
	Distribution companies, Chief	Civil/Electrical)	per approval
	Electrical Inspector, Town &		
	Country Planning, State		
	Environment Impact		
	Assessment Authority, Local		
	Bodies (Fees and Taxes) etc.		
	After approval from competent		
	authority.		· ·

#### Sub Section- H- Management of Works Contract

<u> </u>	Authority	Limits
To record measurement of works executed	Sub Engineer	Full Powers
Verification and checking of measurement	Assistant Engineer	Full Powers
Test check of measurements as per works department manual.	Executive Engineer	Full Powers
To prepare bill on basis of work done	Assistant Engineer	Full Powers
Approval to release mobilization advance as per the contract agreement.	Dy.Housing Commissioner (Circle)	Full Powers
Approval of secured advance against non perishable materials purchase and brought to site	Dy.Housing Commissioner (Circle)	Full Powers
Payment to contractor / construction agency for work done including advances. After approval from competent authority.	Executive Engineer	Full Powers
To approve rates for items of works not included in the agreement.	Dy.Housing Commissioner (Circle)	Full Powers
Approval of interim extension of time, as per agreement	1. Executive Engineer 2. Dy.Housing Commissioner (circle)	<ol> <li>Full Powers up to three months</li> <li>Full Powers</li> </ol>
	measurement Test check of measurements as per works department manual. To prepare bill on basis of work done Approval to release mobilization advance as per the contract agreement. Approval of secured advance against non perishable materials purchase and brought to site Payment to contractor / construction agency for work done including advances. After approval from competent authority. To approve rates for items of works not included in the agreement. Approval of interim extension of	Verification and checking of measurement  Test check of measurements as per works department manual.  To prepare bill on basis of work done  Approval to release mobilization advance as per the contract agreement.  Approval of secured advance against non perishable materials purchase and brought to site  Payment to contractor / construction agency for work done including advances. After approval from competent authority.  To approve rates for items of works not included in the agreement.  Approval of interim extension of time, as per agreement  Assistant Engineer  Executive  Commissioner  (Circle)  Executive  Engineer  Dy.Housing  Commissioner  (Circle)  1. Executive  Engineer  2. Dy.Housing  Commissioner  (Circle)

		1 \	
10	To approve extension of time period for completion of	1. Addl. Housing Commissioner	1. Full Powers
	contract and to finalize	2. Dy.Housing	2. Full Powers in
		Commissioner	jurisdiction for
	liquidated damages if applicable.	Commissioner	works costing up
	·	:	. • • 1
		·	to Rs Five Crore
12.	To issue completion certificate	Executive	Full Powers
	to construction agency	Engineer	
13	Release of security and	Executive	Full Powers
	miscellaneous deposits on	Engineer	
	completion of Project / work as		
	per the provision of agreement.		
14	Assessment of balance work and	Executive	Full Powers with
	determination of liabilities of the	Engineer	the approval of
	terminated contract.		Dy.Housing
			Commissioner
	·		(circle)
15	Proceeding for recovery of	Executive	Full Powers
	balance amount of liabilities	Engineer	
	wherever applicable.		

#### <u>Sub-Section- I - Project Formulation</u>

#### Part-1- Project Formulation

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1.	Preparation of Project requirement and preliminary concept of Project	Executive Engineer.	Full Powers with approval of Dy.Housing Commissioner (circle)
2	Preparation of Concept plan (Layout and building plan)	Chief Architect	Full Powers
3	Approval and revision of Concept Plan	Housing Commissioner on recommendation of Project Committee	Full Powers

4	To apply and obtain approval of various Govt. agencies for a project. (Approval of T&CP, EIA, Building permission, High Rise Committee etc).	Executive Engineer	Full Powers
5	Preparation of Detailed Project Report (DPR)	Executive Engineer (Civil /Elect)	Full Powers with approval of Dy.Housing Commissioner (circle)

#### Part- 2 - Project formulation Outsourcing

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Policy formulation for	Housing	Full Powers
	Empanelment / selection of	Commissioner	
	Consultants.		
2.	Empanelment of Architect	Chief Architect	Full Powers
3.	Renewal of empanelment of	Chief Architect	Full Powers
	Architect.		
4.	Selection of Architects for a	Jury constituted by	Full Powers
	project.	the GoMP	
5	Approval to appointment of	Chairman on	Full Powers
	Architect.	recommendation	v /
		of Jury.	v 44 %
6	Issue of Letter of Appointment	Chief Architect	Full Powers
	of Architect.	1	T 11 D
7	Approval of the format of	Housing	Full Powers
	Agreement with Architect.	Commissioner	73 11 73
8	Issue of Letter of Intent (LoI) to	Dy.Housing	Full Powers
	the Consultant.	Commissioner	
0	T	(circle)	Full Powers
9	Execution of Agreement with the Architect.	Dy.Housing Commissioner	Full Powers
	the Architect.	(circle)	
10	Appraisal of project prepared by	Project Committee	Full Powers
10	consultant	(Head Office)	Tuniowers
11	Approval of Project prepared by	Housing	Full Powers
* *	consultant.	Commissioner on	
	onourum.	recommendation	
		of Project	
		Committee(Head	
		Office)	
12	Policy on Fixation of	Board of Directors	Full Powers
	Architectural Fees based on		
	guidelines issued by Council of		
	Architecture.		

#### <u>Part-3 - Project Management Consultant.</u>

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Policy formation for	Housing	Full Powers
	employment of Project	Commissioner	
	Management consultant		
2	To invite RFQ/RFP for	Dy.Housing	Full Powers
	appointment of project	Commissioner	
	management consultant	(circle)	
3	Evaluation of RFQ/RFP	Technical	Full Powers
		Committee of	
	·	Head Office	
4	Approval for appointment of	Housing	Full Powers
	Project consultant	Commissioner on	
		recommendation	
		of Technical	
		Committee.	
5	Issue of letter of appointment to	Addl. Housing	Full Powers
	the consultant	Commissioner	
6	Execution of the agreement	Dy.Housing	Full Powers
		Commissioner	
		(circle)	

#### Subsection -J- Public Private Partnership Projects

Sr	Nature of Power	Authority	Limits
1	Identification and preparation of	Executive	Full Powers with
	Public Private Partnership	Engineer	approval of
	projects case wise approval.		Dy.Housing
			Commissioner
			(circle)
2	Scrutiny and finalization of	Project Committee	Full Powers
	Detailed Project Report under	of Head Office	
	Public Private Partnership mode		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3	Approval of RFP/RFQ for PPP	Housing	Full Powers
	projects.	Commissioner on	
		recommendation	
		of Project	
ļ	,	Committee of	
		Head Office	
4	Invitation and receipt of RFQ	Dy.Housing	Full Powers
	/RFP and its opening.	Commissioner	
5	Approval of pre qualification of	Addl .Housing	Full Powers
	bidders	Commissioner	
6	Approval of financial proposal	Board of Directors	Full Powers
	of the project		

#### Section -VII- Arjun Fitness Club.

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Formation of Management Committee	Board of Directors	Full Powers
2	Nomination of Members in Management Committee	Housing Commissioner and ex officio President of Management Committee	Full Powers
3	Fixation of Membership fees	Management Committee	Full Powers
4	Approval of Annual Work Plan of Arjun Fitness club	Management Committee	Full Powers
5	Administrative Approval for work to be taken in financial year as per Annual Work Plan.	Chief Administrative Officer and ex- officio Vice President of Management Committee	Full Powers
6	Petty expenditure for day to day running of Club.	1. Executive Engineer and exofficio Secretary of Management Committee. 2. Manager Arjun Fitness Club.	1. Full Powers for expenditure up to Rs. Two Thousand  2. Full Powers for expenditure up to Rs Five Hundred.
7 .	Concession in Membership and usage Fees	Housing Commissioner	Full Powers
8	Grant and renewal of Membership	Manager Arjun Fitness Club.	Full Powers
9	Grant of Temporary Membership and fixing charges for it	Housing Commissioner	Full Powers
10	Appointment/Engagement of fitness trainers, lifeguards, Swimming instructors, Plant operators etc.	Management Committee	Full Powers
11	Fixation of Remuneration of fitness trainers, lifeguards, Swimming instructors, Plant operators etc.	Management Committee	Full Powers
12	Execution of agreement with contract employees	Manager Arjun Fitness Club	Full Powers

Note: The powers of Technical Sanction, NIT approval, Invitation of Bids and Tender approval shall be same as in other Board works.

#### Section -VIII- Information and Technology

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Modification in existing	Housing	Full Power
	business processes or framing of	Commissioner	
	revised business process/	·	
	standard operating procedure as		٠
	deemed necessary to implement	·	
	ERP (Enterprise Resource		
	Planning)		
2	Assignment of roles to access	Chief IT Officer /	Full power
	the ERP modules	IT Officer	
3	Approval for purchase of new	Housing	Full powers
	computers, printers, UPS,	Commissioner	,
	Internet connectivity.		
4	Procurement of Software.	Housing	Full power
		Commissioner	
5	Management and maintenance	Chief I T Officer	Full power
,	of data.		
6.	Management and Maintenance	Chief I T Office	Full Power
	of Hardware / Networking		

#### Section - IX - Inspections

Sr.No	Nature of Power	Authority	Limits
1	Inspections of Dy.Housing	Chief Accounts	Full Powers with
	Commissioner and Executive	Officer/Chief	the approval of
	Engineer	Audit Officer	Housing
		·	Commissioner
2	Inspection of Estate Office,	Accounts	Full Powers with
	Estate Office (zonal)	Officer(Head	the approval of
		Office)	Chief Accounts
			Officer
3	Inspection of various sections of	Chief Accounts	Full Powers with
	Head office	Officer / Chief	the approval of
		Administrative	Housing
		Officer	Commissioner.
4	Preparation of annual roaster of	Chief	Full Powers with
	inspection of field offices	Administrative	the approval of
		Officer	Housing
			Commissioner
5	Formation of team for surprise	Housing	Full Powers
	inspection of field offices.	Commissioner	
6	cognizance of major	Housing	Full Powers
	irregularities and taking action	Commissioner	
	on inspection report		

#### <u>ANNEXURE</u> II

# TERMS AND CONDITIONS RELATING TO SECURITY TO BE FURNISHED BY SERVANTS OF THE BOARD

- (1) <u>Forms of security</u> The security required under Regulation 10 shall be furnished in one of the following forms, namely:
  - (a) Cash
  - (b) Post Office Saving Bank Deposit
  - (c) Recurring Deposit Account in any of the Scheduled Banks.
- Note: (i) A Post Office Saving Bank Deposit will be accepted as security, provided that the depositor has signed and delivered to the Postmaster a letter in the prescribed form.
  - (ii) Alternatively, security, in the form of cash may be offered with a request that it be deposited in the Post Office Saving Bank in the name of the pledgee. In the latter case, the pledgee shall send a letter through the person who has to furnish the security explaining the nature of security and requiring the Post Master to receive the deposit and issue the pass book in his (the pledgee's name). The person who is to furnish the security shall present a letter at the Post Office with the requisite amount in cash and the Saving Bank index card in the prescribed form signed at the foot by the pledgee. The Post Master will deliver the Saving Bank Passbook to the person pledging the security. The latter shall transmit without delay to the pledgee.
  - (iii) A Pass Book for the deposit in any of the Scheduled Banks will be accepted as security, provided that the account is pledged to the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board.
  - (iv) The Housing Commissioner may, at the written request of the employee, change the manner of investment of the amount of security deposited and pledged by the employee provided that the investment shall be only in any one of the forms mentioned above.

- (2) <u>Interest</u> An employee shall have the right to the annual interest on the securities other than those furnished in cash. Provided that in the event of any employee causing any loss to the Board, the interest due to him under this regulation shall be withheld, until the question of recovery or otherwise of such loss is settled.
- (3) <u>Period of retention</u> A security deposit shall be retained at least for six months from the date when he vacates his post, but the security bond shall be retained permanently or until it is certain that there is no further need for keeping it. While returning any security deposit, his acknowledgement shall be obtained duly signed and witnessed. When an interest bearing security is returned or retransferred the acknowledgement shall set forth full particulars of the security.
- (4) Return of Security deposit and security bond when an employee is transferred When an employee who has furnished security in one office is transferred to another office under the control of the Board, the security shall be retained by the first office until the period specified in the security bond has expired, so that any amount ordered to be recovered during that period in respect of his service in the first office may be recovered from him. On the expiry of the specified period the employee who took the security shall release it from the pledgee in his favour and pass it on to the Head of the Office to which the employee has been transferred, requesting him to return it to the pledger to get a fresh security bond executed by him and to have the security duly pledged in favour of the proper authority to the extent necessary.

The pledgers acknowledgement mentioned above shall however, invariably be obtained and sent to the head of the first office.

The Head of the Office to which the employee is transferred shall require him to furnish security at once for any amount by which the security required for the new post exceeds that furnished for the former post. Apart from that, he may, if he considers the original security sufficient, wait for it to be passed on and duly pledged again and need not require the employee to furnish fresh security. He shall ascertain from the Head of the Office from which the employee is transferred, what amount of security he furnished therefore before it is passed on, and shall then decide whether that security will be sufficient or whether the employee shall be required to furnish security for the whole or any part of the amount.

(5) <u>Nomination</u> - The employee may nominate a person to receive the security deposit in the event of his death while in service or before the security in refunded.

Provided that where there is no nomination the Board shall pay the amount only to the person who produces the orders of a competent court entitling the said person or persons to receive the amount.

- (6) <u>Forfeiture</u> The amount of security deposit shall be forfeited in full or in part for lapses of duty as hereunder specified namely:
  - (a) Defalcation or misappropriation: Forfeiture of the entire security even where the amount involved is less than the amount of security deposit.
  - (b) Negligence of duty resulting in loss to the Board: Forfeiture of an amount equivalent to the loss involved.
  - (c) Loss caused by negligence or inefficiency: Recovery of actual loss.

Note: Any action taken under this provision shall not prejudice the authority of the Board to impose any punishment upon the employee under the service regulations applicable to him.

- (7) <u>Form of agreement to be executed</u> Every employee offering security shall execute an agreement in the form appended to these regulations or in any other form deemed appropriate by the Housing Commissioner in each case. A reference to each such bond shall be recorded in the Register of Security Deposits.
- (8) <u>Manner of custody of security deposit and connected documents</u> The various documents connected with security deposits shall be kept in the safe custody of the Accounts Officer of the office concerned. All the Saving Bank Pass Books or Bank Pass Books shall be sent to the Post Office or Bank as soon as possible after the 15th of June each year, so that necessary entries on account of interest may be made therein.
- (9) <u>Time limit for furnishing security by persons already in service</u> Persons in the service of the Board on the date of coming into force of these regulations shall furnish security within thirty days of the order requiring them to furnish security.
- (10) <u>Security to be furnished at the time of joining duty</u> When a person is required to furnish security as a condition precedent to his appointment, he shall furnish such security at the time of joining duty.

#### FORM OF INDENTURE

1. THIS INDENTURE is made the (date, in figures & words)
between Shri/Sushri (name & designation of the employee)
residing at (address of the employee)
(hereinafter called THE EMPLOYEE) of the ONE PART and THE MADHYA PRADESH HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD (hereinafter called THE BOARD) of the OTHER PART, which expressions, where the context so admits, shall include their heirs, successors and assigns.
2. WHEREAS the Employee was, in or about the month of
3. WHEREAS at the time of such admission the employee delivered to and deposited a sum of ₹ (figures & words) as security for the due and faithful performance by him/her of his/her public duties as aforesaid or any other duties which might at any time thereafter be entrusted to him by Board.
4. AND WHEREAS the Employee has also read and signed a copy of the Board's regulations governing security deposits in acknowledgement of being bound by all the conditions of the clauses of the said regulations.
5. NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that the Employee shall and will from time to time at all times hereafter so long as he shall continue in the service of

AND shall and will devote his whole time and attention to the business of 6. the said Board and shall not be engaged in any other business or professional pursuit whatsoever either on his own account or as agent for any person or persons, whatsoever.

the Board, truly, diligently, faithfully, honestly, carefully and willingly serve the Board, and perform all such duties of the said office as he shall or may from time to time be directed to perform by the Housing Commissioner or such other officers

of the Board as the Employee shall or may from time to time placed under..

- 7. AND shall and will keep secret all the transactions of the said office (except when required by a Court of Law to disclose them) and keep informed the Housing Commissioner or such officers as aforesaid of all such occurrences, as shall from time to time come to his knowledge relating to the affairs and business of the said office.
- 8. AND shall not nor will cancel, waste, make away with, obliterate, deface or in anywise injure, or permit any person or persons whomsoever so to do any of the bills, accounts, books, documents papers, memoranda or writings of whatsoever nature or kind belonging to the Board.
- 9. AND shall duly account for any pay and deliver to the Board and discharge himself of money, bullion, jewels, documents, securities for money, goods and either things which he shall or may hereinafter from time to time during service in the Board receive from the public, on the same day on which the same is received by him and shall also on demand deliver up to the Board, all bills, accounts, books, records or other papers of or belonging to the Board.
- 10. AND shall and will keep all such bills accounts, books, documents, securities, paper, memorandum and writings relating to the affairs of the Board, as have hitherto or shall or may hereafter from time to time be entrusted to his charge in a proper and business like manner and make true entries therein of all such monies or goods, received by him and all payments made by him or their business transacted on behalf of the Board.
- 11. AND shall not leave the service of the Board without giving one month's previous notice in writing of his intention to do so to the said Housing Commissioner.
- 12. AND THIS INDENTURE FURTHER WITNESSETH that, in consideration of the premise the Employee both hereby for himself, his executors, administrators, and legal representatives covenant with the Board that, in case default be made at any time in the observance, performance and execution of the several convenants and things hereinbefore expressed to be observed, performed and done by the Employee, then in such case, it shall be lawful for the Board to apply the said security of ₹. (in figures words).....towards satisfaction and discharge of all such sums of money, damages, solicitor's costs and other charges and expenses as by reason of such default shall or may be due and owing to or have been incurred by the Board. And the Employee both hereby

further covenants for himself, his executors, administrators and representatives with the Board that he, the Employee will abide by the decision of the Housing Commissioner as to the amount of damages sustained by him by reason of any such default on his part as aforesaid and such decision shall be final and conclusive, and upon such decision the Housing Commissioner shall be entitled to deduct the amount from the amount deposited with Board as his security without making any written or formal award or demand for the amount so found due. The Employee both also hereby further covenants for himself, his executors, administrators, and representatives with the Board that upon conviction before any court upon any charge or charges of fraud, embezzlement breach of trust, misappropriation, cheating or other misconduct of the Employee in any other way connected with the public duties hereinbefore covenanted be observed and performed by the Employee, or connected with the receipt by the Employee of any monies, goods or things received by him from the public as a servant of the Board, the said security given as aforesaid shall become absolutely forfeited to the Board and no action suit or other proceedings shall lie by the employee against the Board in respect thereof.

- 13. AND FURTHER IT SHALL BE LAWFUL FOR THE BOARD to recover the value of the actual loss incurred by the Board consequent on the negligence of duties hereinbefore specified or inefficiency or due to any other reasons whatsoever on the part of the Employee from the amount of security deposited by the Employee, and the Employee shall immediately when called upon to do so make good any deficiency in the deposit caused by such recovery.
- 14. AND FURTHER it shall be lawful for the Board to retain the said security, for a period of six calendar months from the date of the Employee either ceasing to be in the service of the Board or permanently transferred to a post in the Board where security is not stipulated, subject to such claim as shall or may arise thereupon for or by reason or on account such default, prosecution and conviction as aforesaid.
- 15. AND the Board do hereby by themselves covenant with the Employee, his executors, administrators and assigns that until default shall happen to be made in the performance, observance and execution of the several convenants and things hereinbefore expressed to be performed, observed and done by the Employee, the Board shall permit the Employee, his executors, administrators and assigns to receive such interest as may be realised.

					REOF										
Cor	nmon	Seal	of t	he	Board	has	been	hereu	nto	affixed	d in	the	presenc	e of	the
Ho	using (	Comm	issic	ne	r or his	Rep	resent	ative.						•	

Signed and delivered by the above named Employee at (place)								
(date)		,in the	presence	of	£ 8 6 6 0 9 0	0 4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8		********
								. *
******								

Signature of Employee:

Seal of the Board & Signature of Housing Commissioner or his Representative:



Housing Commissioner
MP Housing & Infrastructure Development Board Bhopal

# संस्कृति विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

#### भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्र. एफ—1/18/2009/ े तीस, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत मध्यप्रदेश स्वराज संस्थान संचालनालय के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

#### नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वराज संस्थान संचालनालय (संस्कृति विभाग) चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2014 है।
- 2. ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषाएँ :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; -

- (क) सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय;
- (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, नियम 13 के अधीन गठित विभागीय चयन / पदोन्नित समिति;
- (ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
- (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ड़) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (च) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ—8—5—पच्चीस—4—84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ज) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जाति, मूलवंश या उसका भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें भारत संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (झ) ''अनुसूचित जनजाति' से अभिप्रेत हैं, कोई जनजाति या जनजाति संमुदाय अथवा उसका भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें भारत संविधान के अनुच्छेद 342 के आधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ञ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश स्वराज संस्थान संचालनालय (संस्कृति विभाग) चतुर्थ श्रेणी सेवा;
- (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।
- 3. विस्तार तथा लागू होना : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन : सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :
  - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद मूल रूप से अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों;
- (3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों;
- 5. सेवा का वर्गीकरण, पदों की संख्या तथा वेतनमान आदि : (1) सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, स्थायी या अस्थायी

आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

(2) भरती किए गए व्यक्ति समयमान वेतनमान के हकदार होंगे, देखिए शासकीय आदेश एफ—11—1—2008 नियम—चार, दिनांक 30 अक्टूबर, 2010

#### 6. भर्ती का तरीका :

- 1. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी अर्थात :
  - (क) सीधी भर्ती / प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;

(ख) सरकार द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- 2. उपनियम (1) के खंड (क) या खण्ड (ख) के आधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची—एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।
- 3. इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जायेगी।
- 4. उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के लिए उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी, जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किये जाएँ।
- 7. सेवा में नियुक्ति : इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीके में से किसी एक तरीके द्वारा चयन/नियुक्ति के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं।
- 8. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी पात्रता की शर्तें : चयन / प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात :—
  - 1. आयु:
  - (क) उसने चयन / परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गं का हो, तो

उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

٠,

- (घ) उन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में भी जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा, उस सीमा तक नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:—
  - (एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी अथवा सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए:
  - (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के , लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी;
  - (तीन) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थाई सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालाविध भले ही वह कालाविध एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण : शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में रोजगार हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण

सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उन्हें अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी प्रतिरक्षा सेवा की समस्त कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते उसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:

शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :--

(1) भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मृक्त कर दिया गया हो;

(2) भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो और, -

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) भर्ती सम्बन्धी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक;

- (4) संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किए गये हों; ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिनमें अल्पाविध सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलत हैं;
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अविधिमान्य हो जाने के कारण सेवा से अलग किया गया है:
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब ये दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

- ऐसे भतपर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन दंपत्तियों के पुरस्कृत सवर्ण पति—पत्नी के (च) सम्बन्ध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

''विक्रम पुरस्कार'' धारक अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक (छ) शिथिलनीय होगी।

उन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर (ज) आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

नगर सेना (होम गार्डस) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों के (화) मामले में उनके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की कालावधि के बराबर सामान्य उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्ययीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आय 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी : (1) ऐसे अभ्यर्थी जो नियम (8) के उपनियम (1) में उल्लिखित आयु सम्बन्धी रियायतों के अंतर्गत परीक्षा / चयन के लिए पात्र समझे गये हों, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन प्रस्तृत करने के पश्चात् सेवा या पद से छटनी की जाए तो वे नियक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी।

2. सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए उच्चतर आय सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी—3—11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एवं 20.11.2012 के अनुसार की जाएगी।

शक्षिणिक अर्हताएँ : अभ्यर्थी के पास, सेवा के लिए अनुसूची-तीन में दर्शायी गयी विहित 2. शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिए :

परन्त, आपवादिक मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में से विहित अईताओं में से कोई अईता नहीं रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएँ ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा / चयन में उपस्थित होने के लिए पात्र अभ्यर्थियों के रूप में विचार हेत् न्याय संगत ठहराती हों।

फीस : अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा। 3.

#### निरर्हता : 9.

किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन (1) अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।

कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर (2)लिया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंत कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, (4) नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहाँ किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला लिम्बत हो तो उसकी नियुक्ति आपराधिक मामले का विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा — परीक्षा / चयन के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

#### 11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :

- (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतराल पर आयोजित की जाएगी, जैसी कि नियुक्ति प्राधिकारी समय—समय पर अवधारित करे। चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा।
- (2) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों और इस संबंध में सरकार द्वारा, समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार, उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार विकलांग अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (8) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (9) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद, यदि इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाते हैं तो ऐसी रिक्तियाँ अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरी जाएंगी और अग्रनीत की जाएंगी और समय—समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार भरी जाएंगी।
- (10) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समानांतर रीति में प्रभावी होगी।

### 12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :

(1) चयन सिमिति अभ्यर्थियों, जो ऐसे स्तर से अई हों जैसा कि सिमित अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर में अर्हित नहीं हैं, परन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सिमित द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। योग्यता के क्रम में तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर सूची में दिये गये अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही, उसे नियुक्त होने का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) समिति द्वारा जारी की गई सूची उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की

कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

13. चयन द्वारा नियुक्ति :

पात्र अभ्यर्थियों के प्रारंभिक चयन करने के लिये अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी।

परन्तु पदोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नाम—निर्दिष्ट सदस्य में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का एक सदस्य विभागीय चयन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और चयन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

#### 14. पदोन्नित के लिए पात्रता की शर्तें :--

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिमित उन समस्त व्यक्तियों के जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उस पद पर जिससे कि पदोन्नित की जानी है या यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा या उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो स्थानापन्न या मौलिक रूप में उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जितनी अनुसूची चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों। "परंतु आपाती कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के सेवा मुक्त अधिकारियों को सेवा में नियुक्ति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987/1(3)67 के अनुसार जिस तारीख से सेवा में नियुक्त माना गया है उसी तारीख से उसकी सेवा की गणना की जाएगी:

परन्तु इस नियम के अधीन किसी किनिष्ठ व्यक्ति को प्रवर श्रेणी/पदोन्नित के लिए केवल उनकी निर्धारित सेवा की कालाविध पूर्ण करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

15. उपर्युक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना :

(1) विभागीय चयन समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो शर्तों को पूरा करते हों, और उस समिति द्वारा सेवा में चयन के लिए उपयुक्त समझे गए हों। यह सूची चयन

सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के लिये प्रभावी होगी।

(2) इस सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम सेवा या पदों की वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे। स्पष्टीकरण — वे व्यक्ति, जिनके नाम चयन सूची में सम्मिलित किये गये हों, किन्तु जिन्हें सूची की विधिमान्यता के दौरान चयनित नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन सूची में विचार किया गया था, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे।

(3) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य को पदावनत करने का प्रस्ताव है, तो समिति प्रस्तावित पदावनति के लिए अपने कारण अभिलिखित

करेगी।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जाएगा।

16. चयन सूची से सेवा नियुक्ति :

(1) चयन सूची में सम्मिलित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर, नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना, तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालाविध के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गयी हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी है, जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाती है।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित की गई सूची अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पद से उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के

सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित न कर दी जाए साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किए गए किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के अनुपालन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और चयन समिति, यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

- 17. परिवीक्षा : सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- 18. निर्वचन : यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भुत हो, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
- 19. शिथिलीकरण: इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से, जो उन्हें उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हों, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

- 20. व्यावृत्ति : इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।
- 21. निरसन: इन नियमों के तत्रथानी समस्त नियम तथा जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के आधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के सबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के आधीन किया गया है या की गई है।

# अनुसूची—एक (नियम—5 देखिये) सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

विभाग का नाम	सेवा में सिम्मलित	पदों	वर्गीकरण	वेतनमान	अभियुक्तियाँ
	पदों के नाम	की	,		
		संख्या			
1	2	3	4	5	6
स्वराज संस्थान	भृत्य / चौकीदार /	3	चतुर्थ-श्रेणी		
संचालनालय,	फर्राश				
संस्कृति विभाग					

## अनुसूची—दो (नियम—6 देखिये) भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशतता सीधी भर्ती पदोन्नति व्यक्तियों द्वारा द्वारा के स्थानांतरण द्वारा			अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7
स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग	भृत्य / चौकीदार / फर्राश	3	100 प्रतिशत			उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता की दशा में व्यक्तियों के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा

# अनुसूची—तीन (नियम—8 देखिये) भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएँ

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शिक्षा तथा अर्हता	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
स्वराज संस्थान	भृत्य/चौकीदार/	18 वर्ष	40 वर्ष	8वीं कक्षा उत्तीर्ण परीक्षा	
संचालनालय,	फर्राश				
संस्कृति विभाग					

# अनुसूची—चार पदोन्नति की पात्रता एवं शर्तें

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा अनुभव	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति की पद्धति अर्थात् चयन पद्धति अथवा चयनोत्तर पद्धति	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5	6
स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग	भृत्य / चौकीदार / फर्राश	5 वर्ष		वरिष्ठता सह उपयुक्तता	<ol> <li>संचालक, स्वराज संस्थान         <ul> <li>अध्यक्ष</li> </ul> </li> <li>सहायक संचालक, स्वराज             संस्थान — सदस्य</li> <li>अनुसूचित जातियों /             अनुसूचित जनजाति वर्ग             से एक प्रथम—श्रेणी             अधिकारी संचालक द्वारा             नामनिर्दिष्ट होगा —             सदस्य</li> </ol>

No. F-01-18-2009-Culture-XXX.---

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and condition of Service of members of the Madhya Pradesh Swaraj Sansthan Sanchalnalaya at under the Culture Department, namely:-

#### RULES

#### 1. Short title and commencement:

- (1) These rules may be called the Swaraj Sansthan Sanchalanalaya (Culture Department) Class-IV Service Recruitment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".
- 2. **Definitions-** In these rules, unless the context otherwise requires:-
  - (a) 'Appointing Authority' in respect of the service means the Director Swaraj Sansthan Sanchalanalaya;
  - (b) 'Committee' means the Departmental Selection/ Promotion Committee constituted under rule 13;
  - (c) 'Examination' means the competitive examination held for recruitment under rule 11 of these rules;
  - (d) 'Government' means the Government of Madhya Pradesh;
  - (e) 'Governor' means the Governor of Madhya Pradesh;
  - (f) 'Other Backward Classes' means the other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26-12-84 as amended from time to time;
  - (g) 'Schedule' means the schedule appended to these rules,
  - (h) 'Schedule Caste' means any caste, race or part of or group within a caste or race specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
  - (i) 'Scheduled Tribe' means any tribe or tribal community or a part of or group within a tribe or tribal Community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
  - (j) 'Service' means the Madhya Pradesh Swaraj Sansthan Sanchalanalaya (Culture Department) Class-IV Service.
  - (k) 'State' means the State of Madhya Pradesh.
- 3. Scope and Application- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.
- 4. Constitution of the Service- The service shall consist of the following persons, namely:-
  - (1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding any post substantively on officiotime capacity the post specified in the Schedule I;
  - (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules.
  - (3) Persons recruited to the service in accordance with the provision of these rules.

- 5. Classification of Service, number of posts Scale of pay etc. (1) The classification of the service, the number of posts included in the service and the Scale of pay attached there to shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:
  - Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.
  - (a) Persons recruited will be entitled for time scale pay vide Govt. order No. F-11/1/2008/Rules/ Four, dated 30<sup>th</sup> October, 2010.
- 6. Method of Recruitment- (1) Recruitment to the service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
  - (a) Direct recruitment/ by competitive examinations.
  - (b) By transfer/deputation of person from other services as specified by the Govt. from time to time.
- (2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage specified in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the services as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the government in consultation with the Appointing Authority.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the appointing Authority may with the prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.
- 7. Appointment to the service- All appointment to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection/appointment by one of the methods of recruitment specified in rule (6).
- 8. Conditions of eligibility of candidates for direct recruitment- In order to be eligible for selection/competitive examination, the candidate must satisfy the following conditions, namely: -
- (1) Age -
  - (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of selection/examination.
  - (b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Other Backward Classes.
  - (c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
  - (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions as specified below:-
    - (i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 45 years of age.
    - (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees work charged employees and employees working in the project implementation committees.

- (iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
- Explanation The term retrenched Government servant denotes a person who was a temporary Government Service of this State or of any of the Constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration in the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.
- (iv) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all defense Service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
- Explanation The term 'ex-serviceman' means a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the economy unit limit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or an application made otherwise for employment in Government Service.-
- (1) Ex-serviceman released under mustering out concession;
- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on
  - (a) completion of short term engagement;
  - (b) fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officers.
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.
- (6) Ex-serviceman invalidated out of service.
- (7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
- (8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc;
- (e) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 2 years for those candidates who are holding Green-Card under Family Welfare Programmes;
- (f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of an awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriages incentive programme;
- (g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of the Vikram Award holder candidate;
- (h) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Board;
- (i) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers for the period of service previously rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 45 years.
- Note: (I) Candidates, who are considered eligible for examination/selection, under the age concessions mentioned in sub-rule (i) and (ii) of clause (d) of sub-rule (1) of rule 8 above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination/selection. They will however, continue to be eligible for appointment if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case these age limit be relaxed.

- (2) In any case, the total relaxed period for any category shall be such, which shall not exceed the upper age limit 45 years, the maximum limit of age shall be calculation in according to General Administration Department circular no. C-3-11/12/1/3 dated 03.11.2012 and 20.11.2012
- (2) Educational Qualifications: The candidate must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III.

Provided that in exceptional cases the Appointing Authority may, on the recommendation of the Government treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause but has passed the examinations conducted by other institutions by such standard which in the opinion of Appointing Authority justifies the consideration of the candidate eligible to appear in the examination/selection.

(3) Fees – The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

#### 9. Disqualification -

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for examination/selection.
- (2) No candidate shall be eligible for appointment in the service who has married before the minimum age prescribed for Marriage.
- (3) Candidate shall not be eligible for appointment in the service if he has more than two living children one of whom is born or after 26th January, 2001:
  - Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day January 2001, in which two or more than two children are born.
- (4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has been convicted of an offence against women:

Provided that where such a cases pending in the court against any person then his appointment shall keep pending till the final decision of the criminal case.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate shall be final. – The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the appointing authority shall not be allowed to appear in the examination/interview.

#### 11. Direct Recruitment by competitive Examination:-

- (1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Appointing Authority may determine from time to time, the selection of the candidates to the service shall be made by the Selection Committee by interviewing them.
- (2) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders of the state government from time to time.
- (3) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), and orders issued by the Government from time to time in this respect.
- (4) Posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of women) Rules, 1997.
- (5) In filling the vacancies so reserved candidates, who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appeared in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

- (6) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be.
- (7) The posts shall be reserved for handicapped candidates as per the instructions of the General Administration Department.
- (8) The posts shall be reserved for Ex serviceman as per the instruction of General Administration Department.
- (9) If the post reserved for Schedule Cast and Schedule Tribes candidates remain unfilled due to non-availability of the candidates belonging to these classes that such vacancies can not be filled up by the candidates of other classes and shall be carried forward and fulfilled according to the direction issued by General Administration Department from time to time.
- (10) The reservation arrangement shall be effective in the parallel manner for the handicapped/disabled candidates.

#### 12. List of Candidates recommended by the Selection Committee-

- (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment on the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as he may considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the services.
- (4) The list issue by the committee shall be valid for a period of one year from the date of its issue.

#### 13. Appointment by Selection :-

There shall be constituted a committee consisting of the members for making in schedule IV a preliminary selection of eligible candidates:

Provided that if the nominated members other than the member presiding the selection committee in respect of the post to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes Category of the same status shall be included in the Selection Committee and the number of members of Selection Committee shall be extended to that limit.

#### 14. Conditions of eligibility for promotion:-

- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all person; who on first day of January of that year and Completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantively) on the post from which the promotion is to be made or any other post declared equivalent thereto by the State Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the Zone of Consideration in accordance with the provision of sub-rule (2).
- (2) The promotion to all the post in the service shall be on the basis of 'Seniority subject to fitness'. For the Zone of consideration for provision, the provision of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rule, 2002 shall apply.

#### 15. Preparation of the list of suitable persons:-

- (1) The Departmental Selection Committee shall prepare a list of persons who satisfy the conditions and held by the committee to be suitable for selection to the service. The list shall be effective for one year from the date of preparations of the select list.
- (2) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts

**Explanation**: A person whose name is included in the select list but who is not selected during the validity of the list, shall have no claim to seniority over these considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (3) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reason for the proposed super session.
- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every years.

#### 16. Appointment to the Service from the Select List :-

- (1) Appointment of the class-IV employees included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such persons appear in the select list.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the said committee before the appointment of a person whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.
- (3) The list as finally approved by the Appointing Authority will be select list for promotion of the members of the service from the post specified in column (2) of Schedule IV to the post specified in column (3) of the said Schedule.
- (4) The select list shall ordinarily be inforce for one year or until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 month from the date of its preparation:
  - Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list a special review of the select list shall be made at the instance of the Appointing Authority and the Selection Committee may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.
- 17. Probation.- Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of two years.
- **18. Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.
- 19. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:
  - Provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.
- **20.** Saving. Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.
- 21. Repeal All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:
  - Provided that, any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

# Schedule - I (see rule-5)

# Classification of Service, Pay-Scale and Number of Posts. Included in the service.

Name of Department	Name of Posts included in the service	Number of Posts	Classification	Pay Scale	Remarks
1	2	3	4	5	6
Directorate of Swaraj Sansthan Dept. of Culture	Peon/Watchman /sweeper	3	Class-IV	4440-7440+1300 (GP)	

#### Schedule - II (see rule-6) Method of Recruitment

Name of Department	Name of Posts included in the	Total Number	Percentage o	Remarks		
	service	of Posts	by direct recruitment	by promo tion	by transfer of the persons	
1	2	3	4	5	6	7
Directorate of Swaraj Sansthan Dept. of Culture	Peon/Watchman /sweeper	3	100 %	-		By transfer/deputation subject to Unavailability of suitable person

# Schedule - III (see rule-8) Age and Qualification of the person to be filled in by recruitment

Name of Department	Name of service		Maximum Age Limit		Remarks
1	2	3	4	5	6
Directorate of Swaraj Sansthan Dept. of Culture	Peon/Watchman /sweeper	18 Years	40 Years	Passed 8th class examination	

## Schedule - IV Eligibility and Conditions for Promotion

Name of Department	Name of Post from which promotion is to be made	Experience of Service	Name of Post to which the promotion to be made	System of the promotion e.g. selection system or post selection system	Name of the Member of departmental promotion committee
1	2	3	4	5	6
Directorate of Swaraj Sansthan Dept. of Culture	Peon/Watchman /sweeper	5 Years	-	seniority Cum-merit	<ol> <li>Director, Swaraj         Sansthan</li> <li>Assit. Director, Swaraj         Sansthan Sanchalnalay -         member</li> <li>One Class I Officer from         Schedule Casts/         Schedule Tribes         Category to be         nominated by the         Director - member</li> </ol>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विनोद कटेला, अपर सचिव.